राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४६वां दिवस [संख्या २७

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म०पू०११. १८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम रतोड़ा के जागीरदार की जीप

१०६७. **श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील का गांव रतोड़ा को श्री जालमसिंह के लावल्द फौत होने पर सरकार ने अपनी संरक्षण में लिया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उस वक्त ठिकाना की जीप (गाड़ी) भी सरकार ने अपने कब्जे में ली थी ? यदि हां, तो उस वक्त उस जीप की मौतबिरान ने क्या कीमत बताई थी और अब वह कहां है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उस जीप को वल कोर्ट ने कुर्क किया था ? यदि हां, तो कब कुर्क किया, तथा उस वक्त उस जीप की क्या कीमत बताई गई ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार की निगरानी में होने के कारण उस जीप की हालत बहुत खराब हो गई और इस कारण से उसे बहुत कम कीमत में नीलाम किया गया था ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। ९-१२-५० को।

(२) जी हां। जीप की कीमत का असेसमेंट तो नहीं किया गया था, लेकिन ८,००० की जमानत पर छोड़ी गई थी। यह जीप अब रतोड़ा जागीदार पर एक प्राईवेट डिक्री के कर्ज पर मुन्सिफ कोर्ट सांचोर से कुर्क की जाकर ४७१ रुपये में नीलाम करा दी गई है।

(३) जीप को मुन्सिफ कोर्ट सांचोर द्वारा २४-२-५३ को कुर्क किया गया। उस समय जीप की कोई कीमत असेस नहीं हुई थी।

(४) कुछ तो जामिन के कब्जे में ही खराब हो चुकी थी, तहसील के कब्जे में आने पर और भी खराब हो गई। जिसकी कि इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री तनसिंह : जामिन कौन था जिसके कब्जे में खराब हुई ?

Page No.2

श्री सम्पतराम : एक कोई श्री दुर्जनसिंह झालावाड़ के रहने वाले थे उनके पास थी।

श्री तनसिंह : कितने अर्से तक उनके पास रही ?

श्री सम्पतराम : १५-१-५१ से ३-११-५१ तक।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त गवर्नमेंट के कब्जे में ली गई थी तो क्या उसकी कीमत आंकी गई थी, दुबारा जामिन से ली गई तो क्या उस जीप की कीमत आंकी गई थी ?

श्री सम्पतराम : नहीं, उस समय कीमत नहीं आंकी गई।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि गवर्नमेंट के कब्जे में आने के बाद ज्यादा खराब हो गई कि ८,००० की कीमत की जीप चार सौ में बिकी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : यह तो नहीं माना जा सकता कि ८,००० की जमानत पर छोड़ी गई थी तो उसकी एक्च्युअल कीमत ८,००० की थी। जीप की प्राइस का एस्टीमेट नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : अब कौन इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री सम्पतराम : कमीश्नर कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय जीप को जामिन के कब्जे से ली गई उस समय उस जीप में कौन कौन से पार्टस कम थे, उसकी इन्वेन्ट्री की गई ?

श्री सम्पतराम : हां, उसकी इन्वेन्ट्री की गई थी कि क्या पार्ट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन कमियों के बारे में जामिन के खिलाफ कोई एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया ?

श्रीदामोदरलाल व्यास : जामिन के खिलाफ एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो जीप के पार्ट्स थे और उसको संभलाये थे, ले लिये। जीप पड़ी पड़ी खराब हो गई। इसके लिये तो तहसीलदार की जिम्मेदारी आती है और उसके लिए डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पार्ट्स तो सब बराबर थे लेकिन हालत खराब थी, उसके लिये जामिन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जामिन के खिलाफ एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जब पड़ी रहती है तो कुछ खराब होती ही है।

श्री श्रीभानसिंह : जिस समय उस जीप को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया, उस समय उसके माइलेज मीटर में कितना माइलेज लिखा हुआ था और बाद में कितना माइलेज ?

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पहले उसका माइलेज क्या था ? जामिन ने उसको यूज किया उसके बाद कितना माइलेज था ?

प्रश्न संख्या १०६८

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गोचर व श्मशान भूमि के पट्टे—गांव रतनपुरा

१०६६. श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि गांव रतनपुरा, तहसील सांचोर, जिला जालोर में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गोचर तथा श्मशान भूमि के पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त गांव में अब कितनी गोचर भूमि है तथा मवेशियों की तादाद कितनी है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठा ।

ग्राम में गोचर भूमि उपलब्ध नहीं है ।

मवेशियों की संख्या १,६६२ । भेड़-बकरी १,२४५ तथा अन्य पशु ७१७ हैं ।

प्रश्न संख्या १०७०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७१

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७२

श्री धन्नालाल हरित ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

विकास खंड बरसी की ओर से सरपंच पंचायत बरसी को श्रमदान के लिये स्वीकृत धनराशि

१०७३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विकास खंड बरसी की ओर से ग्रान्ट—इन—एड के और श्रमदान के कितने कितने रुपये सरपंच पंचायत बरसी को दिये गये ?

(२) उक्त रकम कितनी कितनी किस काम के सिलसिले में किस किस तारीख को दी गई ?

(३) उक्त रकम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सरपंच को दी गई है या ग्राम पंचायत के सरपंच होने के कारण ?

(४) क्या ग्राम पंचायत बरसी ने उक्त सरपंच के कहने से यह प्रस्ताव किया है कि इस रकम की जिम्मेदारी पंचायत की नहीं है ? क्या पंचायत के हिसाब में ऑडिट पार्टी को यह रकम पंचायत में दिखाई गई है ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते उक्त रकम दी गई है ।

(श्री सम्पतराम)

(४) जी नहीं। यह रकम पंचायत के हिसाब में विकास विभाग द्वारा मिली हुई सहायतार्थ दिखाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि जिन कार्यों के लिये यह रकम दी गई थी उसके लिये उपयोग में नहीं ली गई और अभी तक उसका हिसाब पेश नहीं हुआ है।

श्री सम्पतराम : यह सही है कि उसका हिसाब पेश नहीं हुआ है। लेकिन हिसाब पेश करने का कारण यह है कि हिसाब मुकम्मिल रूप से तैयार नहीं है। मगर यह गलत है कि जिस कार्य के लिये ली गई थी, उसके लिये काम में नहीं ली गई।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अब कब तक हिसाब हो जाने की आशा है?

श्री सम्पतराम : कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी काम को पूरा करें और वे भी जल्दी व्यवस्था करके काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या १०७४

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जगदीश-प्रसाद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७५

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७६

श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

जिला विकास समिति, अलवर द्वारा खोड़िया में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश

१०७७. **श्री चंद्रसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला विकास समिति अलवर ने नागल खोड़िया में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश की थी?

(२) यदि हां, तो स्कूल क्यों नहीं खोला गया?

(३) क्या यह सही है कि उस तहसील में बुढ़वाल में जहां कि आबादी, स्कूल की छात्र संख्या, भवन आदि की कमी होते हुए भी स्कूल खोल दिया गया है?

(४) यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) यह सही नहीं है। वहां छात्रसंख्या तथा विद्यालय भवन दोनों ही पर्याप्त हैं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चंद्रसिंह यादव : क्या यह सही है कि नागल खोड़िया की छात्रसंख्या और कमरों की संख्या बुढ़वाल से ज्यादा थी?

Page No.5

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : छात्र संख्या वहां पर कुल १७७ है।

श्री चंद्रसिंह यादव : १७७ संख्या कहां है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो नागल खोड़िया आपने बताया है।

श्री चंद्रसिंह यादव : बुढ़वाल में कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि दूसरे स्थान के मुकाबले में पहले स्थान की छात्र संख्या कम है और दूसरे स्थान के मुकाबले में अच्छा है ?

श्री संपतराम (उपमन्त्री) : छात्रों के बारे में नहीं कहा जा सकता लेकिन भवन बुढ़वाल में नागल खोड़िया की बनिस्बत अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वहां पर बिल्डिंग अप्रयाप्त है और उस कमी को पूरा करने के लिये बिल्डिंग बनाई जा रही है ?

श्री संपतराम : बिल्डिंग नीचे भी बनाई जा सकती है और ऊपर भी बनाई जा सकती है। प्ले ग्राउन्ड आदि का भी विकास हो रहा है।

श्री चंद्रसिंह यादव : जिस समय स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था वह कहां के लिये लिया गया था ?

श्री संपतराम : बुढ़वाल में।

श्री चंद्रसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूँ कि नागल खोड़िया में बुढ़वाल के बनिस्बत कमरे भी ज्यादा हैं और छात्र संख्या भी ज्यादा थी और प्राईमरी स्कूल भी उसके ज्यादा नजदीक पड़ते हैं और अभी जो मिडिल स्कूल खुली है नागल खोड़िया में ७ या ८ मील में कोई स्कूल नहीं है। जो साहब जबाब दे रहे हैं उनकी मर्जी ऐसी थी इसलिये स्कूल खुली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से हम जिला विकास समिति से पूछते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया है। आपने अपने प्रश्न (१) में पूछा था कि जिला विकास समिति, अलवर ने नागल खोड़िया में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश की थी ? उसका मैंने उत्तर दिया कि जी नहीं। उसने कोई सिफारिश की हो और किसी दूसरे माननीय सदस्य की वजह से ऐसा हुआ हो, यह बात नहीं है।

श्री चंद्रसिंह यादव : मैं आपको जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, एस. डी. ओ. ने नागल खोड़िया में खोलने के लिये सिफारिश की थी कि खुले। मगर पहले उसको रोका रखा और बाद में बात चीत करने के बाद ऐसा कर लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने बताया वह ठीक हो सकता है। लेकिन एक जगह जहां पर डिस्ट्रिक्ट विकास समिति होती है वहां पर पंच और सरपंच अपनी राय देते हैं उस वजह से उस समिति की राय मान ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट ने विकास समिति की राय जान ली ?

श्री संपतराम : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सांचोर तहसील के जागीरदारों की निजी सम्पत्ति की लिस्ट

१०७८. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिन जागीरदारान ने जागीर रिज़म्पशन एक्ट के अन्तर्गत पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट पेश कर दी हैं, उनमें अंकित भूमि बिना जांच किये सरकार को अपने अधिकार में लेने का अधिकार है ?

(२) जिला जालोर की सांचोर तहसील में किन किन जागीरदारों ने निजी सम्पत्ति की लिस्टें पेश की हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उनकी निजी सम्पत्ति की जांच हुए बगैर ही तहसीलदार सांचोर ने लिस्ट में अंकित भूमि को अलॉट कर दिया है ? यदि हां, तो वह कौन कौन सी भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां । तहसीलदार सांचोर ने होती गांव के चन्द खसरा नम्बरान की जमीन अलॉट की है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । बाद जांच के, अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

खनिज विभाग में प्रोस्पेक्टिव लाईसेन्स व माईनिंग लीजेज के लिए पेन्डिंग दरख्वास्तें

१०७९. **श्री मूलचंद डागा (पाली)** : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) माईनिंग डिपार्टमेन्ट में प्रोस्पेक्टिव लाईसेन्सेज़ व माईनिंग लीजेज़ के लिए कितनी एप्लीकेशन्स कब से पेन्डिंग हैं ? उनकी सूची देने का कष्ट करें ।

(२) साधारणतया लाईसेन्सेज़ व लीजेज़ कितने समय की अवधि में दे दी जाती हैं ?

उप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना नहीं आई है इसलिये इसका अगले टर्न पर जवाब देंगे ।

श्री भैरोंसिंह: On a point of order, Sir, At the nick of hour......

अध्यक्ष महोदय, हाउस में बार बार यह सुनने को मिलता है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अभी तक इसकी सूचना नहीं मिली है । इस सम्बन्ध में हाउस में सूचना देने से पहले मन्त्री महोदय को अध्यक्ष को सूचना दे देनी चाहिये । आपकी तरफ से यह सूचना मिलनी चाहिये बनिस्बत इसके कि मिनिस्टर साहब यह कह दें ।

श्री अध्यक्ष : सूचना हमारे पास भेज देते हैं। हम कहते हैं कि सदन से इजाज़त ले ली जावे; तब पूछते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम इजाजत........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसीलदार बौंली द्वारा १०७ के मुकदमों का फैसला

१०८०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बौंली (जिला सवाई माधोपुर) के तहसीलदार ने एक जनवरी, ५७ से लेकर १ मार्च, ५८ तक कितने मुकदमों का फैसला किया ?

(२) क्या तहसीलदार बौंली को १०७ दफा के मुकदमे सुनने व फैसला देने के अधिकार हैं ?

(३) यदि हां, तो दफा १०७ के मुकदमों के उपरोक्त अवधि में कितने फैसले किये हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (१) २२८७।

(२) जी नहीं।

(३) केवल एक। जांच जारी है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच कब से जारी है ?

श्री संपतराम : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने जांच की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमिश्नर मुकम्मिल जांच कर रहा है और उन्होंने मौके पर जाने के लिये १ दिसम्बर रखा है। मगर जिस तहसीलदार के खिलाफ यह जांच है वह दूसरे केस में सस्पेन्ड हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०८१

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०८२

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०८३

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०८४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह केन।

भरतपुर कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज आने व जाने के लिये सवारी का प्रबन्ध

१०८५. **श्री गोवर्धनसिंह** (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर कॉलेज में कितनी छात्रायें अध्ययन करती हैं ?

(२) क्या विभाग द्वारा छात्राओं को कॉलेज आने के लिये सवारी का कोई प्रबन्ध

(श्री गोवरधनसिंह)

है ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने को तैयार है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री : (श्री मोहन-लाल सुखाड़िया) : (१) ३६ ।

(२) इस समय गर्ल्स हाई स्कूल की बस द्वारा व्यवस्था की हुई है ।

प्रश्न संख्या १०८६

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

जावद जागीरदार के भूमि के पट्टों का इन्द्राज

१०८७ : **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील में स्थित जावद ग्राम पुन: गृहीत किया गया ?

(२) यदि हां तो उक्त ग्राम की कितनी भूमि के जागीरदार ने पट्टे किये हैं ?

(३) इन पट्टों का इन्द्राज रेवेन्यू, रिकॉर्ड में कब किया गया ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (१) जी हां ।

(२) जागीरदार ने कोई भी पट्टा नहीं किया है और बिक्री जमीन या पट्टों की आय भी जागीरदार के दावे में क्लेम नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह ।

बसेड़ी में हायर सेकेन्ड्री स्कूल की स्थापना

१०८८. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील बसेड़ी ज़िला भरतपुर में कोई हायर सेकेन्ड्री स्कूल है यदि नहीं तो क्या उक्त तहसील में कोई हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्थापित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : जी नहीं । अगले वर्ष इस प्रकार का अन्य स्कूलों के साथ विचार किया जावेगा ।

प्रश्न संख्या १०८६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०६०

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०६१

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि

१०६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित :** (लालसोट) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को पता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का गुजर-बसर ठीक ढंग से नहीं चलता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) इसका जवाब देना कठिन है।

(२) सरकार को जो वित्तीय साधन उपलब्ध हैं उनको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य नीचे के स्तर के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में एक बार १-५-५७ से और फिर १-१०-५८ से वृद्धि की है। दोनों मिलाकर १०) मासिक की वृद्धि की गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तनख्वाह में जो वृद्धि हुई है वह अब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं मिलती ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ऑर्डर्स तो दिये जा चुके हैं। कोई पार्टिकुलर केस हो तो आप बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जनरली नहीं मिलता हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी तक राजस्थान सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जिन-जिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली हो तो इस माह में जब कि ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, सब ही कर्मचारियों को मिलने के आदेश देगी ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : जी हां, जरूर देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में खातेदारी के रकबे

१०६३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में काश्तकारों के खातेदारी के रकबे बहुत ही कम क्षेत्रफल के हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि गैर खातेदारी की जमीन वर्षा ऋतु में पानी के बहाव के कारण बढ़ती-घटती रहती है और जमीन के सिचुएशन में भी परिवर्तन हो जाता है तथा इस कारण बहुत सी काबिले काश्त जमीन गैर मुमकिन पड़त का रूप धारण कर लेती है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस प्रकार के जमीन के रूप में रद्दोबदल हो जाने से जो जमीन गैर मुमकिन पड़त से काबिले काश्त हो जाती है, उसमें काश्त करने की इजाजत देने का कोई प्रावधान वर्तमान कानून में नही है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस प्रकार गैर-

(श्री शंकरलाल)

मुमकिन पड़त जमीन जो काश्त के लायक बन जाती है उसमें काश्त करने वालों से छः गुना बिघोड़ी व जुर्माना वसूल किया जाता है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) हां यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में खातेदारी रकबे अधिकतर थोड़े क्षेत्रफल के हैं।

(ख) इस तहसील में साधारण वर्षा में गैर खातेदारी या खातेदारी की जमीन पानी के बहाव के कारण घटती-बढ़ती नहीं है गैर मुमकिन जमीन का काबिले काश्त होना और काबिले काश्त का गैर मुमकिन रूप लेना बहुत ही एबनॉर्मल वर्षों में जब कि वर्षा अत्यधिक हो सिर्फ मैदानी इलाके में होना सम्भव हो सकता है।

(ग) जो जमीन गैर मुमकिन पड़त से काबिले काश्त हो जाती है उसमें काश्त करने की इजाजत देने के पूर्व उस भूमि की किस्म में परिवर्तन करना आवश्यक है अन्यथा गैर मुमकिन जमीन को काश्त करने के लिये देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) यह सही नहीं है कि गैर मुमकिन पड़त जमीन पर जो काश्त के लायक बन जाती है उसमें काश्त करने वालों से छः गुना बिघोड़ी और जुर्माना वसूल किया जाता है, जुर्माना या छः गुना बिघोड़ी या दोनों सिर्फ उन्हीं काश्तकारान से लिये जाते हैं जो अवैधानिक तरीके से सरकारी जमीन पर काश्त करते है। ऐसे काश्तकारों को ट्रेसपासर समझा जाकर नियमानुसार जुर्माना वगैरह वसूल किया जाता है।

जब कोई कठिनाई ही नहीं तो बाकी की कार्यवाही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री शंकरलाल : ऐसी जमीन जब काबिले काश्त हो जाती है तो काश्त करने के क्या प्रावधान हैं और किस कानून के अन्तर्गत इसकी इजाजत दी जाती है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिए एलॉटमेन्ट रूल्स हैं और उन नियमों के अन्तर्गत एलॉटमेन्ट होता है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि रायपुर तहसील में इजाजत नहीं दी जाती है और जब काश्त कर लेते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : एलॉटमेन्ट के लिए कमेटी बनी हुई है। लेकिन कोई उस जमीन पर बगैर इजाजत कब्जा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री शंकरलाल : एलॉटमेन्ट का सवाल नहीं है। गैर मुमकिन जमीन काश्त में परिणत हो जाती है, और काश्तकार काश्त करने की दर्ख्वास्त करता है लेकिन इजाजत नहीं दी जाती है क्योंकि सैटिलमेन्ट में दर्ज नहीं है। जब वह उस पर काश्त करता है तो उससे छः गुना लगान लिया जाता है। इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): गैर मुमकिन जमीन अगर काबिले काश्त हो जाय तो किस्म में परिवर्तन करने के बाद एलॉटमेन्ट जैसे दूसरी जमीन का होता है उसका भी होगा। उसी तरह से एलॉटमेन्ट कमेटी को दर्ख्वास्त पेश करना चाहिये और इजाजत लेना चाहिये। अगर बगैर इजाजत उस पर कोई करता है तो वह ट्रेसपासर समझा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाता है। अगर रायपुर तहसील ने ऐसा व्यू ले लिया है तो हिदायत कर देंगे कि गैर मुमकिन जमीन भी बाकायदा एलॉट की जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : ६ गुना लगान वसूल करके एलॉटमेन्ट को रेग्युलेराइज़ कर देंगे क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

प्रश्न संख्या १०६४

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर।

उदयपुर जिले में अध्यापकों की कमी

१०६५. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर जिले में कितने अध्यापकों की कमी है ?

(२) क्या यह सही है कि कई सिंगल टीचर स्कूल्स में भी अध्यापक नहीं है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) चार।

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री वलीमोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाय।

रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा चरागाह में पशुओं को नहीं चरने देना

१०६६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ कस्बा के उत्तर की तरफ कई हजार बीघे की जो चरागाह है उसमें नगरपालिका रतनगढ़ के कर्मचारी जनता के पशुओं को नहीं चरने देते है ?

(२) क्या यह चरागाह गवर्नमेंट लैंड रेकॉर्ड में रिफाये आम दर्ज है ? अगर हां तो फिर नगरपालिका रतनगढ़ पशुओं को चरने से क्यों रोक रही है।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री वलीमोहम्मद : क्या यह सही है कि बीड़ों में भेड़ों और बकरियों को चरने नहीं दिया जाता ?

श्री सम्पतराम : सरकारी तौर से कोई मनाई नहीं की हुई है।

श्री वली मोहम्मद : फिर नगरपालिका के रोकने का क्या कारण था ?

श्री सम्पतराम : नगरपालिका रोक नहीं सकती कायदे-कानून के अनुसार और न कोई आदमी तैनात कर रखा है कि रोके।

श्री वली मोहम्मद : क्या रेवेन्यू विभाग से ऐसे आदेश दिये जा सकते हैं जिससे कि उसमें भेड़-बकरी चर सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जितने चरागाह हैं उनमें भेड़-बकरी भी चर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री वलीमोहम्मद।

फैमिन सहायता बाड़मेर तहसील

१०६७. **श्री वली मोहम्मद (चोहटन)** : क्या राजस्व मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर तहसील में सन् ५७-५८ में सरकार की ओर से अपाहिज व लावारिस लोगों को फैमिन सहायता कितनी-कितनी दी गई ?

(२) उक्त सहायता किस-किस गांव में किस-किसको दी गई, नामवार लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए, इसको अगली टर्न पर रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान के समस्त बैंकों का एकीकरण

१०६८. **श्री माधोसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या वित्त मन्त्री निम्न-प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान के समस्त बैंकों के एकीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किया व इसके एकीकरण में सरकार को कहां-कहां क्या-क्या दिक्कत आ रही है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : बैंकों के एकीकरण का विषय केन्द्रीय सरकार, एवं रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से सम्बन्धित है। तीनों बैंक इस सम्बन्ध में अब तक एकमत नहीं हो सके, अत: इन बैंकों के एकीकरण के बजाय केन्द्रीय सरकार ने अब इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के सहायक (Subsidiary) बैंक बनाने की योजना बनाई है और इस सम्बन्ध में तीनों बैंकों की स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया से बातचीत चल रही है। ऐसी आशा की जा रही है कि अब यह मसला शीघ्र ही तय हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद।

बाड़मेर तहसील को दो तहसील बनाने की योजना

१०६९. **श्री वलीमोहम्मद** (चोहटन): क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर तहसील में कुल कितने गांव हैं ?

(२) क्या बाड़मेर तहसील की दो तहसीलें बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) (१) ३८३ गांव हैं।

(२) जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने जो कमेटी बिठाई है उसने मेटर को रेफर किया या रिपोर्ट दी है ?

श्री सम्पतराम : रिपोर्ट अभी नहीं आई है इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री शंकरलाल : १६३ गांव की बड़ी तहसील है और दो तहसीलें होनी चाहिये।

Page No.13

श्री सम्पतराम : गांवों से ही पापुलेशन का अन्दाज नहीं हो सकता है लेकिन मेरे पास इस समय आंकड़े भी नहीं हैं जिससे कि आपको बता सकूं कि दूसरी दूसरी तहसीलों में कितने गांव हैं और कितनी आबादी है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या बाड़मेर इतनी बड़ी तहसील नहीं है ?

श्री सम्पतराम : पूरी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री वली मोहम्मद : क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि इतनी बड़ी तहसील है ?

श्री सम्पतराम : तहसील बड़ी जरूर है, लेकिन ऐसे मामले कमेटी के सम्मुख जाते हैं। उसकी रिपोर्ट आयी नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार विचार कर रही है कि दो तहसीलें बना दी जायं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए कमेटी बनी है, वह करेगी।

श्री तनसिंह : छः वर्ष से तो हम सुन रहे हैं फिर रिपोर्ट वह कब देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छः वर्ष तो नहीं हुए हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट आने वाली है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

ग्राम सुलिया में स्कूल के भवन के निमार्ण का ठेका

११००. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम सुलिया, तहसील पचपहाड़ में स्कूल के भवन के निर्माण के लिये ईंटें तथा चूना सप्लाई का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया था ?

(२) क्या यह सही कि उक्त ठेकेदार ने यह बताते हुए कि कई हजार ईंटें व चूना निर्माणस्थल पर पहुंच चुका है सैंकड़ों रुपयों का पेमेंट ले लिया, जबकि उक्त स्थान पर एक भी ईंट नहीं पहुंची ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सुलिया काण्ड की सरकारी जांच कर्ता सब-इन्स्पेक्टर श्री सच्चिदानन्द ने मौके पर एक भी ईंट नहीं होना दर्ज किया ? यदि हां, तो सरकार उक्त ठेकेदार के विरुद्ध तथा उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने बिना तस्दीक पेमेन्ट कर दिया, क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) चूने आदि का ठेका श्री गोकुल महाराज को दिया गया था ?

(२) इस मामले की जांच की जा रही है।

(३) जी हां। एस. डी. ओ. झालावाड़ ने इस मामले को एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द कर दिया है, वहां जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डॉ० चन्द्रकला : इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिये।

पीड़ितों का मुआवजा

१०६८. **डॉ० चन्द्रकला** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री राज-

(डॉ० चन्द्रकला)

नैतिक विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किन किन लोगों को कितना कितना तथा किस रूप राजनैतिक पीड़ित होने का मुआवजा दिया गया ?

(२) क्या किन्हीं राजनैतिक पीड़ितों को जमीन भी दी गई है ? यदि हां, तो किस किसको कितनी कितनी व किस किस स्थान पर ?

(३) क्या राजनैतिक पीड़ितों की कोई लिस्ट शेष है ? यदि हां, तो उसमें कौन कौन हैं ?

(४) क्या मुआवजा प्राप्त करने वाले राजनैतिक पीड़ितों में से कुछ बरख्वास्त शुदा सरकारी कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो कितने व कौन कौन हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) २७ व्यक्तियों को मासिक सहायता दी गई है ।

(क) ८ व्यक्तियों को एकमुश्त सहायता दी गई है ।

(ख) ६ व्यक्तियों को भूमि दी गई है ।

(ग) ४ व्यक्तियों को विविध प्रकार की सहायता दी गई है । सूची मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां, ६ व्यक्तियों को जमीन मिली है जिसकी सूची मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां, जिनके प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं उनकी सूची मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी हां । ४ व्यक्ति हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० बहादुरसिंह : जिन लोगों के केस विचाराधीन है उनका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो केसेज विचाराधीन हैं उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूं जल्दी ही कार्यवाही की जा रही है ताकि वे फाइनेलाइज हो जांय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ राजनैतिक पीड़ित ऐसे हैं जिनको राजनैतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के पहले भूमि का एलॉटमेंट हो गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, रूल्स बनने के पहले ही जमीन एलॉट कर दी गई थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन ६ में वे भी शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सब इसी में शामिल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स बनने के पहले जिन लोगों को राजनैतिक पीड़ित मान लिया गया था, क्या इस कानून के बनने के बाद उनकी फिर से जांच हुई या नहीं कि वास्तव में वे राजनैतिक पीड़ित हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जांच करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले ही जांच करके उनको जमीन दी गई थी जांच करके उनको बेदखल करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : राजनैतिक पीड़ित किन को माना जाय, जब तक यह तय नहीं हुआ

(श्री भैरोंसिंह)

था उसके पहले जिनको राजनैतिक पीड़ित की संज्ञा देकर भूमि एलॉट की गई है क्या उनकी जांच जो नियम बने हैं उनके आधार पर की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आवश्यक नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें एक सरकारी कर्मचारी को भी जमीन फरोख्त की गई है वह किस आधार पर की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजनैतिक कारणों के कारण उसको बर्खास्त किया गया होगा।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जो राजनैतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कानून है वह इतना पेचीदा है और लम्बा है कि उसके कारण बहुत कम राजनैतिक पीड़ितों को सहायता मिल पाती है और जो वास्तव में राजनैतिक पीड़ित होते हैं उनके पास सबूत नहीं होते, इसलिए असली राजनैतिक पीड़ित इससे हैं वंचित रह जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनमें आवश्यक संशोधन किया गया है।

ठिकाना चाउवास का उत्तराधिकारी

१०८३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री मदनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कलेक्टर चूरू ने दिनांक २-३-५७ को तथा कमिश्नर बीकानेर ने दिनांक २४-३-५७ को ठिकाना चाउवास के उत्तराधिकारी कु० रामसिंह बिटाल को नामजद कर दिया ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस आदेश के विरुद्ध अपील रेवेन्यू बोर्ड में की गई जो दिनांक ६-८-५७ को मन्जूर कर ली गई ?

(३) क्या यह सही है कि चूरू कलेक्टर ने श्री रामसिंह को रेवेन्यू बोर्ड में अपील होने तथा रेवेन्यू बोर्ड द्वारा सम्बन्धित कागजात मंगवा लेने के बावजूद भी अन्दर मियाद ३ माह के १३,००० रुपये अन्तरिम मुआवजे के दे दिये ?

(४) यदि हां, तो यह रुपये किस नियम से दिये और अब तक यह वापिस वसूल हुए या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री की ओर से भी हुक्म जारी हुआ था ? यदि हां तो उसकी अब तक तामील क्यों नहीं हुई तथा यह रकम कब तक वसूल हो जायगी ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) केस रिमॉन्ड होने के पहले ही रुपया ६८६६ का भुगतान दिया गया।

(४) उत्तराधिकारी घोषित होने के पश्चात् उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करने पर भुगतान किया जाता है। वसूली अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि श्री रामसिंह की कोई जायदाद नहीं है जिसे कुर्क किया जाकर वसूली की जा सके। इसकी वसूली के लिये राजस्व विभाग से आदेश हुआ था। लेकिन रामसिंह की जायदाद नहीं होने से वसूली नहीं हो सकी। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वसूली कब तक होगी।

श्री भैरोंसिंह क्या यह सही है कि श्री-रामसिंह को इस मुआवजे का भुगतान कर

(श्री भैरोंसिंह)

दिया गया था अपील का समय निकलने से पहले कर दिया गया था ?

श्री सम्पतराम : यह तो मुझे ख्याल नहीं है इसप्रकार का तरीका है या नहीं लेकिन कमिश्नर का जो फैसला होता है जब वे एग्री होगये कि पेमेंट कर दिया जाय उसके मुताबिक कलेक्टर्स ने पेमेंट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भुगतान होने से पहले कलेक्टर को इसबात की सूचना मिल गई थी कि रेवेन्यू बोर्ड को अपील कर दी गई है और फाइल रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी में है ?

श्री सम्पतराम : २-३-५७ को श्री रामसिंह को उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र मिल गया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ६-८-५७ को रिमाइन्ड हुआ इस बीच में पेमेन्ट होगया।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ने जिस समय पेमेन्ट किया उसके तुरन्त पहले ही रेवेन्यू बोर्ड ने फाइल मंगाली थी और कलेक्टर को यह सूचना मिल गई थी कि इसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड में होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अपील के लिए पेश होना स्टे नहीं है। जब तक स्टे ऑर्डर नहीं होता कोई कार्यवाही रुकती नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तीन महीने अपील की मियादा के होते हैं उस समय में स्टे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपसी सक्शेसन का केस नहीं था जागीरी रिजम्प्शन के सक्शेसन का केस था इसलिये कलेक्टर को पूरे अधिकार थे कि जो उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र पेश कर दे और जिसको कमिश्नर कनफर्म कर दे उसको मुआवजा दे दिया जाय।

चूरू जिले में अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

१०८६. **श्री बेनाराम गहलौत** (श्री मोहरसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू जिले में सन् ५७ ५८ में अकाल सहायता योजना के तहत किस किस ग्राम को कितनी कितनी रकम किस किस के निमित्त दी गई, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ?

(२) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील के ग्राम टाना में कुंए के लिए ८००० व चनाणा में ५००० जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये गये थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार राजगढ़ ने ग्रामवासियों को कार्य चालू करने के आदेश दिये थे ?

(४) यदि हां, तो क्या एक हफ्ता कार्य चालू रहने के बाद तहसीलदार ने उक्त कार्य बन्द करने के आदेश दिये थे ?

(५) यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह भी सही है कि चनाणा के मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है, अतः इसको दूसरी टर्न पर रखा जाय।

अलवर जिले के हाई स्कूलों को मल्टीपर्पज स्कूलों व इन्टरमीडियेट कॉलेजों में परिवर्तित किया जाना

१०६०. डॉ० चन्द्रकला (श्रीमती गंगा देवी की अनुपस्थिति में : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अलवर जिले में लड़कों व लड़कियों के कितने हाई स्कूल हैं ?

(ख) इस जिले के कितने हाई स्कूल मल्टीपर्पज स्कूलों व इन्टरमीडियेट कॉलेजों में परिवर्तित किये जाने वाले हैं ?

मख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) लड़कों के **१३** व लड़कियों का १।

(२) कोई नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इन १४ स्कूलों में किसी को अपग्रेड करके हाई स्कूल या मल्टीपर्पज स्कूल बनाया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी खोल दें, यह संभावना नहीं मालूम पड़ती अगले साल इस बारे में विचार करेंगे।

झुंझुनू जिले में बन्दोबस्त

१०६४ श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुन्झुनू जिले में बन्दोबस्त कब किया गया था तथा उसकी मियाद कब तक के लिए थी ?

(२) यदि मियाद समाप्त हो गई है तो अभी तक दुबारा बन्दोबस्त न करवाने के क्या कारण हैं ?

(३) अब दुबारा बन्दोबस्त कब किया जायगा ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१)

संख्या ग्राम	अवधि बन्दोबस्त	संवत्	समय वर्षों में
क. ६.	१९९७	२००७	११
ख. १२३.	१९९८	२००७	१०
ग. ३३७.	१९९९	२००८	१०
घ. ३.	२००५	२००७	३
ङ. २.	२००५	२००८	४
च. १३.	२००५	२०१५	११
छ. ४८.	२००८	२०२७	२०
ज. ७२.	२०१२	२०३१	२०

इस जिले में दो ग्राम मुड़की व परसरामपुरा का बन्दोबस्त कार्य अभी तक हो रहा है।

(२) इस बारे में फोरकास्त रिपोर्ट बनवाई जा रही है।

(३) फोरकास्त रिपोर्ट तैयार हो जाने पर भू-प्रबन्ध विभाग इस विषय पर राज्य सरकार से आज्ञा प्राप्त करेगा।

हरिजनों के आवास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये गये क्वार्टर्स

१०८१. श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आमेर) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.18

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

(१) राजस्थान सरकार द्वारा हरिजनों के आवास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अप्रेल, १९५२ से अप्रेल १९५८ तक कौन कौन सी जगह तथा कितने कितने क्वार्टर्स बनाये गये ?

(२) जिलेवार कितनी कितनी रकम अप्रेल १९५२ से अप्रेल १९५८ तक सहायता के रूप में दी गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सन् ५२ से ५४ तक हरिजनों के आवास हेतु इस विभाग में कोई स्कीम नहीं थी और सन् ५४, ५५ से ५७, ५८ तक जो मकान बनाये गये उसकी सूचियां संलग्न हैं।

(२) जिलेवार जो रकम सन् ५४ से ५८ तक सहायता के रूप में दी गई, उसकी भी सूची संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : वह सूची तो मुझे मिली नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं। सन् १९५४-५५ में

जिले का नाम	जगह का नाम	रुपये	कुटुम्ब
टौंक	गांधी ग्राम	१३,३००	३८
झालावाड़	झालावाड़	२,०००	१३
	१९५५–५६		
सवाई माधोपुर	माहोली	७,७००	२२
कोटा	रामनगर	७,०००	२०
जयपुर	किशनगढ़ रेनवाल	५,६००	१६
टौंक	गांधीग्राम	३,५००	१०
सीकर	खूरी	१,४००	४

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसकी सूची दे दी जाय। एक कापी माननीय सदस्य को दे दीजिए यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामचंद्र (डग) : आपने अभी नाम बताये झालावाड़ में कितने कुटुम्बों को किस प्रकार की कितने मकानों के लिए सहायता दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दो हजार १३ कुटुम्बों को दी गई ५४, ५५ में।

श्री पी० के० चौधरी : उदयपुर में सात हजार में कितनी फेमिली हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह आखिरी वाली लिस्ट में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उदयपुर का या भरतपुर का?

डॉ० बहादुरसिंह : भरतपुर जिले में कितने कुटुम्बों को कितनी धनराशि दी ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १७, ५००) दी !

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह किस गांव और किस तहसील में दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह कौनसे सन् में दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५४ से ५८ तक।

Page No.19

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : जो जो क्वार्टर बन रहे हैं उनमें कितने बन गये हैं, कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १००१ मकान बने।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में जितना रुपया दिया गया वह काम में नहीं लिया गया और लैप्स हो गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

डॉ॰ चन्द्रकला : क्या यह सही है गांधीग्राम में बने आधे क्वार्टर गिर गए हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : अब तक आपने जितना रुपया दिया और जो मकान बने वे अधूरे पड़े हैं या तैयार हो गये; अगर तैयार हो गये तो कितने, और कितने अभी अधूरे पड़े हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच हुई है। जहां जहां अधूरे पड़े हैं, उनके लिए उस साल ज्यादा रुपया देकर उनको पूरा कराया जा रहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अधूरे कितने हैं एक हजार में ?

श्री अध्यक्ष : सरकार सहायता की एक रेट मुकर्रर करती है कि इतने मकानों को इतना रुपया दिया जाता है।

डॉ॰ चंद्रकला : क्या सरकार यह भी देखती है कि जो रुपया दिया गया उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ या कितना क्या उपयोग हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर देखते हैं और जब कोई और भी ध्यान दिलाता है तो उस पर भी कार्यवाही की जाती है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या यह सही है कि भरतपुर के लिए दिया गया रुपया लैप्स हो गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : उदयपुर में जितना रुपया दिया गया उसमें कितनी फेमिली ने मकान बनायें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कितने साल का, किस साल का पूछ रहे हैं ?

श्री पी॰ के॰ चौधरी : सभी सालों का दीजिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उदयपुर में दिया गया ५१,२००)।

श्री रामचंद्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतादूं कि झालावाड़ में अभी तक एक झौंपड़ी भी नहीं बनी है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट देख लीजिये, लिस्ट आ गई है। नोटिस ऑफिस में पड़ी है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I want to know the figures of the family to whom the money has been given.

श्री अध्यक्ष : You can calculate.

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : क्या यह सही है कि किशनगढ़ रेनवाल में एक भी मकान नहीं बना है।

Page No.20

श्री पी० के० चौधरी : बना हो, तो फेमिली का नाम बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : Please consult the list.

श्री पी० के० चौधरी : लिस्ट तो हैं नहीं हमारे पास ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे दिनांक २ के एक प्रश्न का उत्तर आज देने की बात थी सो उसका उत्तर आज दिलवा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक का सवाल था। अभी वीक तो शुरू हुआ है ।

११. ५५ म० पू०

नगरपालिका की भूमि के क्रय संबंधी आपत्ति पर स्पष्टीकरण

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३ दिसम्बर को जब कि मैं सदन में उपस्थित नहीं था एक माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाते हुए यह वक्तव्य दिया कि मैंने या दूसरे माननीय सदस्य ने कहीं एक लाख रुपये की जमीन दस हजार में खरीद ली है । चूंकि इससे मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है इसलिये मैं इसमें स्पष्टीकरण देना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

वास्तव में मैंने जब समाचार पत्रों में यह पढ़ा तो आश्चर्य हुआ और साथ ही बड़ा क्षोभ हुआ कि किस प्रकार सदन के एक जिम्मेवार व्यक्ति इस प्रकार के गलत और तथ्यहीन वक्तव्य बिना जांच किये सदन में देते हैं और दूसरे सदस्यों पर कीचड़ उछालते हैं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह दावे के साथ कह देना चाहता हूं सदन की सूचना के लिये और आपकी सूचना के लिये, कि मैंने व मेरे दूसरे साथी श्री मनरूपरामजी एम. एल. ए. ने कोई भी जमीन दस हज़ार में, पाली में नहीं खरीदी ।

दूसरी बात यह है कि न तो कोई सरकार से यह जमीन खरीदी और न नगरपालिका से जमीन खरीदी गई क्योंकि आरोप लगाते वक्त माननीय सदस्य ने यह कहा था कि नगरपालिका के अन्दर विरोधी दल का होना आवश्यक होता है और जहां विरोधी दल नहीं होता है वहां इस प्रकार की ज़मीन एक लाख की दस हज़ार में दे दी जाती है । इसलिए मैं यह समझता हूं कि जहां उन्होंने विरोधी दल की उपयुक्तता बताते हुए जो उदाहरण दिया, उससे मैं तो यह मानता हूं कि जगह जगह विरोधी दल होने चाहिये, पर इस प्रकार के गलत उदाहरण देने से कोई विरोधी दल को बल नहीं मिलता । उल्टा इस प्रकार के गलत उदाहरणों से कमजोर होते हैं जब कि फैक्ट्स और फिगर्स और सही वाक्या हमारे सामने आते हैं ।

इस प्रकार मैंने निवेदन किया कि मैंने व श्री मनरूपराम जी ने कोई जमीन पाली शहर में नहीं खरीदी है ।

अगर माननीय सदस्य का मतलब उस ज़मीन से है जो एक ज़मीन का टुकड़ा पाली के अन्दर १५ व्यक्तियों द्वारा पांच हज़ार में एक काश्तकार से खरीदा गया है, तो मैं निवेदन कर दूं कि वह उस काश्तकार से खरीदा गया है, न तो वह जमीन सरकार से खरीदी गई है और न नगरपालिका से खरीदी गई है, न सरकार से कोई वास्ता है, न नगरपालिका से उसका कोई वास्ता है ।

(श्री शंकरलाल)

पाली के अन्दर एक काश्तकार का जाव जिसका आधा हिस्सा सरकार ने अपने सैशन कोर्ट बनाने के लिये लिया और करीब चार साल के पश्चात् उसको २२ सौ या २३ सौ रुपया मुआवजे के दिये गये। जब उसका आधा जाव सरकार ने एक्वायर कर लिया तो आधे जाव की कीमत हमसे५ हजार लेकर उसने रजिस्टर डीड लिख दिया। इतनी ही जमीन का हमने उस काश्तकार को पांच हजार दिया। न तो ज़मीन वह सरकार से हमने ली, न नगरपालिका से ली। उसके डॉक्युमेंट भी मेरे सामने मौजूद हैं जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के लिये और आपके लिये लेकर आया हूं जिससे स्पष्ट होता है कि उस जमीन के राइट्स हमने काश्तकार से खरीदे। इसलिये जो आरोप लगाया गया कि हमने कोई एक लाख की जमीन दस हजार में खरीद ली यह बिल्कुल गलत है और तथ्यहीन है। जो जमीन मनरूपराम जी ने और शंकरलाल ने या पन्द्रह आदमियों ने जिसे मिलकर खरीदी जिसकी कीमत एक लाख बतला हैं, मैं तो कहता हूं उस जमीन का मेरे को पांच हजार दे दीजिये, हम सन्तोष कर लेंगे। अगर वे तैयार हैं...

श्री भैरोंसिंह : आपको इसका पांच नहीं, पूरी जमीन का दस हजार देने को तैयार हूँ।

श्री शंकरलाल : अगर आप देने को तैयार हैं, १५ आदमियों ने पूरी जमीन पर कब्जा किया है, अभी बताऊंगा पूरा किस्सा। दस हजार आप देने को तैयार हैं।...

श्री श्रीभानसिंह : This can be settled outside the House.

श्री अध्यक्ष : You were very keen to have the explanation in the House.

श्री श्रीभानसिंह : I was keen to have the explanation, but not the bargain Sir.

श्री शंकरलाल : मैंनें सदन के सामने बताया कि जिस जमीन का सरकार ने २५००) रुपया दिया उतनी ही जमीन का हमने पांच हज़ार दिया और उसको अगर माननीय सदस्य की खरीदने की इच्छा है या उसके अन्दर माननीय सदस्य को कोई बड़ा भारी लाभ दिखाई पड़ता है तो मैं इस बात को मानता हूँ कि खुशी से मेरे और दूसरे माननीय सदस्य देने को तैयार हों तो दस हजार में क्या पांच हजार में देने को तैयार हूँ। मैं इसे न लाख रुपये की जमीन समझता हूँ और न सरकार से हमने इसे खरीदी, न नगरपालिका से ली गई।

मैं बताऊं कि जब यह तथ्य मौजूद है; रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि कोई नगरपालिका से यह जमीन नहीं खरीदी गई, न सरकार से खरीदी गई तो यह स्पष्ट नहीं है क्यों कि जो आरोप उन्होंने लगाये वे सही नहीं हैं। मैं इस बारे में चाहता हूँ कि वे जवाब दें। या तो वह इस इल्ज़ाम को साबित करें, या रजिस्टर्ड डीड को झूठा साबित करें या जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनको वापिस लें या अपनी सत्यता बताने के लिये स्तीफा दें। अगर उनका वक्तव्य सही हो तो मै स्तीफा देने को तैयार हूँ।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

मैं भी जानता हूँ कि ये आरोप क्यों लगाये गये हैं। कहा तो यह गया कि विरोधी

(श्री शंकरलाल)

दल की नगरपालिका में आवश्यकता है उसके लिये उदाहरण बताते हुए आरोप लगाये। लेकिन ये आरोप लगाये किस लिये, यह मैं बताता हूँ।

आप अपने तीन दिसम्बर के प्रश्नों की सुची देखियेगा। उसमें मनरूपराम जी का एक प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सरपंच बूसी ने तीन हजार का एक गबन किया था और सम्बन्धित विभाग के उपमंत्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है कि उसने गबन किया है और चूंकि यह बूसी का सरपंच इस मामले से सम्बन्धित है और वह तारांकित प्रश्न में आ चुका था, इसलिये उधर से डॉइरेक्शन था कि किसी तरह से मनरूपराम को जो बार बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, रोका जावे। प्रतापगढ़ का पांच सौ रुपया लेकर हिसाब नहीं दिया और उसे भी उपमंत्री महोदय ने मंजूर किया था कि 'हां' उसने कोई हिसाब नहीं दिया।

१२–० मध्यान्ह

साथ में यह तो रही श्री मनरूपराम जी एम० एल० ए० की बात। वह सरपंच उनकी पार्टी के सदस्य हैं और जब उनका बार बार भंडाफोड़ होता है जब बार बार यह साबित होता है कि पार्टी के सदस्य गबन करते हैं और विकास का रुपया लेकर खा जाते हैं और इन सब को दबाने के लिए श्री मनरूपराम जी के ऊपर आरोप लगाये गये। इसलिए मैंने समझा कि इस सदन के सामने एक प्रश्न रखूं कि पाली जिले के अन्दर किसी पार्टी के सदस्य कहलाने वाले अपने फर्जी दस्तावेज़ पेश करके सरकार से कई गुना झूठा मुआवज़ा जागीरों का लिया है। जब मैंने प्रश्न किया था तो माननीय सदस्य ने मुझे बाहर भी कहा था कि नहीं, यह बात नहीं है और उस चीज़ को छुपाने के लिए कि मैं उनकी इस बात का भंडाफोड़ नहीं करूं मेरे ऊपर ये आरोप लगाये गये इसकी शिकायत भी पेश हो चुकी है कि किस प्रकार लोग जाली दस्तावेज, पेश कर के गलत मुआवज़ा सरकार से ले लेते हैं। यह चीज साबित हो चुकी है कि किस प्रकार से गलत दस्तावेज पेश कर के सरकार से ज्यादा मुआवजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जांच की गई और यह साबित हुआ कि दो हजार रुपये की जागीर का मुआवजा बीस हजार रुपये का लिया गया। इसी प्रकार से दूसरे दस्तावेज पेश किये जाते हैं। जिस चीज को मैंने उठाया उसके लिए यह प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार से मनरूपराम और शंकरलाल के खिलाफ आरोप लगाये जायें। श्री-मनरूपरामजी के ऊपर आरोप इसलिए लगाये गये कि वे उनकी पार्टी का भंडाफोड़ नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं हम उनका भंडाफोड़ करेंगे और जरूर करेंगे। जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाये लगे उनके लिए मैंने आपसे सारी स्थिति को स्पष्ट किया। इसलिए जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाये मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसे आरोप न लगाये जायें जिससे केवल एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि सदन की और सदन के सारे माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रकार का धब्बा लगता है कि इस प्रकार से सदस्य करते हैं। मैं दूसरों के लिए भी कहता हूँ कि मेरे राजनैतिक जीवन के लिए कोई भी एक वाक्य बता दें जहां मैंने सरकार से या दूसरे व्यक्तियों से लाभ उठाया हो तो मैं कहता हूं कि मैं स्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

श्री अनूपसिंह : जय हो, जय हो.

श्री शंकरलाल : (जारी) इस प्रकार से लांछन लगाना और अपने आरोपों को छुपाने के लिए, हमारे ऊपर आरोप लगा कर जनता को गुमराह किया जाता है। लेकिन इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इससे तो उनकी ही पार्टी कमजोर होती है। वे कहते हैं कि विरोधी दल को मजबूत करना चाहिए मगर ऐसा करने से तो वे स्वयं कमजोर होते हैं क्योंकि वह गलत बयान देते हैं। जब झूठे आरोप देते हैं तो विरोधी दल इससे कमजोर होता है। इसको कमजोर करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं बल्कि स्वयं उनके ऊपर है। जब जनता में उनका भंडाफोड़ हो जाता है तो आरोप लगाये जाते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मेरे ऊपर जितनी बातें उठाई गईं उनका मैंने खंडन किया इसलिए भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाये कि वे ऐसा न कहें। उन्होंने बहुत दबी जबान में हमारी बातें कहीं थीं, वे जानते थे कि उन्होंने इसके बारे में पूरी जांच नहीं की है। उन्होंने दबी जबान में ही हमारे नाम बताये मगर नाम बताने के पहले उनको चाहिए था कि वह इस चीज की पूर्ण जांच कर लेते कि वास्तव में क्या वाकया है और क्या उन को कहना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस पर बहस की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बहस नहीं कर रहा हूं। मेरे ऊपर आरोप लगाये उनका जवाब दे देता हूं ....

श्री अध्यक्ष : आरोप तो नहीं लगाये....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री शंकरलाल : On a point of Order Sir. मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और अगर उसके उत्तर में मेरे ऊपर कोई आरोप लगायें तो फिर मुझे भी उत्तर देना पड़ा रूल्स ऑफ प्रोसीज़र में ऐसा है कि अन्डर रूल २२६ जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाये उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी। अगर आप फिर भी कुछ मेरे लिए कहेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जमीन के बारे में ही कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे लगाये गये कुछ आरोपों का एक्सप्लेनेशन दिया। यह उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैंने उनका नाम दबी हुई जबान में बताया था। यह बात बिल्कुल सही है कि मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आदेश पाकर उसकी तामील में उनका नाम बताने के लिए मजबूत होना पड़ा। मैं स्वयं भी चाहता था कि सदन में सदस्यों के ऊपर खुले आरोप न लगाये जायें ताकि सदन में जिस प्रकार की श्रेष्ठ परम्परा होनी चाहिए उन श्रेष्ठ परम्पराओं का निर्माण हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय का आदेश था और मुझे विवश होना पड़ा उनकी तामील के लिए प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि पाली में जो जमीन मिली है वह जमीन

(श्री भैरोंसिंह)

इतनी कम कीमत की है कि उनके दो माननीय सदस्यों के हिस्से के यदि पांच हजार रुपये दे दिये जायें तो वह उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं मैं उन्हीं की भाषा में कहता हूं कि ११४ हिस्सा है और उसमें १।२ हिस्सा जो श्री मनरूपराम जी का है उसके पांच हजार हैं।...........

श्री शंकरलाल : On a point of order sir, अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया था कि एक लाख रुपये के कीमत की जमीन दस हजार मे खरीदी वह गलत है। इस चीज को जानने की बात है। उसी स्टेटमेन्ट के बारे में माननीय सदस्य बतयें कि यह उन्होंने गलत बयान दिया या सही।

भैरोंसिंह : वही तो कह रहा हूं। आप तसल्ली रखिये। जो सेल डीड आप लाये हैं वह तो आपके पास है मगर उसकी नकल भी मेरे पास है। प्रश्न यह है कि १४-१५ आदमियों के हिस्से में जो दो व्यक्तियों का हिस्सा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बहस चल रही है दरअसल यह कोई विवाद और प्रतिवाद चल रहा है या मैं समझता हूं कि किस तरह से हो सकता है। माननीय सदस्य ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया उसके बारे में इस तरह से डिबेट होने लगेगी तो फिर भविष्य में कोई भी प्रश्न हुआ तो सारा समय इसी में लग जायेगा। आपके ऊपर आक्षेप किये गये उनका जवाब दे चुके हैं इस तरह से विवाद में बोलना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के ऊपर जो जमीन के बारे में आरोप लगाये गये उसके ट्रान्जेक्शन के बारे में कहना चाहेंगे, उसका जवाब सिर्फ उसी तक सीमित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।....

श्री अध्यक्ष : जो फैक्ट्स उन्होंने बताये या उनकी जिम्मेवारी है उसी के बारे में बतायें

श्री भैरोंसिंह : उसके बारे में ही बताऊंगा।

श्री शंकरलाल : On a point of order Sir.............

श्री अध्यक्ष : order please, I know adout your quoting.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने हिस्से की कीमत पांच हजार ज्यादा लगाई और कहा कि पांच हजार रुपये उसके दे दिये जायें तो दोनों माननीय सदस्य अपने हिस्से की जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं वह दो हैं १।७ हिस्से। ७ व्यक्तियों के पास इस प्रकार की जमीन होती है तो उन्हीं के शब्दों में इसकी कीमत ३५,००० की होती है। मैंने बताया कि दस हजार की कीमत में जमीन खरीदी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय यदि पाली में जाकर जांच करें आज के दिन जांच करें....

श्री अध्यक्ष : जमीन उसी कॉस्ट की है मान लीजिए लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की क्या गलती हुई क्या गैर कानूनी चीज उन्होंने की ?

श्री भैरोंसिंह : यही तो बता रहा हूं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या नगरपालिका से ली है ?

Page No.25

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य यह बता सकेंगे कि जैसा आपने बताया क्या उसके अलावा खरीदी हैं किसी दूसरे तरीके से ?

श्री भैरोंसिंह : आप धीरज रखें तो सारी बातें बता दूंगा । साथ ही यह भी चाहूंगा कि आप उसकी इन्क्वायरी करें । में यह अ ि कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर कृषि योग्य जमीन यदि आबादी में ट्रांस्फर की जाती है तो उसके लिए नियम होते हैं । उन नियमों के अनुसार यदि आबादी की भूमि को उसको ट्रांस्फर की जाती है उसके लिए हमने एक प्रोसीजर ले डाउन कर रखा है । यदि किसी से हमने कोई भूमि ली है ,इस प्रश्न को छोड़ दीजिए कि मैंने दो हजार में ली, चार हजार में ली या दस हजार में ली है, हो सकता है मेरी इन्फोर्मेशन से मैंने कुछ बातें रखीं कि दस हजार में खरीदी लेकिन इन्फोर्मेशन दूसरी आई है जो यहां सदन के सामने बताना चाहूंगा ।...

अब यदि उस जमीन को आबादी में कन्वर्ट करना होता है तो माननीय सदस्य तथा माननीय राजस्व मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी जो अपना धैर्य खो रहें हैं वे इस सदन में बता दें खड़े होकर कि कृषि योग्य भूमि को आबादी में कन्वर्ट किया गया है वह नियमानुसार हुआ हैं । मैं समझता हूं कि नहीं हुआ है, उसके कुछ रीजन्स होगें ।

श्री अध्यक्ष : उसमें इल्लीगेलिटी है तो उसका तरीका है ठीक करने का । जिस किसी को एतराज हो वह अपील कर सकता है । कमिश्नर के पास जा सकता है, सरकार के पास जा सकता है । सदन में डिबेट करने से क्या तात्पर्य है ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक लाख की जमीन १० हजार में ले ली और अब कह रहे हैं कि आबादी में जो परिवर्तन किया गया है वह नियमानुसार नहीं है । यह चीजें डिबेट में एलॉउ की जारही हैं तो मुझे भी जवाब देना होगा कि वह जमीन आबादी में कन्वर्ट की गई है या नहीं और किस प्रकार हुई है । यह दूसरी चीज ले रहे हैं । पहले तो कह रहे थे कि १ लाख की जमीन १० हजार में खरीदी अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि आबादी की जमीन का परिवर्तन किस प्रकार से किया गया है । अगर यह एलाउ किया जाता है तो मैं भी जवाब दूंगा ।

श्री तनसिंह :: उसके खातेदारी राइट्स ट्रान्सफर किये गये है या प्रोपर्टी राइट्स ?

श्री अध्यक्ष :: Whatever rights he had.

श्री शंकरलाल : जो राइट्स काश्तकार को हासोल थे उस जायदाद पर । वही राइट्स खरीदे थे, जो राइट्स सरकार ने २५००) रु० में खरीदे थे । अब आप आबादी में परिवर्तन करने के बारे में । इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप दिक्कतें मिटाने के रूप में दिक्कतें बढ़ा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, में अर्ज कर रहा हूं कि कृषि योग्य भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर ले डाउन है उस प्रोसीजर के आधार पर इस जमीन को आबादी में कन्वर्ट किया जाता तो अध्यक्ष महोदय, तो आज इस सदन के सामने, मुख्य मंत्रीजी के सामने, राजस्व मंत्री जी के सामने मैं फिर दबे हुए शब्दो में नहीं

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

बल्कि पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि उस जमीन की नीलामी बोली पाली में एक लाख से कम कीमत की नहीं होनी चाहिए थी। यदि वे इस चुनौती को स्वीकार करें तो खड़े हो जायं और कह दें कि अगर उस जमीन को नीलाम किया जाता तो इतना रुपया नहीं आ सकता था। मैं मानता हूं कि तरीका गलत हो सकता है। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि कुछ प्रोसीजरल मिस्केट के कारण एक आदमी को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है इस प्रकार का लाभ ए
को दिला रही है। इस विषय में जो नियम हैं वे सारी जनता के लिए एक से लागू हों। वही जमीन जो आबादी में कन्वर्ट होने वाला है काफी कीमत की हो सकती है, यदि उसका यह आधार समझें कि सरकार जो नियम बना रही हैं कम्पेन्सेशन के, सरकार का एक आमदनी का मल्टीपल है उसकी जो व्यवस्था कर रखी हैं इतनी कीमत दी है वह ज्यादा है यह तरीका ठीक नहीं हैं। नीलाम होकर जमीन कन्वर्ट होनी चाहिए थी। कृषि योग्य भूमि किसी भी रूप से आबादी के लिए आती है तो पहले वह जमीन म्युनिसिपेलिटी को दी जाय या नगरपालिका को दी जाय। इस में न वह जमीन म्युनिसिपेलिटी को दी गई और न नगरपालिका को दी गई।...

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य ने अपना एक्स्प्लेनेशन दिया है। अब आपका दृष्टिकोण है कि एक लाख किस तरह से है। सारा ट्रान्जेक्शन गलत चीज हैं तो उसके दूसरे तरीके है ठीक करने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : वह चीज मैं नही कह रहा हूं।

दूसरा आरोप लगाया है अच्छा तो यह होता कि वे स्पष्टी करण कर देते। एक माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने दो प्रश्न मेरे किसी रिश्तेदार के बारे में पूछे थे। अगर माननीय सदस्य के ध्यान में हो कि वे मेरे रिश्तेदार हैं तो बतायें।

श्री शंकरलाल : मैंने रिश्तेदार का नहीं पार्टी का कहा था।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि मैंने एक जागीरदार का नाम केवल जब प्रश्न रखा है तब पूछा है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि मुझे यह इल्म नहीं है कि वे मेरी पार्टी के सदस्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पार्टी के सदस्य होते हैं उनके खिलाफ बोला हूं अगर उनके द्वारा कोई अनियमित कार्यवाही की गई है तो मुझे उसमें संकोच नहीं हुआ। मैं किसी प्रकार का संरक्षण देने को तैयार नहीं हूंगा। यह आदत दूसरी जगह है। मेरी पार्टी में यह आदत कभी नहीं मिलेगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इन दो प्रश्नों का संबंध मेरे रिश्तेदार से या पार्टी से उसका संबंध बताया जाय। आज तक किसी विषय में कोई जानकारी नहीं है।

१२. १५. म० प०

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री हीराभाई सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी सम्बन्धी घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री हीरजी, सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित तार प्राप्त हुए हैं :

(श्री अध्यक्ष)

(1) "Khushalgarh.

Dated, the 4th December, 1958. Heerabhai M. L. A. Khushalgarh Constituency Arrested under Section 151 I.P.S. Today Afternoon,

Police Inspector Khushalgarh."

(2) "Khushalgarh.

Dated the 5th December. 1958. Heerabhai M L.A. Khushalgarh Constituency was tried Convicted and Sentenced to Five Months Simple Imprisonment and Fine of Rs. 100 and Further Imprisonment of One Month in Default Today Under Section 151 I.P.S.

Sub Divisional Magistrate
Khushalgarh."

श्री भैरोंसिंह : गिरफ्तार कब किये गये हैं, फोर्थ को या फिफ्थ को।

श्री अध्यक्ष : तार दिया है उसमें है 'टू डे'।

श्री भैरोंसिंह : यानी फोर्थ को गिरफ्तार किया हो और तार दिया हैं फिफ्थ को। इसकी इत्तला जिस दिन गिरफ्तार किये गये हों उसी दिन रवाना की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उसी दिन दिया गया था। उसमें लिखा है, "Today afternoon"

१२. १८. म० प०

विधायी कार्य।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

(१) राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (अडेप्टेशन) आर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोर्ट फीज एड (अडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५८, को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विरोध करने के और भी मौके आयेंगे माननीय सदस्य के लिए।

एक माननीय सदस्य : आदत पड़ गई है।

श्री अध्यक्ष : परम्पराओं का जहां तक तक सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल में भेद मान लें तो परम्पराओं पर कोई आघात नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : परम्पराओं की दुहाई उधर से हुई थी, इसलिए कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(२) राजस्थान एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(३) राजस्थान होल्डिंग्ज (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) तृतीय संशोधन विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) तृतीय संशोधन विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२. १६. म० प०

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदार उत्सादन विधेयक, १६५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६ पर विचार हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि इस बार भी यह कोशिश की गई कि जो बिल्स और बिजनेस इस सदन के समक्ष हैं उसके बारे में बिजनेस कमेटी से मिल कर समय निर्धारित कर लें। आपने भी जो कुछ इतने समय में हमारा बिजनेस ट्रान्जेक्ट हुआ है उस पर विचार किया होगा, और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जितने समय तक हम बैठे हैं उसको देखते हुए हमने कितना बिजनेस यहां पर ट्रान्जेक्ट किया है ? बिजनेस कमेटी से आम तौर से इसलिए मिलते हैं कि उसके अन्दर मिलकर सारी पार्टीज के प्रतिनिधि उसका समय निर्धारित कर लें। मगर सदन में आये बाद उस पर गंभीर रह कर पूरा नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता कि शायद आपके लिए भी और सदन के सब माननीय सदस्यों के लिए भी यह बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो जायगी कि कौन सा बिल कब पास होगा और कब नहीं, और किस चीज को यहां सदन के अन्दर चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सारे सदन के लिये विचारणीय प्रश्न है। हम जब कि बिजनेस कमेटी के अन्दर मिले हैं और उसका समय निर्धारित कर लेते हैं तो उसके अनुसार फिर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सदन की कार्यवाही को इस प्रकार से

Page No.29

(श्री मोहनलालसुखाड़िया)

रेग्युलेट करें कि जिससे यह कार्यवाही सारी की सारी समय पर हो पाये, वर्ना काफी उलझन पैदा होगी ? बहुत सारा बिजनेस यों का यों ही एक सदन के बाद दूसरे सदन तक यों ही पड़ा रह जायगा। म्युनिसिपल बिल कई सैशन्स से इस प्रकार से पोस्टपोन होता आ रहा है। उसको हम पूरा नहीं कर सके हैं। जमींदारी एबॉलिशन बिल में अभी ६ छठी क्लॉज इसकी पास कर रहे है। इस रफ्तार से चलें तो मैं नहीं जानता कि कितने समय में पूरा होगा। दूसरे सदनों में भी काम करते हैं। वहां पर बिजनेस रेग्युलेट होता है। उस प्रकार से बिजनेस रेग्युलेट होने में सभी सहयोग दें तो उचित होगा जिससे बिजनेस का काम पूरा हो।

श्री अध्यक्ष : जहां तक जमींदारी, बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल का प्रश्न है हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय से ७ दिन इसके लिये रखे हैं, जिनमें से २ दिन हो गये हैं और ५ दिन बाकी और रहते हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बिल को एक साथ ले लिया जाय ताकि लगातार बैठ कर इसको पास कर लें और सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट को बाद में ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): २ दिन हो गये हैं और मैंने अर्ज किया था कि इसको लगातार ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: पहले इसी को निपटा दें। साथ के साथ विचार विमर्श होता रहे तो इससे सहायता ही मिलेगी। मेरा ख्याल है ७ दिन में हम इसे समाप्त कर सकते हैं। यह किस तरह से हो सकता है इसके बारे में कमेटी में बैठकर वापिस विचार कर लेंगे। यह हो सकता है कि थर्ड रीडिंग में एक या आधा दिन रखलें और बाकी दिनों के लिये क्लॉजेज मुकर्रर करलें कि इतनी क्लॉजेज रोजाना करनी होंगी नहीं तो आखिरी समय में रश शुरू करना पडेगा ताकि जो सीमा निर्धारित है उसमें यह बिल पास हो जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदारी एबॉलिशन बिल की धारा ६ के विषय में सदन में वाद-विवाद चल रहा है। मैंने इस जमीदारी बिल का जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स है वह देखा और उसके बाद इसकी आखिरी चार लाइनें, जो मैं समझता हूँ इस धारा से काफी संबंध रखती हैं, अच्छी तरह से पढ़ा और उनका मान भी किया। उसमें लिखा है

"Its provisions, which are self-explanatory, have been drawn up after taking into consideration the report and recommendations of the Zamidari Abolition Committee appointed by the State Government."

अध्यक्ष महोदय, इसके द्वारा यह विश्वास करना पड़ता है कि इस कानून की जो धारायें हैं और जिस भावना को लेकर इस कानून की धाराओं को बनाया गया है उन सबके पीछे जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट का समावेश होता है। लेकिन मैंने जब उन्हीं चार लाइनों को पढ़ने के बाद जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जमीदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट में जिन बातों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है उसके विपरीत राजस्थान जमींदारी एबॉलिशन बिल में आचरण करने की चेष्टा की गई है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सन् ५३ का

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न आता है उस समय भी कई सदस्यों द्वारा इस बात की जानकारी चाही गई थी सन् ५३ या ५ वर्ष के पहले के जितने जमीन के संबंध में ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं वे सब नल एण्ड वोइड करार दिए जायेंगे। इस सन ५३ के पीछे या पांच साल के पहले के प्रोविजन के पीछे क्या लौजिक हैं और किस कारण से सन् ५३ निर्धारित किया गया हैं और किस कारण से पांच वर्ष पहले का पीरियड निर्धारित किया गया? मैं समझता हूँ स्पष्ट तौर से इस बिल और रिपोर्ट से भी इन दोनों बातों का कारण मालूम नहीं होता। बल्कि जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट में, जिसके चेयरमैन स्वयं राजस्व मंत्रीजी थे, यहां तक स्वीकार किया है कि सन् ४६ के बाद में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस सबको नल एण्ड वोइड करार दिया जायगा। इन दोनों बातों को थोड़े समय के लिये दूर रखा जाय और इस बात की जांच की जाय कि इन सब बातों के होते हुए भी हमें नुकसान क्या होगा, इसके पैराग्राफ में लिखा है; Effects of legislative measures on Zamindari.' इसमें लिखा है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, लैंड रिफोर्म्स एक्ट और काश्तकारों सम्बन्धी जो कानून लागू हुए हैं उनका निचोड़ पैराग्राफ २२ में दिया है: "As a result of these legislative measure, the evila inherent in the zamindari system have been almost completely removed and the zamindars and biawedars, even if they continue to exist in law, have been rendered completely harmless." इसका मतलब यह हुआ, हालांकि राजस्व मन्त्रीजी यह लिखने के बाद आगे काफी सतर्क हो गये हैं और इस बात को स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने से यह न समझा जाय कि राजस्थान सरकार जमींदारी एबॉलिश करना पसन्द नहीं करती, आगे इसमें लिखा है कि इंटरमीडियरीज़ को समाप्त करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ रही है। राजस्थान में एग्रेरियन रिफोर्म्स या लैंड रिफोर्म्स कानून बनाया है और वे सब काश्तकारों पर लागू हुए हैं, राजस्थान में जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया है लेकिन इन शब्दों के आधार पर ऐसा लगता है कि जमींदारी एबॉलिश होगी और इन्टरमीडियेरीज की व्यवस्था खत्म होगी लेकिन जमींदार हार्मलैस हैं। इससे मुझे लगता है कि जहां एक तरफ रिपोर्ट के आधार पर सिवाय एक दृष्टि के बाकी सभी दृष्टिकोण से जमींदारों को हार्मलैस समझते हैं। बाकी जितने भी कानून हैं वे लागू हो गये इस प्रकार की बात स्वीकार करते हैं उसके बाद कौन सी दिक्कत पेश हुई कि जिसके कारण यह धारा ६ रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, धारा ६ के अन्दर जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट में व्यवस्था की गई है कि यदि जागीरदार ने इस प्रकार के इन्टेन्शन से जमीन बेची है कि जागीरें खत्म होने वाली हैं इसलिए इसे बेच दिया जाय और इस तरह से उसने एवरेज इन्कम को बढ़ाया है और बढ़ाई हुई इन्कम के आधार पर कम्पेन्सेशन मांग रहा हो तो उसको उतना कम्पेन्शेन नहीं दिया जायगा, यह बात तो फिर भी समझ में आ सकती है लेकिन यहां तो जमींदारी को हार्मलैस माना है, जमींदारी एबॉलिशन कानून लागू हो रहा है, और जो दूसरे कानून लागू हुए हैं उनके अन्तर्गत राजस्थान में कोई अपनी मर्जी से बिना सरकार को इन्टीमेट किये अपनी जमीन का ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकेगा, इन सब बातों का उल्लेख राजस्व मन्त्रीजी ने

(श्री भैरोंसिंह)

अपनी रिपोर्ट में किया है और जमींदारों को हार्मलेस बताया है । यदि ऐसे हार्मलेस की यहां व्यवस्था करेंगे तो उसका प्रभाव होगा नहीं । मैं आज भी कहता हूँ कि जिन्होंने जमीन बेची है या जिन्होंने अपनी प्रोपर्टी लीज पर दी है उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि नुकसान उनका होगा जिन्होंने जमीन खरीदी है । उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊंगा कि एक जमींदार ने सन् ५३ के बाद में अपनी जमीनें बेचीं और उसके बदले में उसने पैसा लिया । उसके बाद में जितनी जमीन खरीदी उसने उस पर मकान बनाया लेकिन अब जो कानून पास हो रहा है उसके द्वारा परिस्थिति यह होगी कि जिसने उस जमीन पर बिल्डिंग बनवा ली या और कोई व्यवस्था कर ली हो तो उसका सारी की सारी व्यवस्था नल एन्ड वोइड हो जाती है और उसने जमीन खरीदी है इसे रिकोग्नाइज नहीं किया जा रहा है और जिसने उस पर बिल्डिंग बनाई है वह इस पोजिशन में आ जाता है कि उसके और जमींदार के बीच झगड़ा खड़ा होने वाला है । मैं समझता हूँ बड़ी हुई इन्कम पर मुआवजा न देने की बात होती तो समझ में आ सकती थी । लेकिन उसके विपरीत जिसने पैसा लेकर जमीन बेची है या ट्रान्सफर की है उसको नल एण्ड वोइड कैसे किया जा रहा है, यह समझ में नहीं आता । अध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था से जमींदार को नुकसान नहीं होगा और न सरकार को नुकसान होगा बल्कि नुकसान उसको होगा जिसने जमींदार से जमीन खरीदी है, या जिसने फोरेस्ट लीज़ पर लिया है और उसके लिये जमींदार से ट्रान्जेक्शन किया है उसको जबर्दस्ती से नुकसान उठाना पड़ेगा यह अनकांस्टीट्यूशनल बात होगी । यह कहा जा सकता है कि कानून में छूट है कि वह अदालत में दावा कर सकता है लेकिन इससे भी उसको बड़ी परेशानी होगी । यदि उनको यह जानकारी पहले हो जाती तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी जमींदार से जमीन नहीं खरीदता । आज केवल यह कहकर कि जमींदार जो काश्तकारों का शोषण करने वाले हैं उनको खत्म नहीं किया गया तो इन्टरमीडियेरीज़ के के रूप में काश्तकारों का शोषण किया जायगा । उनको आप भले ही खत्म करो लेकिन जो ट्रान्जेक्शन बोनाफाइडी से किये गये हैं उनको कैसे खत्म कर रहे हैं ?

अब प्रश्न यह आता है कि सरकार ने यह राइडर क्लॉज़ रखा है, इस प्रकार की व्यवस्था रखी है कि जिस जमींदार से सरकार खुश है, जिसके बारे में हमारा भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इस बात का सर्टीफिकेट दे दे कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट के ऑब्जेक्ट को डिफीट करने के वास्ते जमीन को नहीं बेचा है और रूटिन कोर्स में बेची है तो सरकार उस प्रकार के ट्रान्जेक्शन को रिकग्नाइज़ करेगी । यह समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार के कानून को पास करते समय जिस एक चीज को ज्यादती समझती है, लेकिन कुछ लोगों के इन्ट्रेस्ट की रोकथाम के लिए अपने हाथ में एक हथियार रखना चाहती है कि जिस जमींदार को चाहे, उसे गवर्नमेंट अधिकार दे दे, जिस जमींदार को आप ओब्लाइज़ करना चाहे, उसे इस प्रकार के अधिकार दे दें । मैं समझता हूं कि यह कानून बन रहा है, यह जमींदारों का अबोलिशन करने के लिए है, जमींदारों को हरेस करने की दृष्टि से नहीं बन रहा है, एक सिस्टम को समाप्त करने की

(श्री भैरोंसिंह)

दृष्टि से बन रहा है, उनके इन्ट्रेस्ट को समाप्त करने की दृष्टि से यह नहीं बन रहा है। बदकिस्मती से कुछ जागीरदार या जमींदार हैं, जिन्होंने जागीरदार या जमींदार के घर में जन्म लिया है, केवल जागीरदार या जमींदार के घर में जन्म लेने के कारण से ही, जागीरदार या जमींदार होने के कारण से ही उसे हरेस किया जाय, यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। एक दृष्टिकोण हमारे सामने होना चाहिए और वह इस प्रकार का होना चाहिए कि जिस आदमी की इकॉनोमिक और सोशल पोजिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वे लोग अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट हो सकें, उनको अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट करें ताकि वे अपना जीवन व्यतीत कर सकें क्योंकि वे देश के नागरिक हैं और नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों की गारन्टी हमारे कॉन्स्टीट्यूशन द्वारा मिली हुई है, जिन चीजों का वे उपभोग कर सकते हैं, वे उनके उपभोग की चीजें बनी रहें। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्रीजी कहेंगे कि वे तहसीलदार या कलेक्टर से सर्टीफिकेट ले लें कि १६५३ में या इसके बाद जो जमींदार ने ट्रान्जेक्शन किया है, वह जमींदारी एबोलिशन बिल के ऑब्जेक्ट को डिफीट करने की गर्ज से नहीं किया है। अभी इसकी चर्चा हुई कि कुछ कलेक्टर मिलजुल कर कम्पेन्सेशन के मामलों में, जहां १ हजार मिलना चाहिए, वहां उससे ज्यादा दिलवा रहे हैं। जहां इस प्रकार की मशीनरी हो तो ऐसी सूरत में मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का क्लॉज़ इस एक्ट में रखने से न तो कोई सुधार होगा, न कोई सुविधाजनक व्यवस्था होगी, उल्टे मुकदमेबाजी होगी, झगड़े होंगे। यह ऐसा क्लॉज़ नहीं है जिसे इस कानून में रखने की आवश्यकता महसूस हो। इन शब्दों के साथ मैं सदन से और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ बिल्कुल अनावश्यक है और झगड़े पैदा करने वाला है। इससे न तो सरकार का लाभ होगा और न जनता का लाभ होगा। जिन काश्तकारों का ट्रान्जेक्शन जमींदारों से हो गया है, उनका निश्चित रूप से नुकसान होगा और यह हम नहीं चाहते कि काश्तकारों का नुकसान हो। ऐसी स्थिति में मैं राजस्व-मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दें। वे नहीं करते हैं तो उनके इस रेट्रोगेटिव स्टेप का विरोध करने के लिए, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को बिल में से हटाने की उन्हें चेष्टा करनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट आये है क्लॉज़ ६ पर, उनका अलग अलग जवाब मैं पेश करूंगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि एक दलील पेश की जाती है कि जमींदार ने अपनी ज़मीन बेची थी, जो कम्पेन्सेशन इस जमींदारी अबोलिशन बिल के तहत मिलेगा, वह ओरिजिनल जमींदार को लेने का हक नहीं होगा और जो उनका सक्सेसर होगा, उसको कम्पेन्सेशन दे देगी सरकार। मैं समझता हूँ कि इससे असर पड़ने वाला नहीं है। यह ठीक है कि जहां तक एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कोई ज़मीन को बेचता है, उसमें यह प्रश्न पैदा हो सकता है। मगर दूसरा सवाल है कि बहुत सी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बेच दी जाय। उस अर्से में बेच दी जाय जब जमींदारी एबोलिशन बिल आ रहा हो तो वह गवर्नमेंट को डिप्राइव कर सकता है। फिर यह देखने की भी बात है कि ऐसे पर्पज़

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के लिए जमीन बेची हो जिस पर्पज़ के लिए जमीन नहीं है; यह चीज भी देखने की है। वैसे तो बिल बनाया है, उसके पहले जो रिपोर्ट कमेटी की आई है, उसमें यह शंका नहीं है कि १९४९ में जो ट्रांसफर हुए हैं उनको इन्वेलिड करार देने के लिए उस कमेटी ने रिकमन्ड किया है। वह इसलिए रिकमन्ड किया था कि जब जमींदारों को यह बात मालूम होगी कि जमींदारी एबोलिशन हो रहा है तो जिन्होंने ऐसे ट्रान्सफर किये हों, वेल्यू कन्सीडरेशन से एग्रीकल्चर पर्पज़ के लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बेच दिये हों, इसी प्रकार फॉरेस्ट की लोंग लीजेज दे दी हों; वे दे सकते हैं आयन्दा के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को डिप्राइव करने के लिए। मैं फॉरेस्ट के लिए कहूँगा कि फोरेस्ट का मसला ऐसा है कि वे गवर्नमेंट को डिप्राइव करने की या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ यह मन्शा नहीं है कि उनको कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़े, इसलिए इस क्लॉज को नहीं रखना चाहता। मैं इसको इसलिए ही नहीं रखना चाहता बल्कि आज जो यहां जमींदारी का प्रश्न है, वही यू० पी० में था, मध्य भारत में था, और वही अजमेर में था। जो राइट यहां जमींदारों के हैं वे ही वहां थे। वे जमीन बेच सकते थे लेकिन कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन्स थे। भरतपुर और अलवर के लिए उन्होंने स्वयं रिपोर्ट में से पढ़ कर सुनाया कि वहां क्लीयर रेस्ट्रिक्शन थे। बावजूद इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हुए भी कुछ ट्रान्सफर किये होंगे, क्योंकि कुछ सरकमवेन्शन ऑफ लॉ होता है। जमींदारों ने इस प्रकार की कार्यवाही की है और जो जमीन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए थी, उसका इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिए फिक्टीसियस ट्रान्सफर किया है, इसलिये यह क्लॉज़ रखना पड़ेगा। मैं कानून इसलिये पेश नहीं करता कि मुकदमे चलें, लेकिन आप भरतपुर और अलवर में देखिये कि वहां जो चरागाह और कॉमन फील्ड था, वह रह नहीं गया है और उसका फिक्टीसियस ट्रान्जेक्शन नहीं हुआ है ....

श्री भैरोंसिंह : यहां नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इसलिये ही जमींदारी एबोलिशन में यह प्रिन्सिपल रखा है और जो इस प्रकार के ट्रान्सफर इन एन्टीसिपेशन ऑफ जमींदारी एबोलिशन हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है....

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न होता है कम्पेन्सेशन का। For the sake of compensation only.

श्री दामोदरलाल व्यास : Please listen to me. There should be no interruptions like this, Sir. If he wants any facts from me I will give him but he should not interrupt me when I am explaining my own case.

दूसरी बात यह है कि शामलात देह की जमीन हैं, उसमें पोजिशन पैदा हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें मैं नहीं जाता लेकिन ऐसी पोजिशन पैदा हो सकती है। शामलात देह की सारी की सारी जमीन को अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो इन एन्टीसिपेशन ऑफ जमींदारी एबोलिशन, ट्रान्सफर कर दिया, अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया तो गवर्नमेंट को डिप्राइव कर सकता है और स्टेट को भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिप्राइव कर सकता है, गवर्नमेंट में वेस्ट होने से रोक सकता है। यह एक्ट के पर्पज़ को इफेक्ट करेगा। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के दफा २८, २६ में देखेंगे कि हमने इससे गवर्न कर रखा है इसलिए यह कहना कि जमींदारों ने ठीक तरह से लैंड को बेचा है, यह जरूरी है। इसी तरह के प्रोविजन्स यू० पी० के कानून में हैं, मध्य भारत के कानून में भी प्रोविजन है, अजमेर में भी जो जमींदारी एबोलिशन कानून है उसमें भी इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स लगाये गये हैं। ये इसलिये लगाये गये हैं कि उनका इन्ट्रेस्ट सेफ गार्ड हो, पब्लिक का इन्ट्रेस्ट सेफ गार्ड हो और लॉ को सरकम्वेन्ट न कर सकें, नाजायज फायदा उठाने के लिए जमीन को ट्रान्सफर न कर सकें। It effects only those transfers which have been made by the Zamindars in anticipation of the abolition of Zamindari to deprive the public and State Government of certain advantages which we get due to abolition of Zamindari.

जो ट्रान्जेक्शन कानून के अनुसार किया जाता है, वह वैलिड होगा लेकिन जो ईमानदारी के साथ, नेकनीयती के साथ नहीं किया गया है और इन एन्टीसिपेशन ऑफ जमींदारी एबोलिशन, फ्रॉड करने के लिए किया गया है, वह नल एन्ड वॉइड होगा। उसका पार्ट २ से सम्बन्ध है, पार्ट १ से सम्बन्ध नहीं है। सेकिंड के बारे में अर्ज करूंगा कि ट्रान्सफर ऑफ लैंड के बारे में है कि जो फॉरेस्ट की लीज़ के बारे में है, ऐसी लीज़ होगी तो उसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी....

श्री भैरोंसिंह : On a point of Clarification, Sir, माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि ऐसा ट्रान्सफर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूँ जो ट्रान्सफर गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऑर्डर से, प्रॉपर ऑथोरिटी की सैंक्शन के बाद में हुआ है, उसके बारे में यह राइडर क्लॉज़ लागू नहीं होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कोल्यूजन में ऑर्डर ओब्टेन किये हैं तो वह भी सज़ा पायेगा और वह भी पायेगा जिसने ऐसे ऑर्डर दिये हैं। कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है और उसकी सेंक्शन से क्या होता है ? लॉ कानून में जो असर उसका होगा, वह होगा ही न उसको मैं रोक सकता हूँ और न यह कानून ही रोक सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन मेरा यह है कि इसके बाद भी राइडर क्लॉज़ लागू होगा कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not possible for me to answer hypothetical questions, Sir, let him put....

श्री भैरोंसिंह : Here is the report of the Hon'ble Minister, Sir, that in Bharatpur, Alwar, Ganganagar and Kot-Putli no transfer can be made without the permission of the State Government.

तो जहां स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से इस प्रकार का ट्रान्सफर हुआ है तो उसके बारे में राजस्व मंत्रीजी ने साफ नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन से हुआ है तो कौन रोक सकता है ? ....They are definitely valid, who can challenge them ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है....transfers Which were valid as on the date

(श्री अध्यक्ष)

they were made. इसको भी आप इसके द्वारा चेलेंज़ कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : If they were valid according to law and were not fictitious or not void.

श्री भैरोंसिंह : How can you say that it was fictitious when it is sanctioned by the Government ?

श्री अध्यक्ष : Transfer according to rules as on the date it was made... 'ट्रान्सफर' वर्ड यूज़ किया है। Transfer means a valid transfer. पर्मिशन लेने के बाद ही ट्रान्सफर होना जरूरी है। इसको भी आपने रीओपन किया है कि शर्तें पूरी हों तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट सैंक्शन लाज़िमी थी और गवर्नमेंट सैंक्शन मिल गई और ट्रान्सफर हुई है तो वह सर्टेनली वेलिड है।

श्री भैरोंसिंह : हो ही नहीं सकती....

श्री अध्यक्ष : ठीक है उनका कहना। आपकी आपत्ति है वह इससे दूर हो जाती है, For any purpose of this Act

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, for any purpose of this Act. Not for cultivation or transfer of khatedari or things like that.

श्री अध्यक्ष : यह डाउट इसी वजह से हुआ था।

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying. But there can be cases where the rent may be only Rs. 15, but the land has been sold for non-agricultural purposes for 15,000/- and he may claim compensation for that. How can we pay him ?

For the purpose of this Act...

यह नहीं समझना चाहिये कि राजस्थान में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर्मिशन से ट्रान्सफर हुआ करते थे। कई जगह पर्मिशन से ट्रान्सफर्स होते थे और कई जगह बिना पर्मिशन के भी ट्रान्सफर्स हुआ करते थे। गवर्नमेंट की सैंक्शन है तो चेलेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तो उन ट्रान्सफर्स के लिये है कि :

"if such transfer is established to have been made not in good faith and in the normal course of management but in anticipation of abolition of Zamindari and Biswedari rights.

नॉर्मल कोर्स ऑफ मेनेजमेंट में किया है, गवर्नमेंट की सैंक्शन से किया है तो चेलेंज़ नहीं किया जायगा। There is no question of chellenging it.

और तरह से ट्रान्सफर किया है उसमें चेलेंज करने का सवाल है। फोरेस्ट का है उसमें मैंने ५ साल का पीरियड ज्यादा रखा है। सदन की बहस सुनने के बाद मैं इस राय पर पहुँचा हूँ कि ५ साल का पीरियड फोरेस्ट्स के लिये ज्यादा रखा है। धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य का ५ साल की बजाय ३ साल रखने का अमेंडमेंट है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। फोरेस्ट के लिये इतना लम्बा ठेका देने के लिये मैं तैयार नहीं। पिछला तजुर्बा हमें बताता है कि बहुत से जागीदारों ने फोरेस्ट्स इस तरह ठेके पर दिये हैं, वह ठीक फोरेस्ट्स के ठेकेदारों को बहुत से नहीं है। इसलिये ५ साल के स्थान पर तीन

Page No.36

(श्री दामोदरलाल व्यास)

साल रखने का अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने दिया है; उसे मैं स्वीकार करता हूँ। बाकी सब अमेंडमेंट पेश हुए उनका मैं विरोध करता हूँ।

एक तो फोरेस्ट का........"relieving whether in whole or in part, a tenant from liability for payment of rent for any land comprised in his holding."

यह ऐसा प्रोविजन है कि किसी को रेंट फ्री कर देने का अधिकार नहीं था और देना भी नहीं चाहिये जब कि जागीरें रिजम्पशन हो रही हैं। यहां यह ५३ का भी मैंने रियायती तौर पर रखा है, होना तो ४६ से चाहिये क्योंकि ४६ के बाद में जागीरदार और जमींदार समझ गये थे कि जागीरदारी और जमींदारी का एबोलिशन होगा। जागीरदारों का चूंकि स्पेशल लॉ बनने की बात थी, इसलिये ये शब्द उसमें से निकाल दिये थे, जमींदारों को तो ४६ से ही मालूम है कि जमींदारी एबोलिशन होगी। १९५२ में उनके लिये लॉ बन गया था........

श्री रघुबीरसिंह (जावली): On a point of information, Sir, इसमें राजस्व मंत्री महोदय ने फरमाया था कि ये रेंट फ्री नहीं रहनी चाहिये तो मुझे ऐसा अनुभव है कि बहुत से जमींदारी इलाकों में मन्दिरों के भोग खर्चे के लिए रेंट फ्री ग्रान्ट दी हुई है उनका क्या होगा ? सरकार उन्हें क्या माफी ट्रीट करेगी या क्या ट्रीट किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : "...relieving, whether.. ....holding," इसका इन्टरप्रिटेशन जागीर रिजम्पशन एक्ट में हुआ है, वैसा ही होगा। नॉर्मल केस में दी है मन्दिर को तो मानी जायगी, रेंट फ्री किसी काश्तकार को दी है, तो...that is a different matter altogether.

माफी दी गई है तो अलग बात है। जागीर एबोलिशन एक्ट में मन्दिरों की माफी का जिस प्रकार किया है वैसा इसमें भी हो जायगा।

श्री रघुबीरसिंह : जागीर की माफी दी है उसमें सेपरेट जागीर ट्रीट कर ली गई है। पर इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सेपरेट ग्रान्ट होगी। इस कानून के अनुसार मन्दिरों को दी हुई जमीनें हैं उन पर भी लगान लग जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस वक्त जमींदारी माफी का कानून डिस्कस नहीं हो रहा है, यह तो जमींदारी बिस्वेदारी अबॉलिशन के कानून पर डिस्कशन हो रहा है। जो इस डेफिनेशन में कवर होगा उसका रिजम्पशन होगा। माफी का इस कानून से कोई सम्बन्ध नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह: मेरे दो संशोधन प्रस्ताव थे, उनमें से एक तो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया, दूसरा संशोधन मुझे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

Page No.37

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो दूसरा संशोधन डॉ बहादुरसिंह ने....."Substitute the word 'three' for 'five' in sub-clause 2 (a)" रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री बृजमोहनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री श्रीमानसिंह को उनका संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री बृजमोहनलाल, श्री मूलचन्द डागा और श्री भीमसेन ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

तीनों संशोधन गिर गये।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ७ और ८ पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ८ पर मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा ७ स्वीकार की जावे।

(विराम के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि संशोधन धारा ६ पास की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधित धारा ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा ७ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

धारा ७ विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

खण्ड ८

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ८ के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जमींदारी अबॉलिशन एक्ट

(श्री भैरोंसिंह)

की धारा ४, ५ और ६ इस सम्बन्ध में जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनका निर्णय कलेक्टर इन्क्वायरी करने के बाद में करेगा । Clause 8 reads :-

"(1) If any dispute or question arises with respect to any matter specified in section 4 or section 6, such dispute or question shall be referred to the Collector of the District in which the estate vesting in the State Government by virtue of a notification under Section 3 is situate.

और नम्बर २ है

" (2) The Collector shall, after holding in the prescribed manner, such inquiry as he considers necessary, make such order in the matter as he deems fit. "

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि धारा ४,५ और ६ उसके अन्तर्गत जितने भी विवाद खड़े हो जावे उनका निर्णय किसी उच्च अधिकारी से कराना पड़ेगा । मुझे इस बात पर भी कोई आपत्ति नही कि सरकार यह इन्क्वायरी किसी प्रकार के अधिकारी से किसी अवधि में कराले । लेकिन प्रश्न एक आता है कि हमने राजस्थान में जागीर रिजम्पशन के साथ साथ एक व्यवस्था की थी और उसके अनुसार एक अलग से जागीर कमिश्नर का विभाग कायम किया था । मैं ऐसा समझता हूं कि अगर जागीर रिज्मपशन के बाद जागीरदारों के सम्बन्ध में जितने भी विवाद खड़े हुए उसका निपटारा कराने के लिये कमिश्नर की नियुक्ति की उसी तरह से जमींदारों में भी इस प्रकार का प्रावधान रखना जरूरी है । इसके अनुरूप यदि कलेक्टर को अधिकार दे दिये जाते तो राजस्थान में आज तक न तो जागीरदारों का इन्ट्रीम कम्पेन्सेशन तय होता न उनकी पर्सनल पे ही फाइनल होती । इसके अनेक कारण हैं और सरकार भी इसको महसूस करती है कि आज कलेक्टर के पास इतना काम है और उसकी इतनी मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ रहती हैं जिससे कलेक्टर को समय नहीं मिल सकता । अध्यक्ष महोदय, इस बात में मैं समझता हूं कि किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि जमींदारी अबॉलिशन के साथ साथ कुछ लोगों में आर्थिक कठिनाईयें उपस्थित होंगी और उससे बचाने के लिये हमारी राज्य सरकार ने जमींदारों का अलग अलग खातेदार बना कर उनको कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है । यह हमारी संविधान में व्यवस्था रही है कि कोई जमींदारी या जागीरदारी बिना कम्पेन्सेशन के समाप्त नहीं की जा सकती । यह उसका भी एक कारण है जिससे हमने यह कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की है । चाहे हमारे यह संविधान में हो चाहे न हो लेकिन इसके पीछे यह भावना रही है कि जमींदारी और जागीरदारी हो जो उसके द्वारा अपना पेट पालता था उसके सोर्स ऑफ इन्कम पर अधिकार करने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह हमारा फर्ज नहीं है कि उस आदमी को ऐसी स्थिति में छोड़े ....जिसमें आदमी बर्बाद हो जावे और उसके पास खाने को अन्न भी नहीं रहे और न उसके पास पैसे ही रहें । और यही कारण है कि संविधान में हमने यह व्यवस्था की है कि बिना मुआवजे के किसी जागीर या जमींदारी को समाप्त न किया जावे । यह मुआवजा उसकी जमीन की कोई कीमत नहीं है बल्कि रीहेबिलिटेशन के उसके लिये साधन है । जमींदार और सरकार भी और मैं समझता हूँ कि सदन

Page No.39

-(श्री भैरोंसिंह)

भी इस बात को महसूस करेगा कि जिनकी जमीन ली जावेगी उनको किसी रीति से रीहेबिलिटेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से किसी तरह से उनको कुछ मिलेगा। ऐसी हालत में सारा मामला यदि जमींदारों का कलेक्टर को कोर्ट में गया तो कलेक्टर के यहां से उनको जो निर्णय जल्दी मिलना चाहिये नहीं मिलेगा। एक कलेक्टर भरतपुर में क्या ऑर्डर देता है और दूसरा कलेक्टर अलवर में क्या आज्ञा देता है और तीसरा कलेक्टर गंगानगर तीसरे ही ढंग से उस केस को डील करेगा। मैं समझता हूँ और मैं यह भी समझता हूँ कि सदन भी इसको मंजूर करेगा कि जहां जागीरदारों के लिये जागीर कमिश्नर की व्यवस्था हमने की है, जमींदारों के प्रश्न को भी उसी कमिश्नर पर छोड़ दें। जमींदारों के केसेज भी सब जिस तरह से जागीर कमिश्नरी में जागीर के केसेज की व्यवस्था होती है करें, इससे वे भी लाभ उठा लेंगे और दूसरों से सलाह मशविरा हो जावेगा और किस प्रकार से बॉन्ड लेना चाहिये, किस प्रकार से क्लेम्स सेटल करने चाहिये आदि सभी बातों का ज्ञान जागीर कमिश्नर को और वहां के वकीलों को हो चुका है, ऐसी स्थिति में उनको भी उसका फायदा मिल जावेगा। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहूँगा कि यदि इन लोगों की आज्ञाओं का और वकीलों का लाभ उठाना है और जमींदारों को इसका फायदा पहुँचाना है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि जमींदारों के केसेज तय करने के बारे में इसी तरह की व्यवस्था करें। इसमें कई तरह की बारीकियां भी दूर होंगी। एक सेन्ट्रल की होगी जहां पर जमींदार शिकायत कर सकेंगे और जो उनके सामने कठिनाइयां आ रही हों उनको दूर करने के लिये सरकार से आज्ञा ले सकते हैं। इसमें सरकार को भी सूचना दे सकते हैं। सरकार को भी कई कम्पेन्सेशन के प्रोविजन और इन्टेरिम कम्पेन्सेशन और पर्सनल प्रोपर्टी आदि के प्रश्न आते हैं और खुदकाश्त के प्रश्न भी आते हैं। इन सब चीजों के लिये कलेक्टर को अलग अलग से ज्ञान प्राप्त करना होगा। हालांकि यह सही है कि उनको ज्ञान होगा मगर जो मशीनरी जागीर कमिश्नर की है, समय समय पर सर्क्युलर से उनको सूचना मिली है उनका ज्ञान है और जिस प्रकार के बरते हुए तरीके उनके सामने हैं वैसे कलेक्टर के पास नहीं होंगे। कुछ लोगों को कम्पेन्सेशन मिलते हैं और उनको कम्पेन्सेशन में सहूलियतें मिलने लगी हैं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि माननीय राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करें, यह कोई पार्टी का समझौता नहीं यह सहूलियतों के लिये है जागीर कमिश्नर को जमींदारों के लिये रखेंगे तो बहुत अच्छा इन्तजाम होगा और इससे बहुत तरह की कन्ट्रोवर्सीज, अलग अलग तरीके बनाना और अलग अलग व्यवस्था करना और फार्मस बनाना, फार्म तो ऐसा है बनेंगे ही। मगर कुछ फार्म ऐसे हैं जो एक ही तरह से काम में आ सकते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि वाद विवाद तय करने में और कम्पेन्सेशन आदि तय करने में सरकार को सहूलियतें होंगी। इसलिये मैंने अपने विरोध के द्वारा मांग की है कि जागीरदारी के मामले में जागीर कमीश्नर को अधिकार होना चाहिये जिससे जिस प्रकार की जागीरदारों की कार्यवाही करते हैं उसी तरह इसमें भी निर्णय कर लेंगे। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जिस भावना को लेकर मैंने इसका विरोध किया है, माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

यह बात सही है कि इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं आया है और माननीय राजस्व

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री संशोधन नहीं आने का फायदा उठावें जिस प्रकार वे अक्सर उठाते हैं और कह देते हैं। यदि माननीय राजस्व मंत्री कहें तो मेरे पास ड्राफ्ट अमेन्डमेंट हैं, पेश कर सकता हूँ। वे इस पर विचार करें। यह बहुत अच्छी बात होगी।

१ म० प०

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उनके अक्षर अक्षर को मैं मंजूर करता हूँ। और मैं यह समझता हूं कि साधनों के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री महोदय भी इस मामले में अपनी राय के खिलाफ नहीं समझेंगे। यह एक ऐसा विषय है जैसे जागीरों के उन्मूलन का प्रश्न था, उसी प्रकार जमींदारियों के उन्मूलन का यह प्रश्न है। जुदा जुदा कलेक्टर्स अपनी तर्क पर इसको सोचेंगे और देखेंगे तो इसमें बड़ी दिक्कतें पेश हो जाने की सूरत पेश आ जायगी। जैसे जागीरदारी के उन्मूलन का प्रबन्ध किया गया उसी प्रकार इसमें भी प्रबन्ध हो तो बहुत सी दिक्कतें कम आवेंगी और उनका निपटारा भी आसानी से हो सकता है। यह बात जागीरदारी उन्मूलन से कम महत्व की नहीं है। जमींदारियां तो उन जगहों में जहां ज्यादा उर्वर प्रदेश है उनमें अधिक उलझनें हैं और आवेंगी इसलिए यह केवल कलेक्टर्स को न सौंप कर, जिनको अन्य कामों से ही फुरसत नहीं मिलती है अलग प्रबन्ध इसके लिए किया जाय तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए अलग से एक प्रावधान हो जाय कि इसके लिए एक अलग से सेन्ट्रल ऑफिस बने, चाहे इसको जागीरदारी डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत रखा जाय या इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेन्ट हो। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है और अगर इसमें यह दिक्कत रखी जायगी तो अन्य कई दिक्कतें आ जावेंगी। जागीरदारी का प्रश्न अब तक हल नहीं हुआ है और फिर यह सवाल आ रहा है तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेन्ट होने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न वास्तव में कुछ महत्व रखता है विशेषतया इसलिए कि इस क्लॉज के द्वारा कलेक्टर्स को प्राधिकृत किया है कि क्लॉजेज ४, ५, ६ में महत्वपूर्ण बातें हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय लें। मंत्री महोदय ने बताया कि क्लॉज ६ में व्यवस्था की है वह कुछ नीतियों के लिए की है। मैं समझता हूं कि यदि एक नीति को समान रूप से ही सारे राजस्थान में लागू नहीं किया जाता तो जैसा नीति सम्बन्धी वक्तव्य है, जैसा उन्होंने दिया भिन्न भिन्न कलेक्टर्स वैसा करेंगे या नहीं, उनको मालूम भी होगा या नहीं? किसी एक महत्वपूर्ण कानून को लागू करने के लिए एक ही नीति होनी चाहिये। यदि वह एक ही ढंग से संचालित होती हो तो उसमें मतभेद और भिन्न बातें कम पैदा होंगी। कलेक्टर्स को आपने पावर्स दिये हैं। प्राईवेट प्रोपर्टी आदि को डिटर्मिन करने के पावर्स दिये हैं और इनके अधिकार होंगे तो कई कलेक्टर्स हैं और उनके निर्णय भिन्न हो सकते हैं। यदि कलेक्टर्स को ये पॉवर्स देना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई गवर्निंग बोडी होनी चाहिये। सीधा ही डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध हो तो उसकी अपेक्षा कमिश्नर्स को ये अधिकार दे सकते हैं जो उस डिविजन में हों या फिर एडीशनल कमिश्नर्स को ये अधिकार दे सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि जमींदारी के प्रश्न को डील करने के लिए कोई न कोई मशीनरी प्रतिष्ठित

(श्री तनसिंह)

हो । मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर उनको भी विचार करना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दो कारण इस बहस के दौरान में बताये गये हैं । एक तो कलेक्टर्स के पास ऐसे पावर्स नहीं होने चाहिये या उनको ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिये कि वे जमींदारी कानून के ४, ५, ६, दफा के अन्तर्गत के मामले तय कर सकें । पहला कारण यह बताया गया कि जागीर डिपार्टमेन्ट एक्सपर्ट है और कलेक्टर्स को कानून की जानकारी नहीं है । दूसरा यह बताया गया कि कमिशनर्स को पॉवर्स दे दिये जावें ।

मैंने उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखा है कि खास तौर पर जमींदारों को सहूलियतें कहां मिलेंगी और इसीलिए यही सोचा कि कलेक्टर को ही ये अधिकार होने चाहिये । जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान में यह स्वीकार किया है कि इतनी छोटी छोटी बिस्वेदारियां हैं और जो फैली हुई हैं, मैंने यही विचार कर, कलेक्टर्स को अधिकार देने का सोचा है कि जिससे उनको सहूलियतें हों, जागीर डिपार्टमेन्ट में....

श्री भैरोंसिंह : हर डिस्ट्रिक्ट में जागीर डिपार्टमेन्ट का दफ्तर है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप, मैं जो कह रहा हूँ उसको पहले समझ लीजिए । मैं अपने डिपार्टमेन्ट को रन करता हूँ, ज्यादा जानता हूं, आप रन नहीं करते । इस प्रकार इन्टरप्ट करने को परम्परा अच्छी नहीं है, फिर दूसरे भी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यदि ज्यादा काम है तो उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं । The Government has powers to transfer.

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर रिज़म्पशन का सारा काम ही कलेक्टर्स कर रहे हैं । यह कहना कि कलेक्टर्स को मालूम नहीं है, यह गलत है । केस को फाईनल वही करता है । सारा काम कलेक्टर्स की निगरानी में होता है । कलेक्टर का खुद का दफ्तर है और उनकी मदद के लिए डिप्टी कलेक्टर जागीर दिया हुआ है और डिप्टी कलेक्टर जागीर क्लेम्स वैरीफाई करता है लेकिन फाईनल ऑथोरिटी तो कलेक्टर को है । इसलिये इसके बावजूद भी यह कहना कि कलेक्टर्स को मालूम नहीं है यह गलत है यदि जागीर कमिशनर के पास इसको रख दिया जाय तो आई हेव नो ऑब्जेक्शन । लेकिन यदि यह बात जमींदारों के प्रतिनिधि कहते तो मैं उसको समझ सकता था । लेकिन इस पर विचार की जियेकि जमींदारी कितने टुकड़ों में बंटी हुई है और फैली हुई है उन लोगों को कितनी मुश्किल होगी ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जागीरदारों में भी इसी प्रकार हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिप्टी कलेक्टर्स लगे हुए हैं । भरतपुर, गंगानगर में कलेक्टर्स नहीं है और डिप्टी कलेक्टर्स ही काम कर रहे हैं । जागीर रिज़म्पशन का सारा काम ये ही कर रहे हैं । मैंने यह जमींदारों की कन्वीनियेन्स के लिए रखा है । खाली यह लिख देने से कि जागीर कमिशनर यह काम करेंगे इससे नहीं काम चलेगा । कन्वीनियेन्स उन लोगों को कलेक्टर्स के पास रखने से इस बात में रहेगी कि वे अपने क्लेम्स आसानी से फाईनेलाइज़

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करा सकें। जागीर कमिश्नर के पास रखने से मेरे ख्याल से दिक्कतें आवेंगीं।

श्री अध्यक्ष : कार्य इतना बढ़ जाय तो वहां भी डिप्टी कलेक्टर लगा सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप फर्मा रहे हैं वह ठीक है लेकिन ....

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर्स को वहां वे ही पावर्स रखे हैं और वे ही यहां रखे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Jagir Commissioner is the authority for determining the matters there ... उसमें बड़ी जागीरदारी तो है ही नहीं। छोटी छोटी जमींदारियां हैं इसलिए कलेक्टर्स के पास डिसिज़न करा लें। इसमें उनको सहूलियत भी है और गवर्नमेंट को भी सहूलियत है और इसीलिए इन सहूलियतों को ध्यान में रख कर यह प्रोविजन रखा है। अब रहा सवाल इस बात का कि डिफ्रेन्ट कलेक्टर्स लॉ का डिफ्रेन्टइन्टर्प्रिटेशन करते हैं। इसके लिए हम एक फाइनल डिसाइडिंग ओथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड को रख दें उसके पास अपील का प्रोविज़न रख दें।

There is a provision for revision. इसमें हक रख सकते हैं कि दो तीन डिस्ट्रिक्टस के अन्दर एक ही प्रकार के मामले आयें They can have a right to appeal before the Board of Revenue, इसमें पॉलिसी की चीज़ नहीं होगी इन्टर्प्रिटेशन की चीज नहीं होगी The final interpreting authority will be the Board of Revenue and I think, I will put an amendment with appellate powers to the Board of Revenue. अपील का पॉवर्स यहां हम नहीं देते हैं तो डिफ्रेन्ट इन्टर्प्रिटेशन होंगे इस तरह की अपील का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे देते हैं तो गलत इन्टर्प्रिटेशन का डर नहीं रहेगा। इस प्रकार का प्रोविज़न मैं कर देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : जागीरों के कम्पेन्सेशन और सुपर्विज़न और कम्पेन्सेशन प्रश्न जिस प्रकार जागीर कमिश्नर के अन्दर में कर दिया उसी प्रकार यह भी डिप्टी कमिश्नर जागीर के अधिकार में दे देते हैं तो कलेक्टर्स तो अपना वर्क करते रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जरूरत नहीं है इतने छोटे से काम के लिये ....

श्री अध्यक्ष : जिन जिलों में जमींदारियां एबोलिश की जा रही हैं उन जिलों में डिप्टी कमिश्नर्स जागीर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है तो ऐसे ज़िलों में नियुक्त कर दिये जांय।

श्री दामोदरलाल व्यास : Our machinery can do it more efficiently. Why should we burden the office which is already over burdened. This is the convenience of the administration only.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : धारा ६। श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि धारा ६ को स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

खण्ड ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

धारा १० । श्री बृजमोहनलाल शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना प्रस्ताव पेश नहीं करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, १० पर मुझे बोलना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ६ जो सदन ने पास की है उसमें जमींदारों और बिस्वेदारों के लिये व्यवस्था की गई है वह डेट ऑफ वेस्टिंग छः महीने के अन्दर अन्दर अगर उसके पास खुदकाश्त की कमी है तो वह दरख्वास्त पेश करें। इसके बाद क्या प्रोसीज़र होगा इन्क्वायरी किस प्रकार से होगी वह एप्लीकेशन डिस्पोज़ ऑफ कैसे की जायगी इसके बारे में व्यवस्था की गई है धारा १० में। इसमें वह प्रोसीज़र दिया हुआ है एप्लीकेशन जो कलेक्टर को दी गई है उसका कलेक्टर क्या करेगा लिखा है :

Upon receipt of an application under Section 9, the collector may, after holding, in the prescribed manner, such enquiy as he deems necessary. ......

इसके आगे ए० बी० आदि की व्यवस्था की गई एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है:

"(a) reject the application if the applicant and and any member or members of his family together hold khudkasht to the maximum extent provided by section 11, or "

फिर लिखा है कि :

"(b) Subject to the provisions contained in Section 11 and 12 allot to the applicant as khudkasht such area of land, not exceeding the area applied for ashe may deem proper."

अध्यक्ष महोदय, देखने को तो यह धारा बहुत सुन्दर दिखती है ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जहां एक ओर जमींदारी अबॉलिशन कर रही है वहां दूसरी ओर जमींदारों के साथ उदारता का व्यवहार भी करना चाहती है। इसके लिए मैं यह कहूं कि यह केवल दिखावामात्र है तो कोई अतिशियोक्ति होगी । अगर वास्तव में जमींदार को खुदकाश्त देने के बारे में सरकार चिन्तित होती तो मैं समझता हूं कि जो प्रावधान हमने जागीर रिजम्प्शन एक्ट में रखे थे वे उसी रूप में न रखते, थोड़े सूक्ष्म रूप से रखे जा सकते थे। उससे यह भी व्यवस्था की जा सकती थी जमींदार के पास अगर खुदकाश्त की कमी है तो उसकी पूर्ति किस आधार पर की जायगी। लेकिन यहां पर

(श्री भैरोंसिंह)

सबसे पहले कलेक्टर्स को पॉवर्स दिये गये हैं। अगर यह कहूं कि कलेक्टर का सारा वर्क जागीर कमिश्नर के सुपर्विज़न में होना चाहिये तो सरकार की ओर से नकारात्मक उत्तर मिलता है। अगर इस बारे में सारी दिक्कतें पेश की जायं और कहा जाय कि इसलिये जागीर कमिश्नर को सुपर्विज़न आवश्यक है फिर भी मैं आशा करता हूं कि उसका उत्तर भी नकारात्मक होगा। जिस प्रकार का अभी वायदा राजस्व मंत्री ने किया था कि अपील करने के पॉवर्स के लिये एक संशोधन रख दिया जायगा। अगर कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील करना चाहे तो वह रेवेन्यू बोर्ड में की जा सकती है। मैं उनकी इस दलील का जिक्र नहीं करूंगा जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था, राजस्थान में छोटी छोटी जमींदारियां हैं अगर उन जमींदारियों के लिये जागीर कमिश्नर के पास आते हैं काफी परेशानी उनको उठानी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार की अपील का प्रोविज़न वे रखना चाहते हैं उससे इस बात का संकेत मिलता है कि कलेक्टर के फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष आना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार का प्रावधान जागीर रिजम्प्शन एक्ट में रखा था उसमें भी यह व्यवस्था की थी, जागीर कमिश्नर के नीचे कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर रहते थे जहां तक खुदकाश्त का मामला है ये सारी चीजें इन्टर-रिलेटेड हैं इसलिये इनका सुपर्वीजन एक ऑथोरिटी के हाथ में हो इसलिये जागीर कमिश्नर की व्यवस्था की थी। यहां हमने कलेक्टर्स को पॉवर दिये हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह इन्क्वायरी करें। "इन दी प्रेसक्राइब्ड मेनर एज ही डिम्ड नेसेसरी। जहां कलेक्टर को हम इस प्रकार की इन्क्वायरी करने के अधिकार देते हैं कि यह लैंन्ड एग्रीकल्चर लैन्ड है या नोन एग्रीकलचर लैंन्ड अगर नोन एग्रीकलचर लैंन्ड है तो इसको एग्रीकल्चर लैंन्ड से कन्वर्ट कर सकते या नहीं इसकी इन्क्वायरी करें। इस प्रकार की इन्क्वायरी में वाजिब चीज क्या है उस चीज को चाहे वह भूल जाय। किसी भी चीज का पक्ष लेना हो किसी के पक्ष में निर्णय देना हो तो वह दे सकता है। वह चाहे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। इसका मतलब यह है कि जमींदारी एबोलिशन के साथ साथ हम कलेक्टर के हाथ में कानून बनाकर यह पॉवर्स दे रहे हैं कि कलेक्टर अपनी मर्जी आये जैसा करें। इन्क्वायरी करें लेकिन उसके मेनर प्रेसक्राइब करते हैं जितनी इन्क्वायरी वह उचित समझे उतनी इन्क्वायरी करें। उसके संबंध में जितनी इन्क्वायरी की जरूरत वह समझता है उतनी ही वह करेगा। जिस आदमी को जमीन की जरूरत है जो जमीन के लिए क्लेम कर रहा है जिसके लिए जमीन प्राप्त करना है उसके कहे माफिक इन्क्वायरी करना दूर रहा लेकिन जिस प्रकार कलेक्टर जरूरी समझेगा उतनी ही इन्क्वायरी वह करेगा। जहां तक उस जमीन की जरूरत का प्रश्न है न तो वह कलेक्टर को न कमिश्नर को और न रेवेन्यू बोर्ड को जरूरत है, जरूरत है खुदकाश्त के लिए केवल जमींदार को और बिस्वेदार को। कानून में हम इस प्रकार का प्रावधान रखकर कलेक्टर को आरबीट्रेरी पॉवर्स देते हैं और इस डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के बंटवारा जितनी इन्क्वायरी वह चाहे करें। ऐसी हालत में मजबूर होकर मुझे कहना पड़ता है राजस्व मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के पास ज्यादा काम है मैं उनकी ताईद करता हूं

(श्री भैरोंसिंह)

वास्तव में सरकारी अधिकारियों के पास ज्यादा काम है । ज्यादा काम होने के नाते गरीब गरीब जमींदारों को जिनके पास तहसीलदार या कलेक्टर को रिश्वतें देने के लिये पैसा नहीं है वैसी हालत में उनकी जरूरत के मुआफिक जांच नहीं कर सकेंगे । जांच उनकी मर्जी के माफिक होगी किसी स्थान को देखने की आवश्यकता है या नहीं वह अच्छी भूमि है या नहीं । अमुक भूमि का ईल्ड क्या है सिंचाई योग्य है या नहीं इन बातों की जांच करना कलेक्टर की मर्जी पर होगी जितनी जांच वह आवश्यक समझता है करेगा । और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार चर्चा हुई है कि इस प्रकार के मामलों की कलक्टर स्वयं जांच नहीं करता । बल्कि पटवारी की रिपोर्ट पर ही ठेठ राजस्व मन्त्रीजी तक और राजस्व मन्त्रीजी से मेरा तात्पर्य सरकार से है, वहां तक सारा काम चलता है । जिसके पास खुदकाश्त की जमीन का होना न होना पटवारी ने लिख दिया, वही ऊपर तक सही है । या कितनी कहां गोचर भूमि है या नहीं है इस पर भी पटवारी ने जो लिख दिया तो उस पर कलेक्टर से लेकर, ऊपर के हाकिम से लेकर और सरकार तक यही स्थिति रहेगी और उस पर सरकार विश्वास करेगी ।

ऐसी स्थिति में ये शब्द अगर यहां रक्खे तो हो सकता है जिससे कलेक्टर गाइड होता है, जिस फैक्टर से कलेक्टर प्रेरणा लेता है, जो उसके सोर्सेज ऑफ इन्फोर्मेशन्स हैं तो हर सम्भावना यह रहती है वह पटवारी कलेक्टर को मिस गाइड कर सकता है और मजबूर कर सकता है कि किस स्टेज पर कलेक्टर इन्क्वायरी बन्द कर दे ।

दूसरा आता है 'बी' में जैसा था, नहीं, 'ए' में ही है : "Reject the application if the applicant and any member or members of his family together hold khudkasht to the maximum extent provided by Section 11, or" अध्यक्ष महोदय, मैंने जमींदारी एबॉलिशन की धारा २ देखी है और देखने के बाद इसमें जो डेफीनिशन्स दी हैं उनके द्वारा यह कह सकता हूं कि कोई इस बात का संकेत नहीं मिलता कि मेम्बर या मेम्बर्स ऑफ दी फेमिली कौन होंगे । मैं समझता हूं कि इस कानून की आगे की धाराओं में भी इस बात का उल्लेख नहीं है । अब इसमें हमने व्यवस्था कर दी कि : "Reject the application if the applicant and any member or members of his family together hold khudkasht to the maximum extent provided by Section 11, or" कोई रिश्तेदार या अन्य रिश्तेदार उसकी फेमिली के मेम्बर या मेम्बर्स यदि साथ में इतनी खुदकाश्त की जमीन रखते हैं जो सैक्शन ११ में निर्दिष्ट तादाद से ज्यादा है तो खुदकाश्त से ज्यादा भूमि अलॉट नहीं की जा सकती ।

जहां तक फेमिली और उसके मेम्बर्स का सवाल आता है, हम ऐसा समझते हैं कि इस सम्बन्ध में सिवाय राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल में जो सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है या राजस्थान सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है, में कुछ संकेत मिलते हैं । पर आज वह कानून के रूप में नहीं हैं । एक कानून बनने के लिये सदन में पेश हुआ है और दूसरा जनता की जानकारी के लिये पेश हुआ है जो किसी प्रकार कानून के दायरे में अभी नहीं आते और मान भी लिया जावे कि इस सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल में जो फैमिली की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह)

दी है वह इसमें लागू होगी। तो इसके लिये भी अलग से इसमें प्रावधान करना पड़ेगा पर वह प्रावधान भी कहीं दिखाई नहीं देता।

फैमिली मेम्बर्स कौन हों, यह भी नहीं है और कितने फेमिली मेम्बर्स हो जावे पांच दस आदमियों के बीच में इस तरह की जमीन हो जावे इसके बाद में भी हकदार हैं या नहीं हैं इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसमें धारा ११ का जिक्र किया गया है। उसमें केवल इतना सा है : "Subject to the provisions of Sub section (2) the maximum area of land allotted as khudkasht to a Zamindar or Biswedar under section 10 together with any land held by him or by any member of his family as khudkasht since bef re the date of vesting, shall not exceed the ceiling area applicable to him.

Not withstanding anything contained in sub-sec. (1) where a Zamindar of Biswedar holds khudkasht at the date of vesting of his estate in excess of the area specified in sub-sec. 1 he shall continue to hold such land as khudkasht subject to the provisions of Sec. 28." इस सैक्शन ११ में भी जिसका जिक्र इस सैक्शन में किया गया है, कोई जिक्र नहीं कि कौन कौन से फेमिली मेम्बर होंगे। कितनों के बीच में कितनी भूमि होगी और इसके बावजूद भूमि नहीं दी जावेगी।

आज एक फैमिली में यह भी हो सकता है कि दो भाई हों, तीन भाई हों और अलग-अलग काश्त करते हों, उनकी फैमिली एक, पर ईल्ड अलग अलग आता है, खेती के साधन अलग अलग हैं अब यह मैं नहीं समझ पाया कि उनको अलग अलग समझेंगे कि शामिल। तो ऐसी स्थिति में जहां कलेक्टर को आरबीट्रेरी पॉवर दिये हैं उन पर आज उस कलेक्टर के नीचे के क्लर्क या पटवारी होते हैं और जो उनके सलाहकार होते हैं वे किसी से पैसा लेकर किसी भी गरीब जमींदार की एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट कराना चाहें इस बिना पर कि फलां फलां फैमिली मेम्बरों में शामिल हैं और शामिल होकर काश्त करते हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इसकी कागजों में भले ही एन्ट्री हो या नहीं, इस बारे में कोई रिकार्ड हो या नहीं, इस बारे में कोई स्पेसिफिक व्यवस्था हो या नहीं वे नीचे वाले पटवारी लोग या क्लर्क जिससे पैसा मिलेगा उसके फेवर में डिसीजन दिलवा देंगे और इस तरह से इस सारी धारा का बहुत बुरा दुरुपयोग हो सकता है। इसका मतलब कोई सरकार का नुकसान नहीं होने वाला है पर उन छोटे-छोटे काश्तकारों की होने वाली है, जिनकी वकालत माननीय राजस्व मन्त्रीजी कर रहे थे। इसलिये निवेदन करूंगा कि आज जो धारा ११ है उसमें से 'As he deems necessary' ये शब्द हटाकर जो सरकार तरीका तै करे : "In the manner prescribed by the Government." का करें। कौन से तरीके से जांच करें और इसके बाद में फैमिली मेम्बर कितने होंगे, किस किस प्रकार के फैमिली मेम्बरों को खेती को जोइन्ट की खेती समझ कर कार्यवाही की जावेगी यह सारी बात स्पेसिफिकली इसमें नहीं आती है तब तक मैं यह मानकर चलूंगा कि न खुदकाश्त जमींदार को इससे फायदा मिल सकता है और न छोटे छोटे जमींदारों को। केवल उनको फायदा होगा जिनको हमारी सरकार कलेक्टर के थ्रू या

(श्री भैरोंसिंह)

सारी अपनी मशीनरी के श्र किसी न किसी ढंग से श्रोर्गलाइज करने की चेष्टा करे।

मैं अपील करूंगा, इस प्रकार का संशोधन हालांकि नहीं है, पर सरकार चाहे तो प्रस्तुत किया जाकर उस को स्वीकार कर लिया जावे, नहीं तो सदन से निवेदन करूंगा कि इस धारा का इस रूप में विरोध किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, धारा १० का माननीय सदस्य ने विरोध किया। और जो कारण बताये हैं ज्यादा अच्छा होता उनको न बताकर वे पहले जागीर रिज़म्प्शन एक्ट की खुदकाश्त का जो प्रोविजन है उसकी तरफ नज़र डालते। और अगर उसको देखते तो यह आरबीट्रेरी अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर, पटवारी का लिखा ऊपर तक चलता है यह सब कहने की तकलीफ न उठानी पड़ती। पसीना आ गया उनको इन बातों को कहने में वह शायद नहीं आता।

(हंसी)

दफा १६ जो जागीर रिज़म्प्शन एक्ट है इस जमींदारी आबोलिशन बिल में है। आप समझ लीजिये। कानून का मसला है। इसको गलत भी कह दें तो ऐतराज नहीं और कोई अफसोस भी नहीं क्योंकि कानूनी मसला कानूनी ही रहेगा।

आप सैक्शन १६ का मुलाहिज़ा फर्माइये।

श्री भैरोंसिंह : मैं देख रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप देखिये। प्रेस्क्राइब्ड मैनर वहां भी है, वह यहां पर भी है सब-क्लाज़ दो का मुलाहिज़ा फर्माइये। इसमें यह है :

'Where an application under Sec. 14 is received by the Commissioner for Khudkasht lands, he shall after holding the inquiry in the prescribed manner pass such orders thereon as he deems fit having regard to the provisions of clause (a) of sub section (2).

वहां डीम्ड नेसेसरी है। और यहां फिट है डिस्क्रिशन वह भी दिया है। इन्क्वायरी का एक प्रोसीजर लेड डाउन कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो रूल्स से तै कर देते हैं वह करेंगे। इस पर भी कुछ डिस्क्रीशन देना भी पड़ेगा। अगर कोई ऐसा इविडेन्स पेश कर दी जावे और जिस पर कोई इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं हो तो

'Where an applicatieon under Sec 14 is received by the Collector, after holding in the Prescribed Do you mean to say that we should not give it to the Collector manner such inquiry as he deems fit.

कितनी इन्क्वायरी करना जरूरी है, कितनी नहीं तो वह तो उस पर छोड़ना ही होगा। वह सिर्फ इस बात के लिये जरूरी है कि सही नतीजे पर पहुंचने के लिये जो रूल्स के अनुसार जरूरी होगा, वह करेगा। उसमें कम जांच से भी काम हो सकता है अगर कोई रिटर्न इविडेन्स या डाक्युमेन्टरी इविडेन्स से वह सन्तुष्ट हो जावे। तो जागीर एक्ट में यह पॉवर है।

अब दूसरी बात यह थी कि फेमिली मेम्बर की क्या डेफीनिशन हो मैं उनका ध्यान सैक्शन १६ और उसका जो सब सैक्शन २ का 'ए' है उसकी तरफ आकर्षित करता हूं। इसमें भी यह लिखा है :

"Where the Jagirdar has conferred khatedari rights in his Jagir land on any person after the commencement

(श्री दामोदरलाल व्यास)

of this Act, or where any member or members of the Jagirdars' family hold land according to the scale laid down in Section 18, reject the application,"

यह बिल्कुल एग्जेक्टली वही प्रोविजन है जो इसके अन्दर है। वहां भी ऐसा ही है। अगर उसके नाम कनफर कर दिया गया है खातेदारी राइट् If he is holding the land in their own names, the application shall be rejected.

तो वह सब मिलाकर सैक्शन १८ में जो लिमिट दिया गया है उससे ज्यादा है तो 'ऐप्लीकेशन कैन बी रिजक्टेड' और यहां भी यही जरूरी है। सैक्शन ११ में जो लिमिट प्रेस्काइब की जायगी उससे ज्यादा अगर फेमिली में होगी तो वह रिजेक्ट कर दी जायेगी। इसके साथ ही जागीर रिजम्पशन एक्ट के छठे टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट में फेमिली की डेफीनिशन है और सीलिंग पर्पज के लिए तो यह कहना कि इसमें तो फेमिली जागीर घुसेड दी।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं कहा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट में फेमिली को डिफाइन किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने ऐसा कहा है कि कोई नई चीज रख दी गई है और फेमिली का जो इन्टर्प्रिटेशन उसमें होगा वही इसमें होगा।

श्री भैरोंसिंह : फेमिली का इन्टर्प्रिटेशन क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो अभी और भी एक्टों में हुआ है। इसलिए जो दोनों पॉइन्ट्स आपने रेज किये उसके लिए अर्ज कर दिया कि कोई नई बात नहीं है जो आलरेडी प्रोविजन्स हैं उन्हीं को रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा १० स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

धारा ११

आपका (श्री दामोदरलाल व्यास का) ही अमेन्डमेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, धारा ११ में मेरा अमेन्डमेंट है वह इस तरह से है कि : "For the words 'ceiling area applicable to him' substitute the words the prescribed limit.

यह सादा सा अमेन्डमेन्ट दिया है। जो ओरिजिनल बिल है उसमें सीलिंग एरिया इसलिए रख दिया गया है....

श्री भैरोंसिंह : क्या ये अमेन्डमेन्ट्स सर्कुलेट कर दिये गये है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट नम्बर २, सीरियल नम्बर २६।

श्री दामोदरलाल व्यास : मतलब यह है कि जिस समय बिल आयेगा उस समय तक सीलिंग का लॉ पास हो जायेगा ऐसी ही मेरी धारणा थी, इसलिए सीलिंग

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तक रख दिया गया था। वैसे सीलिंग का लॉ पेश तो कर दिया गया है लेकिन अभी चूंकि वह पास नहीं हुआ है और इसलिए उसके एन्टीसीपेशन में सीलिंग लिमिट रखना कानूनन वाजिब नहीं होगा। इसलिए मैं यह अमेन्डमेन्ट रखना चाहता हूं। इसके अन्दर सीलिंग के बजाय दी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रख दिया जायेगा। मंशा यही है कि सीलिंग का एरिया होगा उसी के बेसिस पर यहां लिमिट प्रस्क्राइव कर दी जायेगी। अगर यह पहले फोर्स में आ गया तो उस सीलिंग के एरिया को ध्यान में रखकर यह फिक्स की जायेगी। इसलिए हाउस में दर्ख्वास्त है कि यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया जाये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष अगर इस मामले को सीलिंग न हो तब तक यह ऐबेयेन्से में रखे तो अच्छा रहेगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसा तो है ही इसमें।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, इसमे मेरा एक संशोधन है वह इस प्रकार का है कि सब-क्लॉज़ (२) को डिलीट कर दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष, सवाल यहां यह है कि हम जागीरदारों को इस सब-क्लॉज़ के ज़रिये इस प्रकार की छूट दे रहे हैं कि अगर खातेदार की इतनी प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अलावा अगर कोई भी खुदकाश्त की ज़मीन है यह उसी के पास रखी जाय। याने उसको खुदकाश्त करने दी जाये। इस प्रकार का संरक्षण हम यहां देने जा रहे हैं इस क्लॉज़ से। माननीय अध्यक्ष, जो हमारी योजना है कि जो हरिजन है और भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि देना चाहते हैं सीलिंग के द्वारा। सीलिंग के द्वारा उनको जमीन लेकर देना चाहते हैं और यहां पर हम यह संरक्षण दे रहे हैं कि यदि उनके पास अधिक भूमि है तो वह बरकरार जोतते रहेंगे। इसलिए मैं इस सब-क्लॉज़ का घोर विरोध करता हूँ। उनको यह छूट नहीं देनी चाहिये। बिल्कुल जिस प्रकार से व्यवहार दूसरों के साथ होता है वही व्यवहार भी उनके साथ करना चाहिए और उनको किसी प्रकार की रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है और इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें विशेष बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी। आपका अमेंडमेंट वही है जो डॉ० बहादुरसिंह ने कहा है। आप उसी को सपोर्ट कर दीजिए। सब-क्लॉज़ टू बी डिलीटेड।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : "In clause 11 sub-clause 2 be deleted."

श्री अध्यक्ष : सब-क्लॉज़ का मतलब यह तो नहीं है कि सीलिंग के बाद भी जोतते रहेंगे।

Page No.50

श्री दामोदरलाल व्यास : सीलिंग के बाद तो ज़मीन ले लेंगे ।

डॉ० बहादुरसिंह : सीलिंग के बाद भी खुदकाश्त करते रहेंगे, ऐसा मेरा इन्टर-प्रिटेशन है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो सब-क्लॉज़ हैं हम समझते हैं कि यह सब क्लाज वन के बाद इसको रखना जरूरी नहीं है । अगर यह रहता है तो इसका मतलब यही रहता है कि सीलिंग के बाद वह जमीन को रख सकते हैं नहीं तो सब-क्लॉज़ वन को आपने क्यों मेन्शन किया....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अमेंडमेंट कर दिया है । आप उस समय तक आये नहीं थे । Omit that ceiling area and I said to keep the words prescribed limit. As we have not yet passed the law, I have therefore requested for that amendment.

श्री अध्यक्ष : He has changed that.

श्री मूलचंद डागा ।

(अनुपस्थित)

आप (श्री दामोदरलाल व्यास) उत्तर दे दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सब-क्लॉज़ (२) को डिलीट करने का अमेंडमेंट है उसका मैं विरोध करता हूँ और उसका सीधा कारण यह है कि जिन लोगों के पास ज़मीन है जिनके खुदकाश्त में है उसको बगैर किसी लॉ के वापिस ले लेना ठीक नहीं होगा । जिनके पास ज्यादा ज़मीन है चाहे वह काश्तकार हों या जागीदार क्योंकि जागीर रिजम्प्शन एक्ट के बाद तो वह भी काश्तकार ही हो जाते हैं, जमीन सीलिंग के द्वारा ले लेते हैं । जब सीलिंग का लॉ बनेगा तो उनसे ले ली जायगी । इसलिए जो जमीन पर्सनल कल्टीवेशन में है वह बदस्तूर रहनी चाहिये । यह प्रोविजन बिलकुल वाजिब है । सीलिंग नहीं आये तब तक ऑर्डिनेरी कल्टीवेटर के पास जमीन रहती है तो उनके पास भी रहनी चाहिये । इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें ।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह ठीक है कि सीलिंग जब आपकी लागू होगी तो हमारी तो मंशा यह है कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : सीलिंग तो सभी पर लागू होगा ।

डॉ० बहादुरसिंह : तो फिर मुझे इज़ाजत दी जाये तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ११ स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित धारा ११ विधेयक का अंग बनी ।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री बृजमोहनलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी : 'part four be, doleted,

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२ में एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दी गई है कि कौन कौन सी ज़मीन खुदकाश्त के रूप में उनको दी जानी चाहिये । उसमें

(i) "land surrendered be tenants.

(ii) land abandoned by tenants;

(iii) culturable unoccupied land within the estate, and"

और पार्ट फोर में स्टेट के बाहर की जमीन देने का प्रोविज़न रखा है । तो जहां तक स्टेट के बाहर ज़मीन देने का प्रोविजन है उसमें मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों के ऊपर प्रिफरेन्स नहीं देना चाहिये....

क्योंकि सब-क्लॉज़ (१) में ऐसा लिखा है कि :

"The following categories of land may in the order here in after mentioned, be allotted to a Zamindar or Bisvedar in preference to other applicants for the same as khudkasht under section 10 neamely :—

(i) Land surrendred by tenants,

(ii) Land abandoned by tenants,

(iii) Culturable unoccupied land within the estate; and"

हम खुदकाश्त उसकी अपनी स्टेट में दे सकते हैं । जहां स्टेट के बाहर जाते हैं वहां रखते हैं, In preference to the other

applicants. वह इन्इक्विटेबल है । इनको कॉस्टेट में प्रिफरेन्स देना भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानता हूँ । वह एक तरह का अन्कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक पार्टीक्युलर केटेगरी को प्रिफरेन्स देना । मेरा अमेन्डमेन्ट है कि उसको स्टेट के बाहर प्रिफरेन्स नहीं मिलना चाहिए । वहां की जमीन वगैरह के लिए प्रिफरेन्स उन्ही लोगों को मिलना चाहिए, That should prevail outside the state... बल्कि किसी को खास तौर से स्टेट के बाहर नहीं मिलना चाहिये ।

दूसरा यह जो प्रोविज़न रखा है उसका सिर्फ स्टेट के बाहर देंगे ही नहीं बल्कि उसका मिसयूज भी होगा । उसका कई तरह से मिसयूज भी हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह जस्टिस और इक्विटी के खिलाफ चलने वाली बात रखी जायगी तो जस्टिस या इक्विटी में ऐसा नहीं लिखा है कि स्टेट के बाहर जमीन

(श्री पी० के० चौधरी)

पर प्रिफरेन्स देंगें, हालांकि एक तरफ हम कानून ला रहे हैं कि फिक्टीशस सरेन्डर किसी तरह से किया गया है, यह किया गया है, वह किया गया है, यह टिनेन्सी एक्ट में से अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरेन्डर का प्रोविजन रखते हुए उसको स्टेट के बाहर जमीन देना चाहते हैं तो मुझे उसमें बिल्कुल ही जस्टीफिकेशन नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है। मैं मानता हूं कि इसको मंजूर किया जायगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, धारा १२ पर जो मेरा संशोधन है, फुलेरा से आने-वाले माननीय सदस्य से बिल्कुल विपरीत है। मैंने संशोधन रखकर इस प्रकार की मांग की है कि जिस प्रकार से खुदकाश्त की भूमि देने के लिए केटेगरीज़ की गई हैं :-

Land surrendered by tenants, land abandoned by tenants cultuarble unoccupied land within the estate, and land of the nature specified in clauses(i),(ii) and (iii) in the vicinity of the village or villages in which the estate of the Zamindar or Biswedar is situated.

इस प्रकार की व्यवस्था इसमें वर्तमान में की है, और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि जो उप धारा (४) है वह बिल्कुल समाप्त की जाय। मैंने संशोधन रखा है कि उप-धारा (४) जिस प्रकार से है उसके बजाय इन शब्दों को और जोड़ा जाय :

"Substitute the part (iv) of sub-clause (i) by the following :-'any other culturable land available in any part of the state'." वर्तमान में इस प्रकार का प्रोविजन है। हमने इसके संबंध में एक कानून पहले बनाया था जागीर एबोलिशन एक्ट और जिसमें प्रान्त के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए यह माना कि मुआवजा देने के साथ इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि जो लोग काश्त करते हैं और जिनके पास भूमि है उनको छोड़ दिया जाय जो काश्त करते हैं और जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है, उनको मुआवजा देने की सरकार के सामने मन्शा ही नहीं थी। लेकिन मन्शा भी यह थी कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाय, उनको पुन: बसाया जाय इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जो किसी तरह से अनुचित न हो। इस तरह से खुदकाश्त की व्यवस्था एक बहुत बड़े वर्ग के लिए की थी और आज छोटे वर्ग के लिए, श्रेणी नं० २ के एक प्रकार से जमींदार हैं उनके साथ इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो कुछ तय किया गया था, इस कानून में उससे कोई कदम पीछे उठायें। जहां खुदकाश्त की जमीन में कोई जमीन है, उसकी एस्टेट के पास में कोई जमीन है वह उनको दे दी जाय, लेकिन मेरा संशोधन है कि अपने प्रान्त के किसी भाग में अगर पड़त जमीन हो तो उस भूमि में से इनको जमीन दी जाय। हमने इस प्रकार की व्यवस्था वहां की है कि जितने भी जागीरदारों के लिए खुदकाश्त की भूमि अपने इलाके में नहीं थी उनको बीकानेर के इलाके में जमीन दी, हनुमानगढ़ में उनको जमीन दी, राजस्थान कीनाल एरिया में लोग एप्लीकेशनें दे रहे हैं उनको वहां जमीन दी जाय। चंबल के इलाके में इस प्रकार के जागीरदारों के पास खुदकाश्त की भूमि नहीं है पर वहां एप्लाई किया गया है तो वहां पर जमीन को मुरब्बों

Page No.53

(श्री जगतीशप्रसाद माथुर)

में काटा जायगा, वहां दी जायगी। फिर छोटे से वर्ग के साथ अन्याय क्यों हो ? जिस प्रकार से कैनाल निकालने की सरकार की योजना है कि गंगानगर और जैसलमेर के इलाके राजस्थान की बहुत बड़ी ग्रेनरी बन जायेंगे। नहर चल रही है जिससे बड़े-बड़े इलाके में सिंचाई की जायगी। तो काश्तकारों के लिए सीलिंग की सीमा राजस्थान सरकार निर्धारित कर रही है वहां इस समय उस इलाके में २५० बीघा दिया जायगा, लेकिन नहर निकलने के बाद नहर निकलने से वह भूमि उपजाऊ हो जायगी तो उस इलाके में भी उतनी ही जमीन दी जायगी जितनी कि सीलिंग के बाद नहरी इलाके में दी जायगी तो जो सीलिंग की रेट जैसलमेर इलाके में दी जाय उसको हमें कम करना पड़ेगा। कम करने का अर्थ यह है कि अधिक काश्तकार चाहेंगे। अधिक काश्तकारों को कहां से अधिक प्रिफरेन्स दिया जाय तो पहला प्रिफरेन्स उन लोगों को दिया जाय जिन लोगों को हम उखाड़ रहे हैं। किसी पक्ष और विपक्ष के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हुए इस प्रकार के काश्तकार बहुत हैं जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए। लेकिन इस क्रापर के वे मजदूर हैं जो खेती नहीं करते लेकिन खेतों पर मजदूरी करते हैं। खेती की जमीन की कमी की वजह से मजदूरी करनी पड़ती है। वे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनकी जीविका का सारा साधन जमीन है उनकी जमींदारी खत्म कर रहे है। खत्म करने के बाद खुदकाश्त के सिद्धांत को माना है। सिद्धान्त को मानकर यह भी तय किया है कि उनको जमीन दी जायगी। जमीन देंगे तो उनकी केटेगरीज क्यों तय करें कि किसी काश्तकार ने जमीन छोड़ दी हो, काश्तकार जमीन छोड़कर चला गया हो, उसने जमीन दे दी है, या स्टेट के पास कोई पड़त जमीन हो, वह उनको दी जायगी। यहां तक तो मान लिया है इस धारा १२ में आपने। स्टेट के पास में कोई पड़त जमीन हो तो हमने स्टेट की सीमा तय नहीं की कि २, ३, या ४ मील के इलाके में पड़त ज़मीन होगी, यानी कितने इलाके के अन्दर पड़त जमीन होगी तो वह जमीन दी जायगी। यह सीमा का बन्धन जिले के अन्दर का लेते, तहसील के अन्दर का लेते, यह नहीं लिया। वर्तमान में रखा है कि [इन दी विसीनिटी आफ दी एस्टेट] तो जहां पर उसकी स्टेट की सीमा समाप्त होती है तो सीमा से लगी हुई जमीन है यह मान सकते हैं कि मंत्री महोदय का यह आशय था इस क्लॉज में इस बात को रखने का। सीमा समाप्त होती है जमींदारी की सीमा के बाद पड़त जमीन मिलेगी तो वह दे दी जायगी। कोई भी अर्थ लिया जा सकता है इसका। न तहसील का स्पष्टीकरण किया और न जिले का ही स्पष्टीकरण किया है और न प्रान्त का स्पष्टीकरण है। इसलिए इस धारा को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

वैसे जमीदारी की जितनी भूमि को देखा जाय तो जिस प्रकार कि मंत्री महोदय ने रिपोर्ट पेश की है जमींदारी एबॉलिशन के संबंध में तो वहां उनको काश्तकार मानते हैं, ऑर्डर ऑफ पीजेन्ट होल्डर इस प्रकार मान-कर मंत्री महोदय चलते हैं तो स्वयं ने उनको एक काश्तकार माना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खुद की जमीन होगी लेकिन जमींदार होने के कारण राजस्थान सरकार को लगान नहीं देते हैं। लगान नहीं देने के लिए एक दूसरी समान व्यवस्था करनी है। उस नीति

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को समाप्त कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा ही वर्ग बच गया है। इसका अर्थ यह है कि थोड़े से वर्ग को खुदकाश्त की भूमि से वंचित कर रहे हैं। अलवर, भरतपुर और कोटा में पड़त जमीन ज्यादा नहीं मिल सकेगी। इस इलाके में जमीन के लिए वहां के लोगों को २, २, ३, ३ बीघा जमीन के लिए लड़ते देखा है। वहां इस बारे में बड़े झगड़े होते हैं, जमीन के बंटवारे में झगड़े होते हैं। वे न्यायालय में जाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के केसेज को देखेंगे तो अलवर, भरतपुर और कोटा इस साइड के अधिकांश केसेज रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जितने हैं, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर की जितनी कोर्ट्स हैं उन सारी कोर्ट्स में अधिकांश केसेज इस इलाके के मिलेंगे। उन इलाकों में जमीन नहीं है। इस वास्ते यह जो प्रोविजन रखा है इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मंत्री महोदय इन लोगों को जमीन नहीं देना चाहते। इन्डाइरेक्टली इस धारा को रखने का अर्थ यह है कि जमीन को नहीं देना है इसलिए केटेगरीज ४ बनाई हैं इनको जमीन देंगे इसलिए इनको चार भागों में वितरित कर दिया है ताकि चार भागों में वे कम से कम किसी न किसी में आयेंगे, यह आप उनसे कहेंगे, तो उनको जमीन मिल जायगी। चौथी धारा के कारण जिन इलाकों में जमींदारियां हैं उन इलाकों में जमीन नहीं है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री महोदय की किसी प्रकार मन्शा नहीं है कि इन जमींदारों को खुदकाश्त की जमीन दी जाय। उनकी खास मंशा है कि जमींदारों के पास खुदकाश्त की भूमि नहीं हो। अगर उनको बसाना है, उनका पुनर्वास करना है, पुनर्वास की मन्शा है तो क्योंकि विसिनिटी ऑफ दी एस्टेट इन शब्दों के रख देने से वह नहीं हो सकेगी। इसलिए इस सारी धारा को देख कर जो संशोधन रखा है कि अपने प्रान्त के किसी भाग में जमीन पड़त मिले और जहां पर वे जाना चाहें, भरतपुर वाले कोटा के पास के इलाके के हैं तो कोटा जाना पसन्द करेंगे हो सकता है कि कोटा में रहने वाला गंगानगर के नहरी इलाके में भी जाना पसन्द करें तो सभी लोग इधर उधर आना जाना पसन्द करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने जो संशोधन पेश किया है उसे मंजूर किया जाय और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसे नामंजूर किया जाय।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री दामोदरलाल व्यास : with your permission Sir, I also want to move an amendment.

श्री अध्यक्ष : हो सकता है इससे बहस कम हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीरदारी एबॉलिशन कानून जो बनाया है उसमें यह प्रोविजन है।

श्री भैरोंसिंह : आप अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए तो।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो मूव कर रहे हैं उसको सुन लीजिये, इससे बहस कम हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : जब दूसरे सदस्यों की तरफ से अमेन्डमेन्ट मूव किये जाते हैं तब सबसे पहले राजस्व मंत्रीजी ही उसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से खड़ा हुआ था। आप विरोध करेंगे यह तो मैं जानता हूँ। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जागीरदारों के लिये यह प्रोविजन रखा था कि जहां कैनाल एरिया है वहां पर या जहां जहां प्रेसक्राइब किया है वहां उनको जमीन एलॉट कर सकते हैं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य की बात सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का प्रोविजन यहां भी होना चाहिये। इसलिये मैं एक अमेन्डमेन्ट, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूं जो इस प्रकार है : Land commanded by Chamlal and Rajasthananal projeetsf on such terms & conditions as may be prescribed. यह और दर्ज कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नंबर ५.

श्री भैरोंसिंह : इसमें दो शब्द और बढ़ा दिये जायं : area by any other irrigation project.

श्री दामोदरलाल व्यास : और कोई मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। There is no surplus. I know the conditions of this State and I can assure you that there is no surplus. Only these are the projects and I have therefore submitted about this.

श्री अनूपसिंह : There are other projects also

श्री दामोदरलाल व्यास : These are very small projects.

श्री अध्यक्ष : छोटे प्रोजेक्ट्स में सरप्लस लैंड नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, जो १२वीं क्लॉज़ हाउस में डिस्कस हो रही है और मंत्रीजी ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके बारे में मैं कुछ शब्द हाउस के सामने रखना चाहता हूं। हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर यह जो हम खुदकाश्त लैंड एलॉट करते हैं तो क्यों और किस किस केटेगरीज़ के आदमियों को या इन्ट्रेस्ट को एलॉट करते हैं। जहां तक व्यक्तिगत मेरी ओपीनियन का सवाल है तो मैं जागीरदारों और जमींदार को खुदकाश्त की लैंड एलॉट करने के खिलाफ हूं

(हंसी)

इसलिये कि पहले तो हम देखें कि यह जो सवाल है खुदकाश्त लैंड एलॉट करने का, पैदा ही नहीं होता और राजस्व मंत्री जी ने दलील दी थी कि सन् ४९ में जब जमींदारी एबॉलिशन बिल को ड्राफ्ट करने के लिये कदम उठा रहे थे या किस तरह से ड्राफ्ट करने के लिये मेजर्स ले रहे थे उस समय से अब तक उन लोगों ने अपनी खुदकाश्त की भूमि का प्रबन्ध कर लिया होगा और जिन जमींदारों ने सन् ४९ से लेकर ५८ तक खुदकाश्त के लिये प्रोविजन नहीं किया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन जमींदारों की आज तक यह मन्शा नहीं थी कि वे कभी एग्रीकल्चर को एज़ ए प्रोफेशन अपनावें और जब सन् ५८ तक उन्होंने एग्रीकल्चर को एज़ ए प्रोफेशन अपनाने का अभी सोचा नहीं और न वे चाहते हैं कि इस पेशे को अपनावें तो फिर जो प्रोविजन यहाँ पर गवर्नमेंट रखती है उससे उनको फायदा दिलाना चाहती है और उनको एग्रीकल्चरल लैंड एलॉट करना चाहती है उसका मतलब क्या है? मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट क्यों एक नयी एग्रीकल्चर क्लास क्रीएट करना चाहती है।

(श्री श्रीमानसिंह)

हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक आदमी जमीन पर अपना हक नहीं रख सकता और हमारी जो दो निर्धारित नीतियां हैं जिनके अनुसार एक तरफ तो राजस्थान में प्रोडक्शन बढ़े और दूसरी तरफ हम यह भी चाहते हैं कि जिन आदमियों का राजस्थान में खेती कभी पेशा नहीं रहा उनको भी हम जमीन एलॉट करें, एक तरफ तो इन्टरमीडियेरीज़ हैं जिनको जमींदार कहते हैं उन्होंने कभी आज तक खेती नहीं की उनको चाहे जिस एरिया में कैनाल एरिया में या विसिनिटी में या उनके एस्टेट में एलॉट करें यह नीति समझ में नहीं आई। इससे कितना तो वे खुद फायदा उठा सकते हैं कितना अधिक प्रोड्यूज़ करके वे राजस्थान का भला कर सकते हैं या अन्न उपजा सकते हैं यह सोचने का प्रश्न है। क्योंकि उनको खेती का तजुर्बा नहीं है, कभी उन्होंने खेती नहीं की और जब उन्होंने खेती की नहीं तो आज उनको लैंड एलॉट करने से किस तरह से तजुर्बा होगा या वे अधिक अन्न उपजाने में सहयोग देंगे या किसी तरह से जमीन की सदुपयोग करेंगे। यह प्रश्न जिस तरह से जमींदार और जागीरदारों के लिये लागू होता है उसी तरह से लैंड लैस लेबरर्स के लिये भी सोचना होगा कि जो लोग खेती करने वाले नहीं हैं उनको जमीन लेने का हक हो गया तो यह तो वही हो गया जिस तरह से मोरगेज का पेशा करने वाले लोगों ने किसानों की जमीन पर कब्जा किया था। तो हमें यह देखना है कि आया सन् ४९ से ५८ तक किसी ने खुदकाश्त की जमीन नहीं रखी जो कि रख सकते थे तो आज क्या बात है कि हम उसे री-ओपन करें, उनको जमीन दी जाय, रिहेबिलिटेट करने का भी सवाल नहीं है। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये उनकी रोजी के लिये गवर्नमेंट ने उनके लिये कंपेन्सेशन प्रोवाइड कर रही है एक तरफ तो उनके लिये कंपेन्सेशन प्रोवाइड कर रही है और दूसरी तरफ उनको राइट देती है खुदकाश्त की जमीन का तो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जिनको जमीन में इन्ट्रेस्ट नहीं उनको क्यों दिलाना चाहते हैं। जो एग्रीकल्चर में इन्ट्रेस्टेड हैं उनको लैंड देंगे तो फायदा होगा। लेकिन जो जमींदार, जागीरदार या बिस्वेदार हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर को प्रोफेशन नहीं अपनाया है उनको हम रिहेबिलिटेट करें और उनके लिये खुदकाश्त का प्रोविजन करें, यह

१०५८ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ठीक नहीं है। उनको कुछ डिफरेन्शियेट करते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि आपके पास चाहे सारे प्रान्तों के एक्ट्स मौजूद हों, लेकिन सौराष्ट्र ने जो खुदकाश्त की नीति निकाली थी, वही नीति यदि यहां अपनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनके यहां जागीरदार, जमींदार आदि जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट थे उनकी ए० बी० सी० आदि केटेगरीज तय की थीं, उन्होंने देखा कि किस जमींदार या जागीरदार का कितना राइट हो और उसको मैक्सिमम कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ए० बी० सी० आदि केटेगरीज रखीं और सीमा फिक्स की कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन यहां पर कोई केटेगरी डिवाइड नहीं की बल्कि यहां तो जनरेलाइज कर दिया, यह नहीं देखा कि कितनी जरूरत है, कितनी नहीं पहले से काश्त करते हैं या नहीं, एग्रीकल्चर में इन्ट्रेस्टेड हैं या नहीं इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन जनरल यह रखा कि जिसको जरूरत हो वह राजस्थान सरकार को एप्लीकेशन दे और कैनाल एरिया में या

(श्री श्रीमानसिंह)

और कहीं जहां वह चाहे जमीन ले सकता है सरकार को चाहिये तो यह कि जिसको खेती का एक्सपीरियेन्स हो उसी को केवल एरिया के लिये रिकॉग्नाइज करे वहां उनको करेगो जो एग्रीकल्चर में समझते नहीं हैं । जो एग्रीकल्चर में समझते नहीं हैं इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं उनको यदि वहां पर रिहेबिलिटेट किया जायगा तो इससे क्या देश को जो फूड प्रोब्लम है वह सोल्व होगी । इग्नारेन्ट और इनएफिशियेन्ट हैंड में जमीन को सौंप कर आप उसका क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यह प्रश्न सामने रहता है क्योंकि हमें उन्हीं को खेती देनी चाहिये जो इकॉनोमिक होल्डिंग बनाना चाहता है, इम्प्रूवमेन्ट करना चाहता है उन्हीं को देनी चाहिये। जिनका खेती प्रोफेशन नहीं रहा है उनसे यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वे रिटर्न दें तो इससे सभी चीजों का समावेश नहीं होता।

२ म०प०

मगर कॉन्ट्रेडिक्शन रहता है, कॉन्ट्रेडिक्शन से क्या होता है कि इनएफिशियेन्ट आदमी को लैंड पर रिहेबिलिटेट करने से इकॉनोमी सफर करती और इकॉनोमी सफर करती है तो राजस्थान सफर करता है क्योंकि प्रोडक्शन का लेवल उतना नहीं आता, जितना स्टेटिसटिक्स ये दिखाते हैं कि इतने आदमी रिहेबिलिटेट कर दिये, इतनी जमीन एलॉट कर दी लेकिन वह जमीन उन आदमियों को एलॉट नहीं की जिन्होंने खेती की हो वे सरकम्सटान्सेज की वजह से खेती करते हैं, उनको लैंड दिया जाय जो सरकम्सटाम्सेज की वजह से एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहता है, उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि वह एफिशियेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट होगा। हमें जरूरत है एफिशियेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट की, लेकिन वह उस लेविल ऑफ एफिशियेन्सी में नहीं आता क्योंकि उसका खेती करना प्रोफेशन नहीं था। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन आदमियों का खेती करना प्रोफेशन नहीं है स्वयं खेती करने वाले नहीं हैं तो उनका राइट नहीं है कि वे रिहेबिलिटेट हों। वे इसलिए रिहेबिलिटेट नहीं हों क्योंकि उनके पास खुद काश्त लैंड नहीं है। वे इसकी आवश्यकता समझते तो वे खुदकाश्त जमीन ले सकते थे, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको आप खुद काश्तकार समझ लें, उनके लिए क्यों प्रोविजन रखते हैं। उन्होंने आज तक खुदकाश्त नहीं की, १६४८ से आज तक खुद काश्त लैंड नहीं ली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह प्रोफेशन लें। अब अगर खुदकाश्त लैंड दें तो क्या होगा कि वे सब लैट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, सब-टिनेन्ट के जरिये से खेती करायेंगे। जिन आदमियों ने खेती नहीं की, वे अब भी नहीं करने जा रहे हैं, वे सब टिनेंट के जरिये से खेती करायेंगे और लैंड में जो मिनिमम इन्ट्रेस्ट था, उतना ही रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ १२ में जो केटेगरीज हैं, इसके लिए अच्छा होगा कि माननीय मंत्री जी खुद अमेंडमेंट ले आये कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री **अनूपसिंह** (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अचम्भा हुआ यह जान कर कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिनके बाप-दादा की जो जमीन थीं, उसको ले लिया जाय और अगर उनके पास खुदकाश्त नहीं थी तो उनको खुदकाश्त जमीन देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि किसी को भी जमीन नहीं

(श्री अनूपसिंह)

दी जाय तभी इक्विटी हो सकती है। मैं अर्ज करूंगा कि उनकी जो जमीन जायदाद है, उसको छीन लीजिये तो क्या यह इक्विटी होगी उसके बाद भी उसको आप जमीन न दें और उसे दर दर का भिखारी करके छोड़ दें तो क्या इक्विटी होगी। यह इक्विटी की डेफीनिशन समझ में नहीं आई। इसके साथ ही भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से पहले फर्माया कि एग्रीकल्चरिस्ट एक क्लॉस है और कोइ भी नया एग्रीकल्चरिस्ट यह धन्धा नहीं कर सकता। यह बात समझना बड़ा मुश्किल हो गया है मैंने एग्रीकल्चर का विषय पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उतना अच्छा काम और कोई मैं नहीं कर सकता, जितना एग्रीकल्चर का कर सकता हूं, उसमें शायद सफल हो सकता हूं इसलिए यह कहना कि एग्रीकल्चरिस्ट की नई क्लास नहीं बनाई जा सकती, नया आदमी एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकता और जिनके बाप दादों ने यह काम किया है, वे ही अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको ही जमीन दी जानी चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ और यह अर्ज करूंगा कि पहले जो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास नाम की चीज थी, वह अब नहीं रही। मैं मानता हूं कि पहले एग्रीकल्चर करने का एक तरीका था, लेकिन वह अब बिल्कुल बदल चुका है और पहले एग्रीकल्चर करने वाले तो आज नाकामयाब हो सकते हैं लेकिन जो नया करने वाला है, वह सफल होगा क्योंकि एग्रीकल्चर करने का जो नया ढंग है कि किस तरह से खाद दी जाय, किस तरह के एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स दिये जावें, इनके बारे में जो आविष्कार हुए हैं, एक्सपेरीमेंट्स हुए हैं, इनके आधार पर एग्रीकल्चर को जो नया एग्रीकल्चरिस्ट नया रूप दे रहा है, वह पहले वाले एग्रीकल्चरिस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि एग्रीकल्चर को नया रूप देने का श्रेय किन्हीं को है तो वह नई एग्रीकल्चरिस्ट की क्लास हो सकती है। इसलिये यह कहना कि एग्रीकल्चर का प्रोफेशन नया आदमी नहीं कर सकता, यह गलत है। इसके साथ ही यह भी सुझाव था कि उनके पास इतने सालों से जमीन थी, खुदकाश्त की जमीन थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं रख ली। मैं अर्ज करूंगा कि उस वक्त सब-लैट करने का....

श्री श्रीभानसिंह : I think there is no quoram Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. I also realise it. Let us relax till the quoram is present.

श्री अनूपसिंह : इसलिए मैं, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से....

श्री श्रीभानसिंह : १७ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : We are short by one.

श्री अनूपसिंह : यह कहूँ....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you proceed on.

श्री अनूपसिंह : (जारी) सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, मैं निवेदन करूंगा कि किसी जमींदार या बिस्वेदार को जमीन मिली हुई नहीं है और वह गवर्नमेंट को अपील करता है जमीन के लिए, तो उसे अवश्य जमीन दी जानी चाहिये। अगर तीनों केटेगरीज़ की जमीन में से नहीं हैं, तो गवर्नमेंट के लिए उदारता दिखाने का सवाल है और उसको रिहेबिलिटेट करने

(श्री अनूपसिंह)

का सरकार का जिम्मा है, उसको सरकार अवश्य पूरा करेगी। यदि तीनों केटेगरीज में से कोई लैंड नहीं है, सरेन्डर्ड, अबन्डेन्ड, कल्चरेबल अनऑक्युपाइड लैंड, मान लीजिये, इनमें से जमीन नहीं मिलती है तो भाखरा डेम, गंग कैनाल, या जो प्रोजेक्ट एरिया कहीं भी हो, आज जो हैं और जो हो सकते हैं, हर जगह उनको जमीन देने का और रिहेबिलिटेट करने का जिम्मा सरकार का है। जब एक आदमी की चीज ले लेते हैं तो उसको रोजी देने का और जीवन चलाने के लिए काम देने का जिम्मा वेलफेअर स्टेट का है। हम चाहते हैं कि वेलफेयर प्रिन्सिपल पर बनी हुई यह सरकार है, यह इसका जिम्मा है और यह हर एक को रिहेबिलिटेट करेगी। यह नहीं कि उन्हें दर दर का भिखारी बना कर छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि नया आदमी इस प्रोफेशन को नहीं कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो लैंड-लैस लेबरर्स हैं, उनमें सुनार हैं, कुम्हार हैं लुहार हैं, जिन्होंने कभी यह धन्धा नहीं किया है, लेकिन उन्हें भी, इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उसमें शामिल कर लिया गया है। आपने एक पटवारी को कह दिया कि लैंड-लैस लेबरर्स की रिपोर्ट भेजें, उसने सुनार, चमार, लुहार, जो धन्धे के न चलने के कारण, लैंड-लेस होने के कारण लैंड-लेस लेबरर्स होंगे, खेती में मजदूरी करते होंगे, उन्हें भी लैंड लैस लेबरर्स मान कर पटवारी ने रिपोर्टें दे दी होंगी। जब उन्हें लैंड-लेस लेबरर्स मानते हैं, जिन्होंने वाकई यह काम पहले कभी नहीं किया था, वे जो काम करते थे, उनकी बनाई हुई चीजें आज मार्केट रेट से बेची नहीं जा सकती थीं, उनका जो धन्धा है, वह इस कारण अनइकॉनोमिक हो गया, उनका खुद का धन्धा इकॉनोमिक नहीं रहा, असल में जो उनका धन्धा है, उसके अनुसार आज वे भी वे गांव की जरूरत के लायक चीजें बनाते होंगे, लेकिन फिर भी वे लैंड-लैस लेबरर्स माने गये हैं। उनके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वे एक्सपर्ट हो गये हैं। और जो नये एग्रीकल्चरिस्ट हैं, नये तरीके से, उनके लिए कह दें कि एग्रीकल्चर उनके बाप-दादों ने नहीं किया है, इसलिए वे यह काम नहीं कर सकते और इसलिए उनको रिहेबिलिटेट करना बड़ा गलत कदम होगा। मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर ७५ पर्सेन्ट से ऊपर एग्रीकल्चर का धन्धा करते हैं, और अमेरिका में १२ पर्सेन्ट इस धन्धे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसर ऑन लैंड बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रेसर ऑन लैंड को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जिस किसी ने यह देखा, क्योंकि यह आसान धन्धा मालूम होता है, उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया आज हमारे यहां प्रेसर ऑन लैंड ७५ पर्सेन्ट से ऊपर है, इतनी अधिक जनसंख्या इस प्रोफेशन में लगी है। इसके बाद भी हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि उसे अमेरिका से धान मंगाना पड़ता है और अमेरिका, जहां १२ पर्सेन्ट जनसंख्या काश्तकार है, १२ पर्सेन्ट जहां एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वे हिन्दुस्तान को खाना खिला रहे हैं, यह शर्म की बात है। हमें यह भी नहीं करना है कि एग्रीकल्चरिस्ट की संख्या को बढ़ाते हुए प्रेसर ऑन लैंड को और बढ़ाया जाय और हमारे सामने एक लेबरर्स की प्रोब्लम हो जाय। इसलिए हमें सोचना है और लैंड-लैस लेबरर्स को देखते हुए यह तय करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता है, यह नहीं कि किसी भी रास्ता चलने वाले को कह दें कि यह लैंड-लैस पर्सन है।

(श्री अनूपसिंह)

इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन्होंने आज दिन तक जमीन पर रह कर, जमीन पर टिक कर, उन जमीनों पर अपना निर्वाह किया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको कहीं भी रिहेबिलिटेट करें, राजस्थान कैनाल एरिया पर, भाखरा डेम पर, या चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में बसायें, अगर उनको कहीं जमीन नहीं दी गई है तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको दे, जिन लोगों ने तवज्जह नहीं देकर दूसरों को सब-लैट कर दी और अब उनके पास जमीन नहीं रही। तो फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य के संशोधन का तो मैं विरोध करता हूं और सीकर से आये हुए माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसे जरूर मान लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है और दूसरा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उनका मैं विरोध करता हूं। और जिला बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी इस बात से सहमत हूं कि जागीरदारी के रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी सरकार पर है। वे लोग क्या काम करेंगे इसके लिये रिहेबिलिटेट करने की, सरकार पर जिम्मेदारी है, इसीलिये सरकार ने इसमें और जागीर रिज़म्पशन एक्ट में रखा है।

यह कहना कि वे लोग कुछ काम नहीं करते थे, ठीक नहीं। कुछ न कुछ काम तो वे करते ही थे, किसी न किसी शेप में पर्सनल कल्टिवेशन रखते आये हैं आम तौर पर काश्तकारी का पेशा ऐसा है कि आसानी से गांव में रह कर अपना सकते हैं। प्रोविजन तो इसमें है कि ऑलरेडी जिनके पास है उनके पास तो रहेगी ही, पर जिनके पास जमीन नहीं है, उनको खुदकाश्त के लिये जमीन दी जायेगी। जिनके पास नहीं हैं उनको देने का है। मैंने इसमें एक और केटेगरी एड कर दी है कि प्रोजेक्ट के एरियाज में भी, यदि यहां की जमीन से काम न चले, जमीन जागीर एरिया में मिलनी मुश्किल है तो वैसी सूरत में राजस्थान केनाल और चम्बल एरिया में देने के लिये एड किया है, वह अमेंडमेंट मेरा स्वीकार कर लिया जाय।

सब-क्लॉज ४ को डिलीट करने का रखा है, उसके लिये तो मेरा यह निवेदन है कि यह सब-क्लॉज बहुत जरूरी है, जिनके यहां लैन्ड सरेन्डर्ड बाइ टिनेन्ट्स न हो, लैंड अबेन्डेन्ड बाई टिनेन्ट्स न हो और कल्चरेबल अनऑक्युपाइड लैन्ड विदिन दी एस्टेट नहीं है तो, वैसी सूरत में जब कि हमारी पॉलिसी यह है कि, उनका रिहेबिलिटेशन करना है तो आस पास के गांवों से सरप्लस लैंन्ड लेकर रिहेबिलिटेट करने का रखा है, इसलिये सब-क्लॉज ४ रहना जरूरी है। सब-क्लॉज ५ इस लिये जरूरी है कि उनकी एस्टेट में इस तरह की जमीन सरप्लस जमीन अवेलेबल नहीं है तो प्रोजेक्ट एरिया में सरप्लस लैंड पर उन्हें रिहेबिलिटेड किया जा सकता है।

और माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनका मैं इसलिये विरोध करता हूं, जिसकी वजूहात मैंने अर्ज की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमेंट मूव

(श्री पी० के० चौधरी)

किया और मन्त्री महोदय ने फर्दर अमेंडमेंट मूव किया है तो उससे उन्होंने इस क्लॉज को और भी लिबरल कर दिया है जिस क्लॉज़ पर मैंने डिलिशन का अमेंडमेंट रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर इस बात से सहमत हूँ कि रि-हेबिलिटेशन का प्रबन्ध करना चाहिये पर यह आॅग्युमेंट देना कि उनकी एस्टेट में नहीं दी तो और कहीं भी जमीन देनी चाहिए, मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हूं। क्योंकि आज एक तरफ तो ऐसे लैंड लेजिस्लेशन्स लाते हैं कि केनाल एरिया में कोई लैंड को ट्रान्सफर नहीं कर सकता, केनाल एरिया में ट्रान्सफर लैंड पर टाइटिल्स सब कैन्सिल करते हैं, दूसरे वह लैंड एलॉट करते हैं तो पन्द्रह, बीस बीघा से ज्यादा एलॉट नहीं करते हैं, पर यहां खुद काश्त के नाम से इससे ज्यादा भी दे सकते हैं और इसके लिये प्रेस्काइब्ड लिमिट का अमेंडमेंट मूव करें.......

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir, We have got rules for allotment in these project areas for Chambal and we have different rules for Rajasthan Canal area and a limit has been prescribed for ordinary cultivator. So far as jagirdars are concerned, because we shall have to give them land, therefore, we have to frame rules for them.

श्री पी० के० चौधरी : जो स्पेशल टर्म्स और कन्डिशन्स रख रहे हैं उन्हीं का विरोध करता हूँ। उनकी एस्टेट के बाहर स्पेशल टर्म्स और स्पेशल कन्डिशन्स पर देने का विरोध करता हूँ, उनके एरियां में ही वेस्ट लैंड है वह दीजिये। यह मेग्नेनिमिटी, मैं इसे आपकी तरफ से मेग्नेनिमिटी समझता हूँ क्योंकि आप उनको स्पेशिलिटी देंगे दूसरी एप्लीकेन्शस के ऊपर, क्योंकि आपने अमेंडमेंट मूव किया है :

"that means now in your amended clause he will get preference over other applicants for khudkasht even in canal areas."

आप अमेंडमेंट लाये इसके जरिये से इसको तो मैं जस्टिस नहीं कह सकता। आप पढ़िये इसको :

"The following categories of land may, in the order hereinafter mentioned, be allotted to a Zamindar or Biswedar, in preference to other applicants for the same, as khudkasht under section 10, namely:—

तो आप पार्ट ४ में अमेंडमेंट लाये हैं, उसमें राजस्थान केनाल एरिया, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया इन्क्लूड किया है....

'That means you will give preference over all other appicants."

जहां तक रि-हेबिलिटेट करने का सवाल है, जरूर माननीय सदस्य बाड़मेर से आये हुए, कह रहे थे कि गवर्नमेंट को रि-हेबिलिटेट करना चाहिये, पर प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिये सिर्फ जागीरदारों को मिलना चाहिये ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं, रोजगार का जरिया नहीं, ६ लाख से ज्यादा लैंड-लैस लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो फिर जिनके पास ऑलरेडी कुछ है.......those who were clamouring for land राजस्थान केनाल एरिया में, चम्बल एरिया में दे रहे हैं........

Page No.62

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) चंबल एरिया के, राजस्थान केनाल एरिया के रूल्स हैं उनमें ये केसेज कवर नहीं होते........these lands will be alloted to the landless tenants of that area. और उन रूल्स के अन्दर यह डिस्क्राइब्ड है....these jagirdars and zamindars are not covered by these rules. इसलिये उनके लिये तो कोई जमीन रिजर्व करनी पड़ेगी....and only that land will be available for these people and only on that land will they get preference over other applications.

श्री पी० के० चौधरी : यहां आपने कहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I would request the Hon'ble Member to read this amendment along with the rules for allotment of land in Chambal and Rajasthan Canal area and then he will understand it as I submit.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी बताते हैं राजस्थान केनाल एरिया में और चम्बल एरिया में अलग रूल्स हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : चम्बल के नहीं राजस्थान केनाल के अलग रूल्स हैं.... Do not mis-understand me.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या इस एक्ट के खिलाफ नियम बनेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्ट में प्रोविजन है सुन लीजिये । "Lands commanded by the Chambal or Rajasthan Canal area on such terms and conditions as may be prescribed..." It goes without saying that the terms will be prescribed by Government and they will be on the lines just indicated by me.

श्री पी. के. चौधरी : That comes in part (v) of sub-clause (1), 'land will be allotted in Rajasthan Canal and Chambal area according to the prescribed rules' Now part (v) is part of sub-clause (1) which reads:—

"The following categories of land may, in the order here in after mentioned be allotted to a Zamindar or Biswedar, in preference to other applicants for the same, as khudkast under Section 10, namely.—"

So whatever may be in the prescribed rules, the Act will get supermacy over the rules. Whatever may be in your rules, but when the Act says that his application will get preference over any other applicant in that area, the rules will have no meaning. By rules you cannot over-ride a statutory provision. तो इसके लिये आप अमेंडमेंट लाये हैं उसने पोजिशन को और भी खराब किया है । मैं समझता हूं कि यहां इसका मतलब है माननीय मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट किया उसको भी यह पूरा करता है और डिलीट करना है, यह नेचुरल जस्टिस नहीं है । surrendered land, unculturable waste land, या कोई एक्स्टेन्डेड लेन्ड हो उसको आप देते तो to some extent ठीक होता जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है You are giving him about 10 years' income. अब उसी का रिहेबिलिटेशन हो सकता है He can start busiuess, या he can buy a piece of land like an ordinary citizen. जो दूसरे नागरिक हैं जिस तरह से उनकी जमीन एक्वायर करते हैं, चाहे वह प्राईवेट हो या गवर्नमेन्ट से, जिन जिन की जमीन आपने ली है उन सब

(श्री पी० के० चौधरी)

को रिहेबिलिटेट आपको करना है You must find full employment for everybody. वह तो आपने नहीं किया। सरकार की जितनी जिम्मेदारी बिस्वेदारों के लिये और जागीरदारों के लिये है उतनी ही सरकार की जिम्मेदारी लैन्डलैस लोगों को बसाने के लिये है। किसी के लिये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं हो सकती और न किसी स्पेशल कॉस्ट के लिये। एक शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के सिवाय we do not give them any preference for their belonging to any caste, creed or class. जैसा कि हम शिड्यूल कॉस्ट और ट्राइब के लोगों को आप प्रिफरेंस दे रहे हैं। यह Constitution की स्प्रिट के खिलाफ है It is against the spirit of the Constitution जहां तक रि-हेबिलिटेशन का सवाल आता है तो compensation itself is meant for rehabilitation. जब आप कम्पेन्सेशन दे देते हैं तो उसके बाद में रि-हेबिलिटेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता लेकिन जिसको आपने कम्पेन्सेशन कर दिया है उसके लिये री-हेबिलिटेशन का प्रश्न नहीं आता है। आप उनको नोर्मल रूल्स में फेसिलिटीज़ दे सकते हैं मगर प्रिफरेंन्स नहीं दे सकते। इसलिये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप उनको केनाल एरिया में उनको प्रिफरेन्स दें Let them apply just like any other landless person जो रूल्स कवर होता है। दूसरी बात माननीय सदस्य श्री अनूपसिंह ने कही कि रीहेबिलिटेशन के खिलाफ है। मैं यह कहूंगा कि नेचुरल जस्टिस से जो चीजें होनी चाहिये वह हमें करना चाहिये। दूसरी बात कि उनको खुदकाश्त करने से एग्रीकल्चरल क्लास hereditary classes चाहे बाई ट्रेड हो चाहे किसी तरह से हो, मैं तो यह कहूंगा कि कोई व्यक्ति कोई ट्रेड कर सकता है जैसा कि माननीय सदस्य ने बयाना से आने वालों ने कहा और आॅग्युमेंट दिया, उनका आॅग्युमेंट काफी वजनदार है (वेटी), जिन्होंने १० वर्षों से खुदकाश्त नहीं किया आप उनको जबर्दस्ती खुदकाश्त के राइट्स देते हैं और उनको बाहर जाकर देते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका विरोध करता हूँ और मेरा क्लॉज़ है जो ठीक है। I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ सब-क्लॉज़ ८ में श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उससे उनकी मंशा किसी तरह से भी पूरी नहीं होती। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि वे इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं जिससे वास्तव में उनको अधिक हैराशमेंट में पड़ना पड़ता है। इसकी धारा इस प्रकार है : ऐसे ग्राम या ग्रामों, जिसमें या जिनमें जमीदार या बिस्वेदार की भूसंपदा स्थिति है, के समीप खंड (१), (२) और ३ में उल्लिखित प्रकार की भूमि। जहां उनमें एस्टेट या उसके पास की जमीन और ५ धारा जोड़ने का रखा है। इसमें प्रोजेक्ट एरिया में जमीन दे दी जावे। मैं यह

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कहूँगा कि मान लें मिसाल के तौर पर अलवर जिला है वहां पर पड़ोस में कोई जमीन नहीं है। लक्ष्मणगढ़ को ले लें वहां पर जमीन नहीं है। वैराट में ऐसी जमीन है जो कल्टी-वेशन के लिये बनाई जा रही है तो वे उस जमीन को क्यों नहीं ले सकते हैं! वह तो उनके पास में पड़ती है। मैंने जो संशोधन रखा है, "and other culturable land available in any part of the State" उसमें माननीय मन्त्री महोदय का संशोधन है वह भी कवर अप हो जाता है और यह भावना भी आ जाती है कि जमींदारों का हलका है, उसके पड़ोस में कोई जमीन है तो मिल सकती है। यह इसलिये क्योंकि लक्ष्मणगढ़ की वैराट में नहीं मिल सकती लेकिन उसको राजस्थान केनाल एरिया में जमीन मिल सकती है। जब उसको राजस्थान केनाल एरिया में जमीन मिलती है तो उसको हैरान होना पड़ता है। इतना हैराशमेंट क्यों, हमने खुदकाश्त का प्रावधान स्वीकार कर लिया और यह कि उनको इलाकों में दे दी जावे या नहीं हो तो चम्बल के इलाके में दे दें। इतना मानने के बाद में मान लें कि कोई जयपुर डिविजन का है और यहां पर कोई प्रोजेक्ट एरिया नहीं आता वह कोटा में जावेगा या जैसलमेर या जोधपुर जावेगा और उसको आसपास में कोई जमीन हो तो उसको नहीं ले सकता। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय का अमेन्डमेन्ट है वह इसकी किसी प्रकार की मंशा को पूरी नहीं करता, उल्टा झगड़ा बढ़ाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा में, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार करें तो सारी स्थिति ठीक हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ के उपखण्ड (४) के अन्तर्गत श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पेश किया गया है, उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्रीजी द्वारा क्लॉज़ १२, पार्ट ५ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ संशोधित रूप से स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

क्लॉज़ १३। डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं क्लॉज़ १३ जो कम्पेन्सेशन का इस बिल के अन्दर है, उसके ऊपर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो यह क्लॉज़ १३, इस बिल के अन्दर रखा गया है वह शायद माननीय मन्त्री महोदय ने यह सोच कर क्योंकि प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर

(श्री श्रीमानसिंह)

है इसलिये शायद रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वह शायद आर्टिकल ३१ के मुताबिक, गवर्नमेंट अगर किसी की प्राईवेट प्रोपर्टी को एक्वायर करे, रिक्वीज़िशन करे या डिस्पोज़ ऑफ करे तो उसको कम्पेन्सेशन देना अनिवार्य हो जाय। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, जो अगर हम अपने लैंड रिफार्म्स का या लैंड रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है उसके इतिहास को देखें तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि जमीदारों को कभी भी अपनी जमीन पर या एरिया पर प्रोप्राइटरी राइट्स, प्रोपर्टी राइट्स कभी नहीं मिले। यानि जो जमीदारी एरिया है उस पर कभी उनका प्रोप्राइटरी हक नहीं है। जमींदारी के सेलियन्ट फीचर्स हैं उनको मिलायें तो प्रोपर्टी का यूज़ करना, एन्जॉय करना, उसके फुल राइट्स ओनर को होने चाहिए। मैं राइट्स पर बाद में जाऊंगा, पहले जमीदारों को क्यों क्रियेट किया गया, यह बताऊंगा। उनको क्रियेट इसलिए किया गया कि जो लैंड रेवेन्यू वह कलेक्ट करें और जो सरकार का खजाना है उसमें वे दे दें और उस कलेक्शन में से थोड़ा कमीशन गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी वह जमीदार लेने का हकदार होता था। सबसे पहले ऑनर यदि कोई थी तो वह स्टेट गवर्नमेन्ट थी न कि जमीदार और जब राजस्थान गवर्नमेंट यह मानती है कि यह एक इन्टरमिडियेरी है टिनेन्ट और गवर्नमेन्ट के बीच में। जो इन्टरमिडियेरी है उनको कभी फुल प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं थे। खुद राजस्थान सरकार ने जमींदारी एबॉलिशन इन्क्वायरी कमेटी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट को देखें तो पता चलेगा कि जमींदारों को प्रोपर्टी राइट्स संविधान के अन्दर दिये गये हैं वे उनके थे या नहीं ? पहले पेज ५ पर भरतपुर स्टेट के बारे में कमेटी कहती है वह यह है :

"In Bharatpur State, according to the rules issurd in 1898, no zamindar was allowed to alienate his land by sale or mortgage without the previous sanction of the State Council." तो जमीदारों को जो जमींदारी एरिया मिला हुआ था उसमें उसको एलीनेट करने का राईट और मार्टगेज़ प्राईवेट प्रोपर्टी पर नहीं था। जब सेल और मोर्टगेज़ करने का एक आदमी को राइट नहीं था तो जमीदार प्राईवेट प्रोपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। प्रोप्राइटरी राइट्स या जो कुछ सुप्रीम राइट्स हैं वे सब स्टेट गवर्नमेन्ट के हैं और जमीदार के जो राइट्स हैं वे सबोर्डिनेट राइट्स हैं और प्राईवेट प्रोपर्टी को एन्जॉय करने के राइट्स हिन्डर किये जाते हैं या रोके जाते हैं। इसलिए रोके जाते हैं कि मालिकाना हक होना चाहिये था, वह हक नहीं था। यह कहना चाहिये कि ऑनर्स थे, या लैंड लॉर्ड थे, वे भरतपुर स्टेट में नहीं थे। राइट्स थे तो they were always subject to the previous sanction of the State Government. जो राइट्स सब्जेक्ट हों, वह इस तरह क्लेम करे जो कि राइट्स हैं नहीं, वह कम्पेन्सेशन संविधान की धारा ३१ के अन्तर्गत क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रोपर्टी राइट्स उसके नहीं थे। आगे कमेटी कहती है : "In the case of gift, sale or mortgage of Biswedari rights to permissible classes, the previous sanction of the Council continued to be indispensable." जब तक भरतपुर स्टेट में प्रोवियस पर्मिशन न ले लें तो एलीनेट करने के जो राइट्स हैं वे नल और वॉइड कर दिये गये हैं। जमीदारी एरिया अलवर में आता है और उसके लिए उसमें लिखा है : "Sanction of the Chief Revenue Officer was essential for sale, mortgage or gift." अलवर जिले में

Page No.66

(श्री श्रीमानसिंह)

जमींदारों को राइट्स थे। एक्चुअली प्रोपर्टी राइट्स या प्रोप्राइटरी राइट्स भरतपुर में थे वे ही अलवर और कोटपुतली एरिया में हैं। धौलपुर एरिया के लिये आपकी रिपोर्ट कहती है: "Zamindars had no real proprietory rights." यह क्लीयरली आपने डिफाइन कर दिया "Zamindars have no real proprietoty rights, but merely contract with the State for the payment of the revenue demand and their position is merely that of collectors of revenue" मेरा कन्टेन्शन यह था कि हमारी स्टेट में जिन जिन एरियाज़ में जमींदारी सिस्टम है उनकी पोजिशन रेवेन्यू कलेक्टर्स की है और जब रेवेन्यू कलेक्टर्स की है तो प्रोपर्टी राइट्स जमींदारी एरिया पर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे उनके राइट्स सबोर्डिनेटेड हैं तो उसको एक्वायर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्यों उनको कम्पेन्सेट करना चाहिये और स्टेट गवर्नमेन्ट करना चाहती है तो कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से और उसके लिए क्यों टैक्स का बर्डन इन्क्रीज़ करें और इन्क्रीज करके स्टेट गवर्नमेन्ट उनको क्यों कम्पेन्सेट करना चाहती है जिनको कि ओनरशिप या प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं हैं वे संविधान की धारा ३१ के अन्तर्गत कम्पेन्सेशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि खुद इन्क्वायरी कमेटी ने कहा है कि राइट्स ओनर के होने चाहिये जो नहीं है। आगे है....'Rights and privileges of Zamindars in Rajasthan. As pointed out......

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, we resume the debate,

श्री श्रीमानसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो राइट्स एन्ड प्रिविलेजेज of zamindars in Rajasthan. रिपोर्ट जो कहती है उसका एक्स्ट्रेक्ट पढ़ रहा था। "As pointed out by the Venkatarhar Committee, all the legal concepts relating to Zamindari rights in Bengal and U. P, have never been extended in their entirety to Alwar and Bharatpur units." और आगे जो मैंने यूज़ किया है . and merely recognised a subordinate pro perietray or Biswedari right in the village community and its component members. तो ये जो राइट्स है उपाध्यक्ष महोदय, जो खुद कमेटी रिकोग्नाइज़ करती है अगर हम उदाहरण देते हैं यू० पी० का कि वहां जमींदारी थी। वहां के जमींदारों ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के अधीन केसेज़ किये थे और कम्पेन्सेशन कोर्ट ने माना था, यू० पी०, बिहार, बंगाल की एनोलोजी पर यह कहें कि यहां भी जमींदारों को कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है, लेकिन उनकी यह एनोलोजी उचित नहीं है क्योंकि सुप्रीम राइट्स जमींदार के यहां एक नहीं होते।

आगे पेज ८ पर वेंकटाचार कमेटी के प्रपोजल्स है :-

The Rajasthan Madhaya Bharat Jagir Enquiry Committee expressed the view that the Zamenders in Rajasthan did not enjoy property rights of a nature which entitled them to compensation as such. यानि वे रिकॉमन्ड करते हैं कि सिर्फ इनको रीहेबिलिटेशन की सहायता दी जाय। मैं नहीं समझता जब कमेटी

(श्री श्रीमानसिंह)

की रिपोर्ट इस प्रकार की है उसने सब दृष्टि-कोण से विचार करके इस नतीजे पर आये कि जमींदारी और बिस्वेदारी है उसके लिए राज्य सरकार से क्लेम नहीं कर सकते कम्पेन्सेशन के लिये, क्योंकि उनकी प्रोपर्टी राइट्स नहीं हैं। फिर हम उसको कम्पेन्सेशन देकर स्टेट के एक्स चैकर पर बर्डन क्यों डालें। संविधान की दुहाई तभी दे सकते हैं जब कि उन पर प्रोपर्टी राइट्स हों। जिनके प्रोपर्टी राइट्स नहीं माने गये अगर उनको कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की जाती है तो उससे स्टेट को रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे और वह रिसोर्स केवल यही हो सकता है कि जनता पर टैक्स बढ़ाया जाय। इसके अलावा यू० पी० और बिहार का उदाहरण दिया जाता है। आप यू० पी० की तरह सेल्फ लिक्वीडेटरी स्कीम्स रखें उनसे जितनी भी आमदनी स्टेट एक्स चैकर में आती है उसी से कम्पेन्सेशन दे दिया जाता है। लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं कि एक तो उनको रीहेबी-लिटेशन के लिए खुदकाश्त लैन्ड दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिसके प्रोपर्टी राइट्स नहीं फिर भी उनको कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। इसलिये संविधान के आर्टिकल ३१ के अन्दर जिस बात के लिये कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न है वह केवल प्राइवेट प्रोपर्टी के लिये। और प्राइवेट प्रोपर्टी के राइट्स सर्टेन राइट्स होते हैं। उससे जमीं-दारी और बिस्वेदारी के राइट्स डिफ्रेन्ट हैं। इसको सेल मोर्टगेज ट्रान्सफर नहीं कर सकते तो फिर आप किस तरह से यह मान कर चलते हैं कि जमींदार उस एरिया का मालिक है। उनके राइट्स को डिस्पोजेज करने के लिये मैं नहीं समझता स्टेट गवर्नमेन्ट क्यों बर्डन करे। लोग क्या कहेंगे जिनके राइट्स नहीं थे उनकी भूमि को एक्वायर करने के लिये राज्य सरकार कम्पेन्सेशन देती है। एक तरफ तो उनकी कन्डीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं और कम्पेन्सेशन के लिये स्टेट जागीर में फिट कर देते हैं। यानी राइट्स नहीं थे वैसी हालत में उनको जो पुनर्वास की सुविधा दे रहे हैं वही काफी हैं उसके लिये जो उनको उस भूमि से रिमूव कर रहे हैं उसके लिए कम्पेन्सेशन का भार डाला जाय तो यह इक्विटेबल और जस्टिस नहीं होगा।

वे क्लेम इसी बेसिस पर कर सकते हैं कि हमारा इस पर पूरा राइट था इनका मामला जागीरदारों के मामले से भिन्न है। दोनों चीजों की समानता नहीं है। जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट की एनोलोजी लेकर वह जमींदारों पर एप्लाई कर सकते। दोनों सिस्टम डिफ्रेंट होते हुए यू० पी०, बिहार, बंगाल और जगहों की एनोलोजी दी जा रही है कि सब प्रान्तों ने कम्पेन्सेशन दिया वह भी यहां नहीं लागू होती। जो अधिकार यू० पी० के जमीं-दार को थे वे राजस्थान के बिस्वेदार को नहीं थे। जब उसका राइट् नहीं, तो यह आप द्वारा बिठाई हुई इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी यह एड्मिट करती है कि जमींदारों और बिस्वेदारों का कोई राइट नहीं, उनको कम्पेन्सेशन न दिया जाय तो वैसी हालत में इस कम्पेन्सेशन के क्लॉज १३ की क्या जरूरत है?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। उनका यह कहना है कि जमींदारों पर प्रोपर्टी राइट नहीं है, साथ में यह भी कहा जाता है कि जमीं-दारी को बेचने का, गिफ्ट करने का, या रहन करने आदि का अधिकार तो जमींदार को था

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लेकिन उसके साथ मन्जूरी दरबार की लेनी आवश्यक थी या नहीं, कौन्सिलों की मन्जूरी लेने की जरूरत होती थी। राइट तो उनका था किन्तु कुछ रेस्ट्रिक्शन्स थे वे यह कि बिना मन्जूरी लिये वे बेच नहीं सकते थे। यानी मालिकाना राइट तो उनका माना गया है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन यह लगाया कि किसी को जमींदारी राइट देना हो तो हमको पूछ कर दें। उसमें यह नहीं था कि आपका मालिकाना हक नहीं, इसलिये आप इसको बेच या रहन नहीं रख सकते, यह कहीं भी नहीं कहा गया है। मालिकाना राइट तो स्टेट भी मन्जूर करती है ....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर बताया कि भरतपुर अलवर में इस तरह के प्रोपर्टी राइट्स को कमेटी ने नहीं माना है। Portions of the Committee's observation.

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) रखते हुए कमेटी के ऑब्ज़र्वेशन कुछ भी हो सकते हैं उनके ऑब्ज़र्वेशन से हम गाइड नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : Observations based on certain facts which are taken into consideration.

श्री पुरुषोत्तमलाल : उन्होंने जो विचार व्यक्त किये उसके अनुसार कुछ राज्यों के अन्दर ऐसा था कि किसी भी जमींदारी को वह बेचना चाहे या रहन रखना चाहे तो उसके लिये जमींदार को स्टेट की मन्जूरी लेना आवश्यक होता था। किसी भी कमेटी ने यह नहीं कहा कि जमींदारी को रहन रखने या बेचने का अधिकार जमींदार को नहीं था, ऐसा लिख देते तो बात दूसरी थी। यह राइट इस प्रकार का है जिस प्रकार हमने खातेदारी राइट दिये हरिजन काश्तकारों को अगर वे किसी को खातेदारी राइट बेचना चाहता है तो केवल हरिजन को ही बेच सकता है इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया है। मालिकाना राइट्स को मन्जूरी ही नहीं किया हो यह बात नहीं है। रेस्ट्रिक्शन लगाना एक चीज है और मालिकाना हक स्वीकार न करना दूसरी चीज है। रेस्ट्रिक्शन भी दो प्रकार के होते हैं एक तो प्राइवेट मैन का रेस्ट्रिक्शन और दूसरा गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन। प्राइवेट रेस्ट्रिक्शन कामयाब नहीं होते इसीलिये गवर्नमेंट के तरफ से जरूरी रेस्ट्रिक्शन लगाये जाते हैं। हमारे जमींदारों पर राज्य सरकार ने इसलिये रेस्टिक्शन लगाये थे कि जिस पर्पज़ के लिये जमींदारियां उन को दी गई न मालूम उस पर्पज़ के लिए काम में उनको न ले इसलिये गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था।

प्रोपर्टी राइट्स उनको नहीं था यह जो कहा जाता है तो मेरा निवेदन है कि फिर राइट क्या था। राइट उनको यह था कि उसकी आमदनी से वे फायदा उठायें। आप देखेंगे कि जागीरदारों को कोई राइट नहीं था कि वे अपनी जागीरों को बेच सकते थे, लेकिन जमींदारों को ऐसा यह अधिकार था कि वे अपनी जमींदारियों को गिफ्ट कर सकते हैं, रहन कर सकते हैं, बेच सकते हैं लेकिन उसके लिये उनको सरकार से पर्मीशन लेनी आवश्यक होती है। जब आपने जागीदारों को मुआवजा देने का तय किया है तो जमींदारों को आप मुआवजा देते हैं तो यह कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजो रखा गया है, वह उपयुक्त है। किसी के राइट्स को अगर हम लेते हैं तो वैसी हालत में जो

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लोग इतना फायदा उठाते चले आ रहे हैं उनको बिना मुआवजा दिये लेते हैं तो यह संविधान के खिलाफ होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और इस आधार पर करता हूं कि जो जमींदारी एबॉलिशन रिपोर्ट है उसके अन्दर स्पष्ट है। जमींदार जो धौलपुर के अन्दर थे वे केवल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिये ही थे। इस बारे में हमें इसके पुराने इतिहास को भी देखना होगा। जिस वक्त धौलपुर के राजाओं का राज्य गोहद समाप्त हुआ उस समय ब्रिटिश शासन ने धौलपुर को एक बफर स्टेट बना दिया था ताकि उत्तरप्रदेश पर मराठा लोग हमला नहीं कर सकें। और जो धौलपुर के राणा थे उनके सामने प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि लैन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन कौन करे, इसको ध्यान में रखते हुए जो जो लोग वफादार थे उनको इस प्रकार से भूमि बांट दी थी और वे लैंन्ड रेवेन्यू वसूल करके स्टेट की हिफाज़त करें। इस तरह से उनका अधिकार उस पर नहीं हुआ। इस तरह से धीरे धीरे सामन्त तैयार हो गये। यह उनका राइट नहीं होगया। जिस पर वे यह कहें कि इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन के लिये पटवारी हैं, कलेक्टर हैं और पंचायतें भी हैं। इसलिये मैं तो मुआवजे का सख्त विरोध करता हूं और इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नही है। जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं वे उपयुक्त हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पेन्सेशन सम्बन्धी इस धारा का सदन के दो माननीय सदस्यों ने विरोध किया तथा किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी भरतपुर से व धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उनका समर्थन करता हूं, उस समर्थन में हो सकता है कि उन्होंने जो कारण व्यक्त किये उनके विपरीत मेरे दूसरे कारण हों परन्तु यह एक मोटा सिद्धान्त का प्रश्न है कि हम किसी की प्रोपर्टी को एक्वायर करें तो उसको उसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जावे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह निर्विवाद है कि संविधान में दी हुई व्यवस्था के अनुसार हम किसी व्यक्ति की यदि प्रोपर्टी लेते हैं या उसके कुछ राइट्स को एक्वायर करते हैं तो वैसी सूरत में सरकार को संविधान की व्यवस्था के अनुसार उसे कुछ कम्पेन्सेन्शन देना पड़ेगा। कम्पेन्सेशन कितना दिया जावे, किस प्रकार से दिया जावे कितना रीजनेबल होगा, कितना अनरीजनेबल, इसके बारे में हालांकि कोई व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को लेकर हम अपनी विधान सभाओं में या अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की प्रोपर्टी को एक्वायर करने से पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है।

मैं समझता हूं कि उस व्यवस्था के कारण से जागीर एबॉलिशन बिल के अन्दर कम्पेन्सेशन सम्बन्धी यह धारा रक्खी गई है। प्रश्न एक आता है कि जो हम कम्पेन्सेशन दे जिस प्रकार से अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया था कि कम्पेन्सेशन एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट हो सकता है। यहां पर हमें इस भावना में और इस भावना से कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन इन दो बातों को अलग अलग

(श्री भैरोंसिंह)

रखकर विचार करना पड़ेगा। यदि हम यह स्वीकार करें कि एक व्यक्ति की हमने प्रोपर्टी ली है और उसके एवज में कम्पेन्सेशन दे रहे हैं संविधान की व्यवस्था के अनुसार और वह कम्पेन्सेशन उसको रिहेबिलिटेशन की जो बात होगी या जो रीहेबिलिटेशन की लाइबिलिटी गवर्नमेन्ट पर आती है, वह इन दोनों की पूर्ति कर सकेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भेद से इस कम्पेन्सेशन के क्लॉज पर विचार नहीं किया जा सकता। कम्पेन्सेशन दिया जावे या न दिया जावे, यह एक इस प्रकार का प्रश्न है जिस पर राजनैतिक दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है, किया गया है, और किये जाने के बाद में एक व्यवस्था भी हुई है। जहां तक देने का सवाल आता है या इस प्रकार का कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न आता है। मैं इस प्रकार के सिद्धान्त का विरोधी हूं। और इसलिये कि हम जमींदारी के विषय में किसी को कम्पेन्सेशन दें, उसका, पहले एक तो यह विचार करें कि वह जमींदार या जमींदार के जरिये ये राइट्स हम आज इस कानून के द्वारा छीन रहे हैं उसके कारण से उस जमींदार का क्या नुकसान होगा और जो नुकसान होता है वह नुकसान उसके फायदे के रूप में किसी कानून के द्वारा मिला हुआ था। जमींदार का क्या हक था। क्या उसको जमींदारी के सम्बन्ध में अधिकार हासिल हुए थे। वह अधिकार का प्रयोग किस सीमा तक करता था और उस प्रयोग के द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव होता था? इन चार मुद्दों को सामने रखकर हमने कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन के प्रश्न पर विचार किया तो मैं समझता हूं स्पष्ट रूप से हमारे सामने वह व्यवस्था आ जावेगी जिसके द्वारा हम इन दोनों प्रोब्लम्स का अच्छा सोल्युशन निकाल सकते हैं।

मैंने इस एक्ट को अच्छी तरह से देखा है। इसके सम्बन्ध की रिपोर्ट को भी देखा है। भारतवर्ष के अन्य राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी के एबॉलिशन के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनको भी देखने का थोड़ा बहुत मौका मिला है और उस सब के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमने जो कम्पेन्सेशन दिया है, वह संविधान से डरकर या संविधान या संविधान की व्यवस्था के अनुसार कम्पेन्सेशन देने की बात पर विचार किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि जमींदारी एबॉलिशन के अन्दर यहां हमने जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जमींदारों के अधिकार साफ तौर से बताये हैं कि अमुक जमींदार के अमुक क्षेत्र में ये अधिकार थे और हमने आगे जाकर यहां तक भी कह दिया है कि सिवाय रेवेन्यू कलेक्टर्स के और कोई एक्शन उनका नहीं था। वैसी स्थिति में एक प्रश्न आता है कि ये रेवेन्यू कलेक्टर्स थे पर जो किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं तो इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि इस के नाते भी उनको कुछ राइट्स मिले हुए थे। जिनका उपयोग से उनको कुछ आर्थिक लाभ होता था और उसमें वे अपने जीवन के सारे कार्यों में सहयोग प्राप्त करते। आज हम इस कानून के द्वारा उनकी इस व्यवस्था को भंग करके एक नई व्यवस्था जो राजस्थान में चालू है उसको लागू करेंगे इस कारण जो उनको आर्थिक लाभ होता था वह भविष्य में नहीं होगा। कम्पेन्सेशन में जहां हमने यह व्यवस्था की है कि जमींदार जिसकी जमींदारी उसकी खुदकाश्त में है उसका २५ प्रतिशत कम्पेन्सेशन दिया जावेगा और बाकी का मैं डेफीनेटली तो नहीं कह सकता शायद ८ डे टाइम का प्रोविजन रक्खा है। पर हमने इस कम्पेन्सेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन रक्खा है।

Page No.71

(श्री भैरोंसिंह)

वह इस बात का संकेत करता है कि जो राइट्स थे उनके अन्दर भी अलग अलग प्रकार की बातें थी। मैं जमींदार हूं और मेरी जमींदारी खुदकाश्त में है तो खुदकाश्त में होना यदि गुनाह है तब तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि उसको २५ पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन देना है। और यदि गुनाह नहीं है तो वह जमींदारी और दूसरी जो मेरी खुदकाश्त में नहीं है जो किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, उसको ज्यादा कम्पेन्सेशन दें और दोनों में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रक्खा जावे, शक्ल में तादाद में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पर फार्मुले में रक्खा है यह न हो। एक को २५ पर्सेन्ट और दूसरे को ८ डे टाइम ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू। ऐसी स्थिति ला रहे हैं। अब इसमें सरकार भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की जमींदारी है और उसको किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वरना सरकार स्पष्ट रूप से जिस तरह जागीरदारी एबोलिशन में रक्खा गया है कि पांच हजार के नीचे वालों को इतना, बीस हजार तक वालों को इतना, चालीस हजार वालों तक को इतना कम्पेन्सेशन दिया जावेगा और इससे ऊपर वालों की कैटेगरीज भी फिक्स की हैं उसके आधार पर कम्पेन्सेशन मिलेगा। सरकार भी इस तरह की व्यवस्था यहां भी कर सकती थी कि सौ रुपया आमदनी वालों को इतना और उसके ऊपर वालों की कैटेगरी बनाकर उनको कम्पेन्सेशन दिया जाता। पर सरकार ने, मैं ऐसा समझता हूं, कि राजस्थान के अन्दर ही यह नई व्यवस्था होगी। बाकी के राज्यों में है या नहीं यह राजस्व मन्त्रीजी बतावेंगे। पर मेरी जानकारी में जो व्यवस्था आई है उसके आधार पर बता सकता हूं कि जो तरीका राजस्थान जमींदारी एबॉलिशन बिल में रख रहे हैं वह अपनी सानी का अजीब नमूना है।

उसके पीछे जो भावना है वह भावना स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि सरकार और जमींदार एक दूसरे के क्या क्या अधिकार हैं क्या क्या सम्बन्ध हैं इस सम्बन्ध में दोनों को पता नहीं है, दोनों इस मामले में एक दूसरे से शंकित हैं। हमारे क्या अधिकार हैं और कानूनन हैं हम इसका कम्पेन्सेशन क्लेम कर सकते हैं या नहीं, जमींदार यह सोचता है। सरकार भी भ्रम में है कि कानूनन यह कम्पेन्सेशन दे सकते हैं या नहीं और इसलिये उन्होंने नॉमीनल कम्पेन्सेशन ही रक्खा है। जागीर रिजम्प्शन एक्ट की तुलना में जमींदारों को जो मिला हैं उसको देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनको जो मिलने जा रहा है वह जागीर रिजम्प्शन एक्ट की तुलना में नॉमीनल है।

३ म० प०

नॉमीनल इसलिए है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, जमींदारों के अधिकारों की स्थिति स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जहां कि स्पष्ट नीति नहीं है वहां केवल संविधान को सामने रख कर किसी के राइट्स को बिना कम्पन्सेशन दिये एक्वायर नहीं कर सकते। आपने इसके अन्दर कम्पन्सेशन का जो प्रावधान रखा, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल उचित है। जागीर रिजम्पशन एक्ट का जो उद्धरण भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार अभी तक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में और जमींदारों के क्या-क्या अधिकार हैं किन २ अधिकारों को सरकार छीन रही है और किन का कम्पन्सेशन देना

(श्री भैरोंसिंह)

है इसके बारे में सरकार कुछ नहीं जानती। इसके अलावा रेन्ट कलेक्शन के अधिकार थे, उनको छीन रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि रेन्ट कलेक्शन के बारे में एक सब-टिनेन्ट से जो लगान वसूल किया जाता है, खातेदार की मार्फत रेन्ट जमा होता है तो हमने कुछ खातेदारी राइट्स दिये हैं उसको और उन राइट्स को यदि वह ट्रांसफर करता है तो उसको कुछ दिलाने की व्यवस्था करते हैं। तो केवल रेंट कलेक्शन का ही प्रश्न नीहित हो और जो यह अधिकार थे उनका कम्पेन्सेशन देते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूँ कि हमें इस कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में वही व्यवस्था करनी चाहिए जो कि खातेदारी हक हकूक काश्तकार को या दूसरे अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में कर रखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में सरकार की तरफ से कहा जायेगा कि हम जमींदारों के रिहेबीलिटेशन के बारे में ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि रिहेबिलिटेशन के सिद्धांत पर सरकार को सहयोग भी दिया जाना चाहिए लेकिन केवल कम्पन्सेशन का नाम देकर रिहेबिलीटेशन की बात को उड़ाना चाहें और इसकी आवश्यकता नहीं समझें मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता। राजस्थान के इसी रिपोर्ट के अनुसार छोटे-छोटे जमींदार, बड़ी जमींदारियां हो सकती हैं लेकिन वह गिनती की होगी, कितना उनका कम्पेन्सेशन मिलेगा। वह भी बहुत ही कम अमॉउन्ट होगा और राजस्थान के कन्सोलीडेटेड फण्ड में से यह कम्पेन्सेशन उनको दिया जायेगा। यह सब चीज़ तो समझ में आती है लेकिन प्रश्न आता है कि जो छोटे-छोटे जमींदार जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के कारण सरकार उनके अधिकार समझती है और उनके लिए जो कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा है, सरकार उनके कुछ राइट्स समझती है, सरकार समझती है कि जमींदार के कुछ बेनीफिट्स हैं तो इसकी दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी कि कहीं उनके बेनीफिट्स लेने से या अधिकारों को प्राप्त करने से इनके इकॉनामिक स्टेट्स में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो नहीं होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज हम जमींदारी समाप्त कर रहे हैं उसके कारण से जहां जमींदारों के गांवों में या उनके घरों में या आसपास के क्षेत्र में उनकी जो एक बात बनी हुई थी वह स्वत: समाप्त होगी और वह समाप्त होनी भी चाहिए लेकिन इसके कारण इकॉनोमिक प्रेशर भी आयेगा जिसके कारण आज राजस्थान के छोटे भूस्वामी, छोटे-छोटे जमींदार और जागीरदार राजस्थान के कोने-कोने में भटक रहे हैं किसी को कम्पेन्सेशन नहीं मिला, किसी को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं मिली, किसी को जमीन नहीं मिली, किसी को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिली और कोई तो कलेक्टर की कोर्ट में बैठा है और कोई दूसरी कोर्ट्स में बैठा है रात दिन दर-दर के भिखारियों की तरह घूम रहे हैं। सरकार यह मन्जूर करे कि एक्ट की वजह से आर्थिक स्थिति खराब होना लाजिमी थी। मैं ऐसा मानता हूं लेकिन यदि हमने उनके कम्पेन्सेशन के प्रावधान को सामने न रख कर उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रश्न सामने रखा होता तो राजस्थान सरकार के सामने ऐसी विपत्ति नहीं आती और न आज उन लोगों को भिखारियों के रूप में घूमना पड़ता। सरकार ने व्यवस्था की है कि बड़े जागीरदारों को ज्यादा कम्पेन्सेशन मिल जायें और छोटे जागीरदारों को कम मिले। हालांकि एक व्यवस्था अजीब सी है कि जो स्केल तय किया है उससे दिखावटी

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

रूप से ऐसा लगता है कि बड़े जागीरदारों को कम मिले और छोटों को ज्यादा मिले । लेकिन बाकी और स्टेटस हैं उनको सामने रखकर यदि सारे प्रोविज़न को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से इस बात का भान होगा कि सरकार ने चाहे इसकी कोशिश की हो लेकिन सरकार के प्रोविज़न के कारण बड़े जागीरदरों को ज्यादा कम्पेन्सेशन मिलेगा और छोटों को कम । केवल मल्टीपल बढ़ाने से अच्छा प्रभाव नहीं होता है । यह तो मैंने जागीरदारों के बारे में बताया मगर मुझे कहना है जमींदारों के बारे में । आज की स्थिति में मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार यदि संविधान के डर से या किसी भी कारण से कोई कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखे तो सरकार न तो काश्तकारों के संबंध में और न जमींदारों के संबंध में स्पष्ट है, न रिपोर्ट स्पष्ट है और न कानून ही । सरकार नॉमीनल कम्पेन्सेशन उनको दे दे लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन की समस्या को सामने जरूर रखे । या फिर सरकार कहे कि जितने भी छोटे छोटे जमींदार हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं यह कहने के लिए तैयार नहीं होंगे । मुझे इसके बारे में अनुभव है और उसके आधार पर कह सकता हूं कि इस एक्ट के कारण से छोटी छोटी जमीन वाले या छोटे छोटे जमींदारों के ऊपर एक जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा । खुदकाश्त की जमीन के बारे में झगड़े होंगे । जितने भी राइट्स एण्ड प्रिविलेजेज़ हैं वे छिने जायेंगे । सरकार को चाहिए कि इस स्थिति के अन्दर उन लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को, कौन से जमींदारों को किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था करे । सरकार कहेगी कि हमने कम्पेन्सेशन की व्यवस्था की है, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की है कि उनको कैश में कुछ मिल जाये । लेकिन यह कम्पेन्सेशन नॉमीनल हो लेकिन उनके पुनर्वास सम्बन्धी जितनी व्यवस्था सरकार कर सके, उनकी सर्विसेज़ के बारे में जितनी व्यवस्था सरकार कर सके, उनकी स्कॉलरशिप के बारे में व्यवस्था कर सके, उनकी काश्त के लिये दूसरी भूमि मिले इसकी व्यवस्था कर सके तो अच्छा है । वह सारी व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस कम्पेन्सेशन के एवज़ में होती और उनका कानून में संरक्षण होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, कि जिस कम्पेन्सेशन के प्रावधान से सरकार जमींदारों को फायदा पहुंचाना चाहती है जमींदारों को फायदा नहीं होगा । बल्कि गरीब जमींदार इस प्रकार से उखड़ जायेंगे । सरकार जमींदार लोगों के रिहेबिलिटेशन करने के बारे में जितने भी प्रावधान जागीर रिज़म्पेशन एक्ट में और दूसरे एक्टों में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हुए बाकी की और विशेष सुविधा प्रदान करेगी तो ऐसे कम्पेन्सेशन के बजाय अच्छा प्रावधान होगा । जहां तक संविधान का प्रश्न है उनको नॉमीनल कम्पन्सेशन दिया जा सकता है । लेकिन वास्तव में जो रिहेबिलिटेशन का प्रश्न है उसको सामने रखकर हमारी सरकार विचार करे ! इसी प्रश्न को सामने रखकर मैंने भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों का समर्थन किया है और मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी भी इस विचारधारा से सहमत होंगे और अपने भाषण से इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के द्वारा हम राजस्थान की सामंतशाही की आखिरी कड़ी को समाप्त करने जा रहे हैं। जो कि किसी समय में राजस्थान की जनता में आतंक का रूप धारण किए हुए थी। भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजस्थान का एकीकरण करने के लिए तमाम राज्यों को संगठित रूप में एक किया गया। उसके बाद में जागीर रिज़म्पशन एक्ट पारित करके तमाम जागीरदारों का इस भूमि पर से स्वामित्व उठाया गया। आज उसी प्रकार की एक तीसरी कड़ी और है जिसको जमींदारी तथा बिस्वेदारी कहते हैं। उसका उन्मूलन भी इसी वर्तमान विधेयक के द्वारा हम करने जा रहे हैं और इसी पर आज हम विचार कर रहे हैं। इसी विधेयक की धारा १३ पर अभी हमारे बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं कि सरकार इस १३ वीं धारा के अनुसार जिन जमींदारों और बिस्वेदारों को मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है, यह सरकार की भूल है। इस जिम्मेदारी को लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जिम्मेदारी स्वयं ही नहीं ली, बल्कि सरकार ने यहां तक उदारता बरती, मैं नहीं समझा हूँ कि क्यों निश्चित समय में कम्पेन्सेशन नहीं देगी या अधिक समय के बाद देगी तो उस पर ब्याज ढ़ाई पर्सेन्ट देगी। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जमींदार बिस्वेदार समाज के साथ सरकार क्यों उदारता बरत रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा पर विचार करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जमींदारी और बिस्वेदारी नाम का एक ढांचा कब बना, क्यों बना और इसके बनाने में हमारे देश का क्या लाभ हुआ और जनता को क्या लाभ हुआ। अब इसे हटा देने की क्यों आवश्यकता पड़ी है और इसको हटाने से हमारे समाज में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि 'जमींदार' नाम के समाज का जन्म उस समय हुआ था जब यहां बाहर से आए हुए शासकों का राज्य था।

श्री उपाध्यक्ष : हम क्लॉज १३ पर बोल रहे हैं, इसलिए किसी सिद्धान्त या उसके जन्म के प्रश्न को नहीं लें।

श्री रामचन्द्र : (जारी) मैं जरा इसको सारांश में कहने जा रहा हूँ जो आगे जाकर कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों के जमाने में इसका जन्म हुआ था, क्योंकि अंग्रेज डाइरेक्ट जनता के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिते थे, इसलिए जमींदार समाज का निर्माण किया था कि जमींदारी ही कॉन्टेक्ट में रहें, जनता से अंग्रेजों की ओर से रुपया वसूल करें। उस वक्त यह जरूर भी था। इस अधिकार का उन्होंने खूब उपभोग किया। जनता का काफी शोषण किया और अब सरकार की जिस नीति के द्वारा हम एक समाजवादी समाज की रचना करने रहे हैं उसी के द्वारा हम इस समाज का उन्मूलन करने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इधर सरकार प्रयत्न कर रही है समाजवादी समाज की स्थापना हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार मालदारों को और अधिक मालदार बना रही है गरीबों का फिर शोषण करने के लिए एक न एक अधिकार जो दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकार का सरकार ने मुआवजा देने की जो जिम्मेदारी

(श्री रामचन्द्र)

ली है वह मुआवजा कहां से दिया जायगा ? सरकार जमीनें रुपया लेकर बेचे और वह रुपया जमींदारों को दिया जायगा। सरकार यह जमीन उन भूमिहीनों को ही बेचेगी और उन भूमिहीनों से ही रुपया वसूल किया जायगा। जिनके पास रुपया है वही इस जमीन को खरीद सकेंगे। जिनके पास रुपया नहीं, वह जमीन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सरकार भूमिहीनों के लिए, रोजी प्राप्त करने के साधन उत्पन्न करने के लिए जो सुविधाएं दे रही है इन भूमिहीनों को उससे कोई लाभ नही मिलने वाला है, और मैं यह कहूंगा कि भूमिहीन ज्यादातर वे ही लोग हैं जो हरिजन नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए यदि यह क्लॉज रखा गया तो राजस्थान का हरिजन समाज, जो करीबन सारे का सारा भूमिहीन है उनको इस जमींदारी विधेयक के द्वारा फिर फायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैं बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं, उनका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पेन्सेशन का क्लॉज रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान जहां तक कॉन्स्टीट्यूशन में है वह किसी के हम उसकी प्रोपर्टी से डिपजेस करते हैं उसकी, प्रोपर्टी को जब एक्वायर करते हैं उस वक्त आता है। लेकिन जहां तक हम जमींदारी सिस्टम जो है या बिस्वेदारी सिस्टम है उसमें उनका इस जमीन पर प्रोपर्टी राइट नहीं माना गया है। तो जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने जैनेसिस में बताया है उसमें यह बताया है कि अलग अलग स्टेट में, भरतपुर अलवर या दूसरी जगह में ज़मीन का प्रोपर्टी राइट नहीं था, और कुछ स्टेट में तो उनका जो बिस्वेदारी का राइट था उसके ट्रान्सफर के लिए With the permission of the State Government they could do it. यानी बिस्वेदार अपनी जमींदारी के राइट्स को ट्रान्सफर नहीं कर सकता था और प्रोपर्टी राइट को मानते नहीं थे। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि कभी भी स्टेट गवर्नमेंट उनकी जमीन एक्वायर कर लेती थी रेलवे वगैरह के लिए। उन्हें कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। यह इन्स्टिट्यूशन रेन्ट, कलेक्टिंग इन्स्टिट्यूशन था। मेरे ख्याल से जहां तक स्टेट की तरफ से रेन्ट कलेक्शन के लिए वह इन्टरमीडियेरीज़ थे। वह रेन्ट कलेक्शन का काम करते थे, और जो भी राइट्स दिये गये थे वे उसके एक मुआवजे के तरीके से, एज ए सॉर्ट ऑफ रिम्युनिरेशन थे जो केश में न होकर काइन्ड में दिया जाता है जैसे कि हमने पटेल लोगों को जमीन पर कुछ राइट्स दिये हैं। इस प्रकार के छोटे से राइट्स उनको प्राप्त हुए थे और उस रिपोर्ट को पढ़ने से यह भी साफ जाहिर होता है कि न तो उनको फोरेस्ट के राइट्स थे, न माइनिंग का राइट था, किसी तरह का प्रोपर्टी राइट जिसको कहते हैं, किसी प्रोपर्टी के ऊपर जिस तरह का राइट हो वह प्रोपर्टी राइट उनको नहीं था। और प्रोपर्टी राइट नहीं होता है तो यह कहना संविधान को देखते हुए उनको राइट प्रोटेक्टेड हैं और प्रोपर्टी एक्वायर करने के लिए कम्पेन्सेशन देना चाहिए, यह ठीक नहीं होगी। उनको प्रोपर्टी राइट नहीं है इसलिए बगैर कम्पेन्सेशन से वह एक्वायर करते हैं तो वह कोई संविधान के खिलाफ नहीं होता है और जो नॉमीनल कम्पेन्सेशन की बात कहते हैं, जो संविधान का प्रोविजन है उसको मीट विध

(श्री पी० के० चौधरी)

करने के लिए नॉमीनल कम्पेन्सेशन रखना जरूरी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि यह भी कैसे जरूरी हो सकता है क्योंकि जो जमींदारी एबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप देखें तो उसमें साफ कहा है कि उन्हें प्रोपर्टी राइट्स नही थे। उनको राइट्स ऑफ सर्टेन एन्जायमेंट्स थे। उनको एन्जाय करने के, जैसे खातेदार टिनेन्ट का राइट था, लगभग इस तरह का एक किस्म का राइट उनको था। इसलिए कम्पेन्सेशन देना बिल्कुल नामुनासिब है और मेरे ख्याल से, जहां तक इक्विटी का सवाल है, रिहेबिलिटेशन का सवाल है उसके आगे की क्लॉज़ है जिसको हमने पास किया है जहां पर खुदकाश्त का प्रोविज़न किया है कि खुदकाश्त सिर्फ एस्टेट में नहीं, लेकिन बाहर जाकर भी अच्छी जमीन जैसी भाखरा की है या चम्बल या राजस्थान केनाल एरिया में खुदकाश्त देने का प्रोविजन रखा है, वह सफिशियेन्टली उनको रिहेबिलिटेट करने का उनका प्रोविजन होता है। उसके बाद इस तरह का रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन रखने का और कम्पेन्सेशन देने का सवाल पैदा नहीं होता है। न उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट एराइज होता है कि इसको करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कम्पेन्सेशन जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि उसमें पेचीदगियां बड़ी पैदा होती हैं और इस कम्पेन्सेशन को डिटरमिन करने में एग्जीक्युटिव की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ५, ६ साल लगा दिये जाते हैं और जो भी कम्पेन्सेशन मिलता है वह न तो सफिशियेन्ट है लेकिन उससे बड़ी परेशानी रहती है। तो यह दो तीन आर्ग्युमेन्ट्स उसके लिए जाते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरी बात जैसे रुपये देने की हैं उसमें उसको कोई विशेष फायदा क्या पहुंचेगा ? मैं समझता हूं कि विशेष कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। जहां तक रिहेबिलिटेशन का सवाल है खुदकाश्त के जरिये प्रोविजन कर रहे हैं। तो इसलिए, मेरे ख्याल से, यह जो प्रोविजन कम्पेन्सेशन का रखा है और वह कैसे रखा है यह मेरी समझ में नहीं आया है। जब एक्सपर्ट कमेटी आपने अपॉइन्ट की है और कमेटी ने कम्पेन्सेशन की कोई सिफारिश नहीं की है तो यह माना जाता है कि आपने मन से रख दिया और आपने मन से रखा है तो एक्सपर्ट कमेटी अपॉइन्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक कमेटी अपॉइन्ट की है तो जो इम्पार्टेन्ट इश्यू हैं या इम्पॉर्टेन्ट पाइन्ट्स हैं उसमें उन्होंने क्या सिफारिश की है यह भी देखना है उन्होंने कम्पेन्सेशन की कोई सिफारिश नहीं की है और जब कम्पेन्सेशन की सिफारिश नहीं की है और आगे चलकर कम्पेन्सेशन का प्रोविजन रखना मैं जस्टीफाइड नहीं समझता हूँ और न उसको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का दृष्टिबिन्दु मानता हूं। इसलिए इस क्लॉज़ का विरोध करता हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १९५८ की धारा १३ जो मुआवज़ा देने या नहीं देने के विषय में चल रही है उस पर मैं भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसे जमींदार भी हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। राजस्थान में दूसरे नंबर के ऐसे जमींदार हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो व्यापार करते हैं या जो दफ्तर में काम करते हैं

(श्री हरिप्रसाद यादव)

या क्लर्की का पेशा करते हैं । मैं आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण पेश करूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उदाहरण पेश नहीं करेंगे, क्लॉज़ १३ पर ही बोलेंगे, राजस्थान स्टेट के सारे जमींदारी के मसले पर नहीं बोलेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : (जारी) मैं क्लॉज़ १३ के अन्तर्गत ही बोल रहा हूँ। धारा १३ में मुआवजा देने के बारे में सरकार ने जो प्रावधान रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और उन जमींदारों ने जिन्होंने अपनी जमीन पर कुंए खुदवाये हैं, मेड़बन्दी डाली है या जमीन को लेवल में करके अन्न पैदा करने योग्य बनाया है उनको मुआवजा मिलना चाहिये। मेरे पूर्व वक्ता ने अपने भाषण में बताया था कि जमींदारों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिये। मैं उनका ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनको इस बात का ध्यान होना चाहिये कि जागीरदार जो लोग आये हैं वे भूमि के बारे में खुद समझ सकते हैं। जिन्होंने जमीन कभी जोती नहीं या जिनके पास जमीन खेती की नहीं है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हजारों रुपये जमीन पर लगाये हैं और हमारे राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन पड़ी है उनको देने के लिये, भूमि एलॉटमेंट कमेटी ने भूमि एलॉट करने के लिये निर्णय किया है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member, please resume your seat.

श्री पी० के० चौधरी : Point of information, Sir, whether Hon. Member can address the House with his eyes closed ?

श्री उपाध्यक्ष : Were his eyes closed? Matters little. His mind is open.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रोपर्टी के मुआवजे का प्रश्न है, हमने अपने संविधान में प्रोपर्टी को माना है और यह माना है कि किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी ली जाय तो उसे मुआवजा दिया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में है। लेकिन प्रोपर्टी लेने के अर्थ को, जमींदारी और जागीदारी एबॉलिशन के अर्थ को एक साथ लगा कर यदि उनको मुआवजा दिया जाय तो यह न्यायसंगत नहीं बैठता। हमने इसलिये व्यवस्था की है जमींदारी एबॉलिशन की कि यह एक प्रकार से शोषण की व्यवस्था थी और जागीरदार लोग काश्तकारों पर अन्याय करते थे, उन पर अत्याचार करते थे इस प्रकार की बातें कह कर हम जागीरदारी और जमींदारी को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने के बाद भी सरकार को उनके प्रति दया है। या यह हो सकता है कि उनकी प्रोपर्टी थी उसमें सेंक्टिटी मान कर उनको मुआवजा दिया जाय और उनको मुआवजा देकर संसार को बता रहे हैं कि हम यों नहीं ले रहे हैं बल्कि हमने बदले में उनको कुछ दिया है और जैसा था, वैसा कर दिया। लेकिन इस प्रकार से जो व्यवस्था हम लाना चाहते हैं वह आ नहीं सकती। यदि हम यह मानते हैं कि उनके पास गलत रूप से जमीन थी उसको हमें वापिस लेना है। उसके बदले में क्या देना है क्या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। इस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रश्न को मुआवजे के रूप में तय नहीं करना चाहिए था। प्रश्न यह है कि किस प्रकार की व्यवस्था समाज में की जाय जिससे कोई उजड़े नहीं और ठीक ढंग से समस्या का भी हल निकल जाय। उसके लिये मुआवजा रखने के बजाय रि-हेबिलिटेशन ग्रान्ट रखते या उनकी आजीविका का कोई साधन रखते। जागीरदारों और जमींदारों के आजीविका का जो साधन था हमने उसको गलत माना और मुआवजे के रूप में साधन माना और साधन के रूप में उनको देना चाहते हैं मुआवजा और मुआवजा देकर हम उनको निष्क्रिय बनाना चाहते हैं और यदि निष्क्रिय नहीं तो समाज के लिये इस प्रकार का एक अंग बना रहे हैं जो उसके लिए बाधक होगा। जागीर एबॉलिशन एक्ट हमने यहां पर पास किया था और उसके अन्तर्गत हमने उनको मुआवजा दिया और जिनको मुआवजा दिया जा रहा है और उसका जो उपयोग हो रहा है वह समाज के लिये किसी भी प्रकार से कल्याणकारी नहीं हो रहा है। जिन जागीरदारों को मुआवजा दिया है उनको एक साथ नहीं मिला जिससे कि वे कोई उद्योग शुरू करते। उनको मुआवजा किश्तों के रूप में मिलता है और किश्तों के रूप में मिलने के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि उनकी आदतें वही पुरानी हैं और उनको ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ती है त्यों त्यों उनको जो रुपये मिलते हैं उसका वे दुरुपयोग करते हैं। जिस मंशा से स्टेट गवर्नमेन्ट उनको सहायता देना चाहती है उस मंशा की पूर्ति नहीं होती। इसी तरह से जमींदारों को मुआवजा देना तय किया है वह यदि २० गुना भी १० साल में पूरा किया जायगा तो जो रकम उनको मिलने-वाली है उसका किसी भी प्रकार से वे सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। समय समय पर उनको जो रुपया मुआवजा के रूप में मिलेगा उसका दुरुपयोग करेंगे। हम उनको मुआवजा केवल इसलिये देते हैं कि संविधान में यह लिखा है कि किसी की प्रोपर्टी लें तो उसके बदले में उसको मुआवजा देना चाहिए, इसलिए मुआवजा तय करते हैं। लेकिन व्यावहारिकता का जहां प्रश्न है और हमारे हृदय में जैसी कल्पना है जैसा कि हम कहते हैं कि हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि भविष्य में कोई उजड़े नहीं और बेकार नहीं हो जावें, यह भावना यदि सरकार के दिल में है तो उनको मुआवजा न देकर उनको रि-हेबिलिटेशन ग्रान्ट देनी चाहिये। उनको रुपये न देकर उस रूप में जमीन दें या उद्योग धंधा दें या मकान दें, जिससे कि उनका पुनर्वास हो जाय। यह नहीं होना चाहिये कि मुआवजे के रुपये मिले उसके ५ दिन तक शराब में खर्च किये या ऐश की और रुपये खर्च कर दिये। इस प्रकार की चीज न हो सके उस रूप में देना चाहिये जिससे वे उद्योग धंधे में लग जावें। वरना आप जो कुछ उनको देंगे वह वेस्ट होगा। केवल इसलिए न दें कि प्रोपर्टी को सेंक्टिटी माना है, इस प्रकार मान कर यदि आप उनको धन देंगे तो जो धन देंगे उसका दुरुपयोग होगा। यदि वास्तव में सदुपयोग करना है तो रि-हेबिलिटेशन की योजना बनानी चाहिए और उसके अन्तर्गत जिसको जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार धन देकर व्यवस्था करें और मुआवजा देने की जो व्यवस्था है उसको हटा दें और उनको इस रूप में देने की व्यवस्था करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बोलेंगे क्या ? दूसरे क्लॉज़ पर बोलते तो अच्छा होता, यह कौन सी महत्वपूर्ण क्लॉज़ है जिस पर आपको बोलने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : धन लुट रहा है साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर लुटाइये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष-जी, धारा १३ के अन्दर श्री श्रीमानजी ने जो अमेंडमेन्ट रखा है....

डॉ० बहादुरसिंह : अमेंडमेन्ट कहां है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो संशोधन रखा है.......

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन भी नहीं है, आप बाहर थे और एकाएक बाहर से आये । १३ क्लॉज़ का पता नहीं है, दूसरी क्लॉज पर बोलते तो अच्छा रहता ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : धारा का विरोध करता हूं । मैं यह....

श्री उपाध्यक्ष : हमारा यहां पर दायित्व है और आपका भी दायित्व है, धारा १३ का समझे हुए होते तो बराबर कुछ बोलते तो अच्छा रहता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप सुन लीजिये मैं गलती नहीं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३ का मैं इसलिये विरोध करता हूं कि इसमें यह लिखा है कि जमींदारों को मुआवजा देना चाहिये । लेकिन हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट पास हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था कि ये जागीरदार पैसे लाये कहां से ? जो जमीन और मकान उन्होंने बनाये हैं वे कहां से बनाये हैं ? कोई पैदा हुआ उस समय अपने साथ रुपयों की थैली भर कर थोड़े ही लाया था या जमीन वहां से एलॉट करवा कर थोड़े ही लाया था । जो जमींदार थे या है उनकी जमीन जनता की थी । वे लोग किसी आदमी की जमीन ले लेते हैं और उसको वहां से निकाल देते हैं और खुद बहुत बड़े जमींदार बन जाते हैं । इस तरह से जो लोग दूसरों की जमीन के मालिक बन कर बैठ गये, या बड़ी बड़ी जमीन अपने कब्जे में करली....

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य और माननीय सतीश-चंद्रजी...

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोई ऐसी बात तो नहीं बोली ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बात तो नहीं बोली लेकिन विषय के परे जा रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) विषय के, क्लॉज के दूर गया नहीं. काश्तकारों की बात बोल रहा हूं और कई दफा ऐसी बात बोल लेता हूं इस वक्त तो नहीं बोली है ।

तो ऐसी हालत में जो जमींदारी प्रथम है, उसको सरकार मुआवजा दे । वैसे जब हमारी सरकार बजट बनाती है तो इन्कम कम बताती है, उसके बावजूद भी जमीन जनता की थी और जनता के जो आदमी हैं वे काश्त करते थे तो उसको लेने के बाद मुआवजा देने की क्यों आवश्यकता होगी । मुआवजा उस हालत में दिया जाय कि जब कोई जमींदार जमीन पर खुद का पैसा लगाये, किसी आदमी से वह जमीन

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

खरीदी हुई हो, परन्तु जो जमींदार लोग काश्तकारों की जमीन पर अधिकार करके बैठे हुए थे, जो जमींदार जनता की जमीन को जबरदस्ती छीन कर अधिकार करके बैठे हुए हैं, अगर उनको पैसा दिया जावे तो यह सरकार के लिए उचित नहीं होगा। थोड़ासा उनको मुआवजा देकर उस पर कब्जा किया जाय। जो हमारी सरकार है वह जनता की है, जब कि जनता की सरकार है...

श्रीउपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत बोल चुके है, अब ज्यादा विषयान्तर जा रहे हैं...

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक मिनट और दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां का मामला है, मैं कुछ अर्ज कर दूं। धारा १३ पर बहस चल रही है कि जमींदारों की सम्पत्ति पर जमींदारों को मुआवजा दिया जाय या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान में ऐसा निश्चय किया है कि जिसकी भी कोई सम्पत्ति ली जाय, जायदाद आदि ली जाय तो उसको कुछ न कुछ मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। इस कारण हमारे देश के अन्दर जितनी इकाइयां थीं. राज्य थे, उन राज्यों को लिया तो उन राजाओं को प्रीविपर्स के रूप में कुछ न कुछ दिया गया। यही नहीं, राजस्थान में जब जागीरदारी को समाप्त करने की चर्चा चली तो जागीरदारी लेने के बाद में मुआवजा देना तय किया। आज जब जमींदारों की व्यवस्था समाप्त करने की चर्चा चल रही है तो इस सदन में तरह तरह की बातें की जाती हैं। जमींदारी एबोलिशन रिपोर्ट पढ़ कर यहां तक बताया, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, धौलपुर के बारे में, मैं नहीं समझता कि उस रिपोर्ट में यह किस प्रकार लिख दिया गया कि वहां तो जमींदार को मालिकाना हक है ही नहीं। वह रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकारी था और इस प्रकार रेवेन्यू कलेक्टर जैसी हैसियत थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको वहां की स्थिति के बारे में साफ बताये देता हूं। वहां के जमींदार का अपनी जमीन पर पूरा मालिकाना हक था, वहां के जमींदार अपनी जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, किसी भी काश्तकार से जुता सकते थे, किसी को भी बेदखल कर सकते थे। हां, कुछ दिन हुए, करीब आज से १५ साल पहले, जब कि देश के अन्दर कांग्रेस का वातावरण चल रहा था, वहां के 'रूलर' ने काश्तकारों को अपने पक्ष में लेने की दृष्टि से इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी किया कि जो काश्तकार खेती कर रहा है, उसको बेदखल नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जैसी कि कई माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की है, वहां के जमींदार ने राज्य की तरफ से जमीन बांट दी थी, वह जमीन जमींदारों ने मोल खरीदी थी, उसमें पैसा लगाया और जमीन लेने के बाद सरकार को रेवेन्यू अदा करता रहा है वक्त वक्त पर। आप वहां की स्थिति देखें तो आपको मालूम होगा। ठीक है, आज जमीन की इज्जत है, जमीन की इज्जत बढ़ रही है क्योंकि आज गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन करूं कि आप विषय से परे चले जा रहे हैं It is only clause 13 which is to be opposed or supported.

श्री सूबेदारसिंह : मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो उस जमींदार के मालिकाना हक थे, यही नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आप गेहूं पर चले जाते तो मुझे बड़ा मुश्किल होता इस पर लाना।

श्री सूबेदारसिंह : (जारी) उस समय गेहूं के भाव ३० सेर, ३५ सेर के थे। उस समय भी जमीदारी से मालगुजारी लेते आये हैं, जिस समय मालगुजारी का अदा करना मुश्किल होता तो उनकी कुड़कियां हो जातीं। ऐसे उदाहरण हैं कि माल गुजारी अदा न होने की दशा में कुर्की ली गई है, जमीन गिरवी रख ली गई है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जब हम सड़क बनाते हैं, नहर बनाते हैं और अगर किसी काश्तकार का खेत उसमें आ जाता है तो हम मुआवजे के लिए चिल्लाते हैं, मुआवजा दिया भी जाता है। अगर कहीं बांध बनाते हैं और उसमें जंगल की जगह आ जाती है तो मुआवजा देने को तैयार हैं। तो फिर जमींदार जमीन पर वर्षों से खेती करता आ रहा है, बहुत दिनों तक जिसने कब्जे में रखा है और आज अच्छी हैसियत में वापिस कर रहा है, तब उसको मुआवजा देने के लिए शिकायत क्यों की जाती है? मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इनको मुआवजा देने में कंजूसी न की जाय और जैसे दूसरों को दी गई है उसी प्रकार इनको दी जाय। किसी की सम्पत्ति ली है तो उसको राहत देते आये हैं, अतः मैं निवेदन करूंगा कि इनको भी मुआवजा देना तय किया जाय।

श्री अनूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने संशोधन...

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां है आपका संशोधन?

श्री अनूपसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाना चाहिये। यह सुझाव है, इस सुझाव को नहीं माना जाय.... अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने विचार व्यक्त करने से क्यों रहूं?

श्री उपाध्यक्ष : विचार व्यक्त कीजिये!

श्री श्रीभानसिंह : एग्री कर लेंगे तो संशोधन पेश किया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर है नहीं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : जब आप यह मानते हैं कि किसी की चीज को हमने लिया है तो उसका कम्पेन्सेशन देने का सवाल पैदा होता है। अगर आपकी चीज थी तो कोई कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं थी। आप मानते हैं कि किसी की प्रोपर्टी थी तो आपको कम्पेन्शन देना पड़ेगा, यह वैधानिक हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को दिया है। आप किसी की चीज़ को लेते हैं तो कुछ न कुछ वापिस देते हैं। यह जानते हैं कि यह जो इन्टरमीडियरीज हैं ये जनता और सरकार के बीच में फालतू की चीज है, पेरासाइट है। यह हमने समझ लिया है कि उसका रहना जरूरी नहीं है तो आप उसको हटा दीजिये लेकिन उसकी कोई चीज अगर आप लेते हैं तो उसके बजाय कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा, जिससे वे पेरासाइट न रह कर भले आदमी बन जायं और राष्ट्र के निर्माण

(श्री अनूपसिंह)

करने में आपका साथ दे सकें। यह नहीं कि हमेशा के लिए उसको उखाड़ कर फैंक दें और उसको वापिस देने के लिए कुछ न सोचें। मैं अर्ज करूंगा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि यह तो जनता का पैसा था, इन्होंने मकान बना लिया, इन्होंने लोगों की जमीन हड़प ली, मैं अर्ज करूंगा कि आपने शाल, दोशाला ओढ़ा हुआ है, आप कोट पहने हुए हैं आपका कोट छीन लिया जाय और कुछ न दिया जाय, जब आपकी कोई चीज छीन कर ले लेते हैं और कुछ नहीं देते हैं तभी मालूम पड़ता है; जब अंगुली कटती है, तब दर्द होता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि मेरे पास आने या जाने का प्रश्न नहीं है, बिस्वेदार का कम्पेन्सेशन मेरे पास आने का सवाल नहीं है। लेकिन जो अन्याय हो रहा है हमारे सामने, जब हम सदन में बैठे हुए हैं और गलत कदम उठाया जा रहा है, इस प्रकार के सुझाव को पास करने की कोशिश की जाय कि कम्पेन्सेशन बिल्कुल न दिया जाय, तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे संविधान के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से यदि किसी की कोई वस्तु ली जाय तो उसको कुछ रिटर्न देना चाहिये यह हमारी ड्यूटी है। कम्पेन्सेशन उस प्रोपर्टी के बजाय, जिसे हम दूसरे की मान कर ले रहे हैं, दे रहे हैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि कोई दया की भावना से उन्हें दे रहे हों, उनसे आपने एक चीज ली, उसके एवज में आप उन्हें दूसरी चीज दे रहे हैं। यह आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर एहसान भी है तो जिसे कल तक कहते थे कि यह पेरासाइट है, यह पुर्जा खराब है मशीन का तो इस मशीन के खराब पुर्जे को ठीक करिये। यह कैसे हो सकता है कि उस पुर्जे को उखाड़ कर फैंक दें। उसको उखाड़ कर फेंकते हैं और उसकी जगह और कोई चीज नहीं आती है तो आपकी सारी मशीन ठंडी पड़ सकती है, सारी मशीन बेकार हो जायगी। इसलिए जो इस तरह की बात कही गई कि उनको किसी तरह का कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय, प्रोग्रेसिव कहलाने के लिए इस तरह की बातें कहीं, पर मैं तो कहता हूं कि इस तरह की बात कह कर प्रोग्रेसिव कहलाने की बजाय अनप्रोग्रेसिव कहलाना अच्छा है।

तो मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है, वह उचित और न्याय-संगत है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १३ के ऊपर बयान से आये हुए माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है do not pay c mpensa. tion. अमेंडमेंट तो नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि कम्पेन्सेशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए बगैर कम्पेन्सेशन दिये जमीदारी रिज्यूम कर लो but don't pay any com ensation.

उनसे सब कुछ ले लो पर कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं और उन्होंने सुपीरियर राइट्स और इन्फीरियर राइट्स सब बतलाने की कोशिश की कि इनका जमींदारी पर कोई राइट्स नहीं हैं। उन्होंने जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर कुछ सुनाया, कुछ अपनी याद के आधार पर सुनाया, कुछ वैंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीसमील फ्रेज़ेज़ लाने से यह नहीं माना जा सकता कि जमीदारों के कोई राइट्स नहीं थे और नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनके

Page No.83

(श्री दामोदरलाल व्यास)

राइट्स माने गये हैं। कमेटी ने लिख दिया कि इनके सुपीरियर राइट्स नहीं हैं, इन्फीरियर राइट्स थे .... does it mean that they have no rights at all ? After all, we have a constitution, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका, रूलिंग दे दी। इन्डियन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर के रिज्यूम करने का तरीका सरल बना दिया कि कंम्पेन्सेशन कम भी मिले तो भी रिज्यूम किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कंम्पेन्सेशन देने का प्रोविज़न है। तो ऐसी सूरत में बगैर कंम्पेन्सेशन दिये रिज्यूम कर लें तो यह अच्छा नहीं होगा। न ऐसी कानून की मंशा है और न ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है। अगर माननीय सदस्य ने ऐसा समझा है तो गलत समझा है।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Revenue Minister was the Chairman of that committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes but I never said that they are not entitled to compensation.

उस कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी नहीं कहा है कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट और कंम्पेन्सेशन नहीं दिये जायं। वैंकटाचार कमेटी ने, जो जागीर एबोलिशन के लिये कमेटी बैठी, उसने भी यही कहा है। और यह बात भी नहीं है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी है वह पत्थर की लकीर हो गई, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। वैंकटाचार कमेटी ने जागीर एबोलिशन की रिपोर्ट दी उसमें लिखा था कि यह इनको सुपीरियर राइट्स नहीं है और इनको कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं, पर हमने कम्पेन्सेशन दिया है। हमने ही नहीं, हर स्टेट में कम्पेन्सेशन दिया गया है। क्वान्टम क्या हो, यह तय करना वाजिब है पर वह कहना कि बगैर कम्पेन्सेशन के जमींदारी रिज्यूम कर लेंगे तो यह तो हम एक नया एग्जाम्पिल पेश करेंगे, अगर इस धारा को डिलीट कर दें ....

श्री श्रीभानसिंह : Rajasthan Government will be following the Kashmir Government.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Kashmir Government was not bound by the Constitution when this measure was adopted by them. The Hon'ble Member should know this.

श्री श्रीभानसिंह : They are bound, but exception has been made in their case.

श्री दामोदरलाल व्यास : We don't want to take an exception which is illegal, ab initio.

तो मैं जैसा कि अर्ज कर रहा था कि उनको बिना किसी प्रकार की रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दिये और कंम्पेन्सेशन दिये एबोलिश कर दिया जाय, रिज्यूम कर दिया जाय, यह न कानूनी तरीके से उचित है और न कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से ही वाजिब हो सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की दलील पेश की है कि वे इस बात का तो समर्थन करते हैं कि कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये पर उन्होंने कहा है कि उनको रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के नाते बहुत सा रुपया दिया जाना चाहिये, यह यह सुविधाएं मकान और जमीन आदि आदि देना चाहिये वे माननीय सदस्य इस समय यहां हैं नहीं, उनकी तरफ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। वे कहना तो यह चाहते थे कि कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय पर साथ ही साथ कम्पेन्सेशन की रकम से दुगुनी, चौगुनी रकम रिहेबिलिटेशन के नाम से, मकानों के नाम से दी जाय और कम्पेन्सेशन की मिकदार इतनी बढ़ाई जाय कि वह शायद जमींदारी की कीमत से जिन्हें कि एबोलिश करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो सके तो इस तरह माननीय सदस्य का कहना कि कम्पेन्सेशन देने का प्रोविज़न क्लॉज़ १३ में है उसको बिलकुल हटा दिया जाय यह बिलकुल ठीक नहीं रहेगा। केवल ठीक ही नहीं रहेगा बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि कम्पेन्सेशन देना चाहिए, गवर्नमेंट पर उनको रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेदारी है, कम्पेन्सेशन उनको कानूनी तौर पर भी देना जरूरी है जिसका प्रोविज़न इस बिल में किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, we now come to amendments.

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने पेश ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहन लाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज १३ में यह संशोधन रखा है....

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १३ पारित हो चुका। क्लॉज १४।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sorry, Sir, क्लॉज १४ में यह अमेंडमेंट रखा है :

"A proviso be added as under:—

'Provided that where the compensation does not exceed two thousand rupees, the zamindar or Biswedar shall be paid in cash in one instalment."

श्रीमान् इस संशोधन के पेश करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन आदमियों को मुआवजा २,०००) रुपयों से कम मिलता है, उन लोगों को उनके मुआवजा की रकम किश्तों में न मिल कर एक मुश्त मिल जानी चाहिये। कहने की जरूरत नहीं हम इस बात को जानते हैं कि जब सरकार जमींदारों और बिस्वेदारों को इतना मुआवजा देगी तो सरकार के लिये यह संभव नहीं कि एक साथ इतनी रकम दे दे। इसलिये स्वाभाविक है कि किश्तों को मुकर्रर करना चाहिये। यह इसलिये भी नहीं कि सरकार एक साथ सब मुआवजे की रकम नहीं दे सकती पर इसके लिये भी जरूरी है कि जिन लोगों की मदद की जा रही है, जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, उनको एक साथ रकम दे दी जायगी तो एक साथ वे उस रकम का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे उस रकम को फिजूल खर्ची में लगा देंगे, जिससे वे उस रकम का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे।

परन्तु श्रीमानजी एक बात और भी है। इसके साथ में तस्वीर, दूसरी पिक्चर नजर आती है और वह यह कि जिन लोगों को दो हजार से कम मुआवजा मिलता है उनको एक मुश्त रकम दे दी जानी चाहिये। मान लें कि आप उस रकम को उनको १० वर्षों में दिया

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

तो १००) या ५०) सालाना दिये तो उसका नतीजा क्या होने वाला है । इसका यही नतीजा होगा कि वह रकम जो आप उनको मुआवजे के रूप में देंगे वह उनके किसी काम में नहीं आवेगी । एक आदमी अपने खेत से अपनी जीविका कमाता था उसका यह हाल होने वाला है कि उसको कोई लाभ नहीं होगा और उसको अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जावेगा । किसी को ५०) मिलेंगे तो किसी को १०) भी मिलेंगे । आपको कई ऐसे हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे कि जिनका मुआवजा १००) से ज्यादा नहीं होगा अगर उस मुआवजे को आपने हिस्सों में देना उचित समझा तो उस लेने वाले आदमी की बहुत बुरी दशा होगी । उस आदमी को ट्रेजरी में आने जाने में काफी खर्चा करना होगा और मैं समझता हूं कि इतनी रकम मिलेगी नहीं जितनी उसको खर्च करनी होगी । इसलिये मेरा यही निवेदन है कि विधेयक में इस बात का प्रोविजन कर दिया जावे कि जिन लोगों को मुआवजा कुल २,०००) से कम मिले उनको एक मुश्त दे दिया जावे और अगर यह आपको देना संभव नहीं हो तो माननीय राजस्व मंत्री १,५००) कर दें या १,०००) कर दे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने तो दो हजार के लिये रखा है ।

श्री बृजमोहनलाल : अगर आपको यह दो हजार की रकम ज्यादा मालूम पड़ती हो तो आप उसमें कुछ रद्दो-बदल कर सकते हैं । आपने मालूम किया ही होगा कि किन किन लोगों की आमदनी दो हजार से कम होगी और कितने जमीदार और बिस्वेदार होंगे जिनको दो हजार से ज्यादा मुआवजा देना होगा और कितनों को दो हजार से कम मुआवजा देना होगा । ऐसे लोगों की केटेगरी तो आपने फिक्स की ही होगी । मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने अवश्य की होगी । इससे मालूम हो जावेगा कि स्टेट पर इसका कितना बर्डन होने वाला है । जमीदारों और बिस्वेदारों के हित के लिये यह बहुत जरूरी है कि उनको एक मुश्त यह रकम दे दी जावे जिससे कि वे अपने जीवन को यापन कर सकें । आशा है आप इसको स्वीकार करेंगे ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार से है :

"Delete the words 'in cash or' and also 'or partly in Cash and partly by.........be prescribed."

हटा दिये जावे । लिहाजा यह सब-क्लॉज इस प्रकार से हो जावेगा ।

"The compensation payable under this Act shall be given in bonds"

माननीय उपाध्यक्ष, आज देश की स्थिति यह है कि पैसा बाहर से लेना पड़ता है और इस तरह हम जमीदारी समाप्त करने जा रहे हैं और यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि उनको कैश दे दिया जावे । मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको कैश नहीं दिया जाए बल्कि उनको बोन्ड के रूप में रकम दे दी जावे । क्योंकि बहुत से जमीदार ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है । जो रकम उनको मिलने वाली है यदि एक मुश्त मिल जावेगी तो वे शराब आदि में उस रकम को समाप्त कर देंगे । इसलिये यह आवश्यक है कि हम उनको जो कम्पेन्सेशन दें वह बोंड के रूप में दें जिससे उनकी आनेवाली सन्तान थोड़े समय तक के लिये उसको रख

(डॉ० बहादुरसिंह)

सके। हमारे यहां पर पंचवर्षीय योजना चालू है उसके लिये पैसे की जरूरत है इसलिये बोन्ड की जरूरत है। नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उसके लिये हमें कर्जा लेना होगा। यह जमीदारों के हित में है। इसलिए उनको बोंड के रूप में ही रकम दी जावे चाहे कितनी ही रकम हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंहजी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में दो हजार की सीमा रखी है। मैं यह कहूंगा कि अगर इसमें कोई सीमा नहीं रखी जाकर पूर्ण रूप से जो मुआवजा हो उनको दे दिया जावे तो उसका वे कुछ उपयोग कर सकेंगे। माननीय मन्त्री महोदय जो जमीदारी की एबॉलिशन की रिपोर्ट रखी है, उसमें यह है :

"The Venkatachar Committee recommended that the zamindars should given rehabilitation assistance."

उसमें इसको कोई मुआवजा नहीं मान कर जैसा कि हमारी डिमान्ड है, कमेटी की यह मंशा है कि उनको री-हेबिलिटेशन के रूप में दिया जावे। जब हम उनको री-हेबिलिटेट करने में एसिस्ट करना चाहते हैं, मदद देना चाहते हैं और फिर यह कहते हैं कि १० वर्षों में उनको उसका मुआवजा दिया जावे या २० वर्षों में मिलेगा तो आपने उनको री-हेबिलिटेशन में क्या मदद की ? उनको ६ महीनों में या साल में कुछ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको एक साथ रकम मिल जावे ताकि वे उसको उद्योग-धन्धों में लगादें। जैसा कि हमारा जागीरदारों के साथ हुआ है उससे अनुभव है। अधिकांश रूप में यह जो किश्तों में रकम दी जावेगी उसका दुरुपयोग होगा। या तो उसके खाने के खर्चे में वह रकम समाप्त हो जावेगी या उसका वे लोग शराब पीने या किसी प्रकार से दुरुपयोग ही करेंगे। कमेटी की मंशा री-हेबिलिटेट करने की है। वैंकटाचार कमेटी की यही मंशा है। मगर यह तभी हो सकता है जब कि उनको एक साथ रकम दी जाए। जमीदार लोग पढ़े लिखे कम हैं। इसके अलावा यह नहीं की १५, २० लाख रुपये उनके होंगे। छोटे जमीदारों को प्रोप्राइटर माने हैं। वे बड़े जमीदार कम हैं। अगर आपको मुआवजा देना है तो अगर हमने उसको लोंग पीरियड में दिया तो उनका वेस्ट करना होगा। जो कुछ मुआवजा देने की सरकार की मंशा है वह तभी पूरी हो सकती है सारा मुआवजा एक साथ दे दिया जावे। डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जावे और ब्यावर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है....

श्री पी० के० चौधरी : There is no quorum, Sir.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है तो हाउस को एड्जॉर्न कर दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोरम है।

श्री उपाध्यक्ष : Proceed on. There is quorum.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैसा मैं कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष, हमने जो मुआवजे के सिद्धान्त स्वीकार किये हैं वही वैन्कटाचार कमेटी की रिपोर्ट पर या विधान के अनुसार उनको री-हेबिलिटेशन में मदद करने के लिये देते हैं और यह मदद उसी सूरत में हो सकती है जब हम उनको निश्चित रूप से मुआवजा दें और एक साथ उसी हालत में दें। उसका दुरुपयोग तभी नहीं होगा जब हम उसको एक साथ देंगे। केवल दो हज़ार रुपया दें तो उसका दुरुपयोग होगा, यह गलत चीज़ है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सबको एक साथ एक मुश्त मुआवजा दे दिया जावे। जिससे इस बिल को आप पास कर रहे हैं वह आपकी मंशा भी पूरी हो सकेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप किस क्लॉज़ पर बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अब मैं भूलनेवाला नहीं हूँ। पहले बाहर से आया ही था।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर दो तीन संशोधन हैं। आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ब्यावर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अन्य सदस्य भी आपको सहयोग देते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा १४ पर ब्यावर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि दो हज़ार रुपयों तक की धन राशि उनको एक साथ दे दी जावे, मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, जिन जागीरदारों का मुआवजा सरकार ने दिया है आज उन जागीरदारों के अन्दर या तो कर्जा मांगते हैं उनको पैसे देकर नक्की हो जाते हैं या खा पीकर नक्की कर देते हैं।

४. म० प०

श्री उपाध्यक्ष : यह ज्ञान कहां से लाये, आप भावनाओं में बहते हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वैन्कटाचार साहब की रिपोर्ट में भी है और कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखी गई है, उसके अन्दर भी ऐसा है कि जिन जमीदारों को........

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप किसी कमेटी का रेफरेन्स देते हैं तो उसमें क्या लिखा है, यह मैं जानना चाहता हूं। बिना कमेटी की रिपोर्ट को देखे रेफरेन्स मत दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : लाये हैं वे बतावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर रेफरेन्स से चलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कम्पेन्सेशन एक साथ देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कौन सी रिपोर्ट में लिखा है।

श्रीमुक्तिलाल मोदी : यदि आप एक एक शब्द के साथ तर्क करेंगे तो अंग्रेजी तो मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते और अंग्रेजी में रिपोर्ट लिखी है और आप उसको नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे उस विषय में ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुना है मैंने ।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनी हुई बातें सदन के प्रांगण में नहीं कहेंगे ।

श्री भैरोंसिह : यदि अंग्रेजी में लिखी हुई रिपोर्ट को सुन कर उसका उदाहरण दे सकें तो यह मतलब नहीं है कि जो रिपोर्ट में लिखा है वह सब हवा में है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा माननीय सदस्य का कहना नहीं है । यह आपका इन्टरप्रिटेशन है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कानून आप बना देते हैं अंग्रेजी में । जब अंग्रेजी में कोई चीज ही नहीं होगी तो फिर मैं अंग्रेजी के लिए कुछ नहीं कहूँगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दो हजार का कम्पन्सेशन के लिए माननीय सदस्य ने रखा है । यदि उसको कम्पन्सेशन सरकार दे भी तो पूरा उनको रुपया देना चाहिये, जिससे कोई भी जमींदार जमीन पर कूंआ खुदा सकता है, ईन्जिन लगा सकता है, कोई भी धन्धा वह कर सकता है । धीरे धीरे रुपया देने से तो वह घर के कामों में खर्च हो जायगा और दूसरे दूसरे कामों में खर्च हो जायगा । फिर क्या होगा ? फिर वह सरकार से लोन लेगा या परेशानी के अन्दर और धन्धों में जमींदार उतरेगा । इसलिए माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना है कि कम्पन्सेशन दिया भी जाय तो एक साथ दे दिया जाय जिससे जमीदार बेकार न रह कर धन्धे पर लग जाय तो यह ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आये हैं मैं उनका विरोध करता हूँ ।

श्री भैरोंसिह : सब का ही ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सब का ही । एक तरफ तो यह चाहें कि जमीदार को कोई मुआवजा नहीं दिया जाय और एक तरफ यह कहा जाय कि सब ही मुआवजा एक साथ दे देना चाहिये, यह बात समझ में नहीं आई ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा अलग अलग सदस्य कहते हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जो सदस्य ऐसा कहते हैं वे ही वैसा कहते हैं । अब मैं निवेदन करूं कि इस धारा में कहीं यह बात नहीं है कि मुआवजा नकद के रूप में नहीं दिया जावेगा या बोन्डस में ही दिया जावेगा । यह लिखा है कि नकद में या बोन्ड्स में दिया जावेगा । इस धारा में कहीं यह निर्धारित नहीं किया है कि नकद तो दिया ही नहीं जावेगा या बोन्ड्स में नहीं दिया जावेगा या दिया जावेगा । जो सरकार को चलाते हैं उनको सब बातों को सोचना पड़ता है । सरकार आर्थिक स्थिति को देखकर देगी । केवल लाख, दो लाख के कम्पेन्सेशन का यह सवाल नहीं है किन्तु २५, ३० करोड़ का सवाल है । ऐसा कह दें...

श्री भैरोंसिह : आपने ये फीगर्स कहां से लिये हैं कि २५,३० करोड़ का कम्पेन्सेशन देना होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जैसे फीगर्स आपके उधर से आ रहे हैं वैसे ही हैं ।

(हंसी)

Page No.89

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अभी आप कह रहे थे कि मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि कुल एक साथ देना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह मसला राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ना चाहिये। आर्थिक स्थिति को देखते हुए और राज्य के आर्थिक ढांचे को देखते हुए वे इसको तय करें कि किस प्रकार से उनको कम्पेन्सेशन देना चाहिये। आखिर जो शासन चलाने वाले हैं उनको यह विचार करना है कि वे किस प्रकार से दें। यदि हमने कहा भी तो भी वह व्यर्थ जावेगा, इसलिए आर्थिक स्थिति के अनुसार राज्य सरकार मुआवजा तय करेगी कि कितना नकद में वे दे सकते हैं और कितना बोन्ड्स के रूप में दे सकते हैं। इस धारा में यह कहीं नहीं है कि केवल नकद में ही दिया

४, ७ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

जाय या बोन्ड्स में ही दिया जाय। नकद में भी दिया जा सकता है और बोन्ड्स में भी दिया जा सकता है। राज्य सरकार खुद ही सोचे कि जो छोटी छोटी जमींदारियां हैं उनको कितना नकद के रूप में देना चाहिये और कितना बोन्ड्स के रूप में देना चाहिये। यदि यहां इसको निर्धारित कर देते हैं तो राज्य सरकार के लिए कठिनाई पैदा हो जायगी।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, माननीय बहादुरसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ड पेश किया है उसके सपोर्ट में मैं बोल रहा हूँ और उसके रेफरेन्स में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी फाइनेन्शियल पोजिशन को देखते हुए फैसला करना चाहिये। यह माननीय बहादुरसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है, उसके लिए सबसे ज्यादा लागू होता है। सबसे पूर्व तो हमने पिछले क्लॉज़ में कहा है कि कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं है जब कि खुदकाश्त देते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं रहती है। यदि कम्पेन्सेशन केश में देना चाहते हैं तो जो फाइनेन्शियल लाइबिलिटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती हैं, उनको देखना है। जमींदारी एबॉलिशन के समय जो कम्पेन्सेशन दिया गया अब तक तो सिलसिला ऐसा था कि उसको केपिटल अकॉउंट में कम्पनसेशन के गिनते थे। बजट के केपिटल अकॉउंट में उसका अकॉउंट करते थे। पिछले साल से कम्पेन्सेशन का अमाउंट रेवेन्यू अकॉउंट में ट्रांसफर हो गया और बजट में भी रेवेन्यू अकॉउंट में ही करते है। रेवेन्यू अकॉउन्ट में कम्पेन्सेशन का यह आइटम आता है इन्कम एण्ड एक्सपेन्डीचर। रेवेन्यू अकॉउन्ट में जाने का नतीजा यह होता है कि जो फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ है, रेवेन्यू रिसोर्सेज़ हैं उस पर इसका भार पड़ता है और बजट को इसीलिए डेफिसिट बनाते हैं। तो इसलिए आज जब कि इतनी फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी है और कम्पेन्सेशन के प्रोविजन्स से बजट में स्ट्रिन्जेन्सी होगी, बजट डेफिसिट पहुंचेगा। माननीय सदस्य महोदय, ने बोन्ड्स में देने का रखा है, बोन्ड्स में देने का मतलब यह होता है कि कम्पेन्सेशन का जो स्केल रखा गया है, जैसे ८ साल इन्कम का रखा है, उनकी जो ८ साल की इन्कम थी स्टेट गवर्नमेन्ट को रेवेन्यू से पैसा नही मिलेगा। वह लगभग १५,२० साल से मिलेगा जो आज हम कम्पेन्सेशन के रूप में डिस्बर्स करेंगे। इसलिए फाइनेन्स की दृष्टि से देखेंगे तो जमींदारी एबॉलिशन करने से फाइनेन्शियल

(श्री पी० के० चौधरी)

लायेबिलिटी न आवे और इन्कम आवे उससे एक्चुअल पेमेन्ट कर सके तो ज्यादा अच्छा रहता है यदि कम्पेन्सेशन देना ही है। इसलिए यदि २० के बोन्ड्स में देते हैं तो स्टेट बजट पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं आता, डिमान्ड नहीं आती है और जो इन्कम आवेगा उससे इसको मीट विथ कर सकेंगे।

इसलिए माननीय सदस्य ने जो बौंड में देने का अमेन्डमेन्ट रखा है। मैं भी इसे ज्यादा उपयुक्त समझता हूं कि बोन्ड में ही दिया जाना चाहिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो भी संशोधन रखा है माननीय सदस्य ने बहुत सोच-समझ कर रखा है जो भी पैसा हमें कम्पेन्सेशन के रूप में जमींदारों को देना है उसको देने से पहले हमें यह सोचना है कि जो पैसा दिया जाय उसका सदुपयोग होता है या नहीं। यह बात सही है कि सरकार ने जब कम्पेन्सेशन देना तय कर लिया है उस हालत में जो पैसा सरकार दे रही है उस पैसे से वह फायदा उठाए। किसी भी प्रकार से जो जमीन हैं उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उस पैसे का उपयोग हो या और अन्य प्रकार से उद्योग-धन्धा कायम करके उस पैसे का सदुपयोग हो और उस पैसे से वह जमींदार अपनी आजीविका निर्वाह के लिए सोर्स निकाल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जमींदारों को मुआवजा देने की बात सोची है। जब इस प्रकार की बात सोची जाती है, फायदा देना है तो उसके लिए जिस आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है वह किस प्रकार से उनको मिलना चाहिए यह भी सोचा जाना जरूरी है। यह फायदा सामूहिक रूप से कम्पेन्सेशन की रकम उनको दे दी जाय तो मिल सकता है। अगर उनको सामूहिक रूप से पैसा नहीं देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके देते हैं तो किसी भी प्रकार से उनके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। एक तरफ तो हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार अल्प बचत योजना बनाती है और उसके द्वारा धन संग्रह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है और उसका प्रचार किया जाता है। यह स्कीम अपने लिए लागू न करके दूसरों के लिए लागू करते हैं। इसी प्रकार मेरा तो यह निवेदन है कि उनको अपनी ओर से तो सामूहिक रूप से रकम मिल जानी चाहिए फिर बाद में उनकी जिम्मेवारी से चाहे जैसा वे उसको खर्च करें। इससे जमींदारों को अच्छी मदद मिल सकती है। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा जो यह कानून की धारा है उसमें सामूहिक रूप से पैसा दें और उससे भी ज्यादा दें तो और अच्छा है। ताकि वह जमींदार किसी प्रकार की उसकी आवश्यकता हो तो उसको पूरा कर सकें।

मान लीजिए एक जमींदार है, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी बच्ची की शादी के लिए पैसे की आवश्यकता है, वह चाहता है जिस प्रकार से उसकी पोजिशन पहले से चली आ रही है इसी प्रकार बनी रहे तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है। और उसके पास पैसा नहीं है वैसी हालत में उसको मुआवजा मिल जाता है तो बखूबी उस पैसे का उपयोग करके जो भी फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। इसलिए मेरी राय में उनको समूहिक रूप से इकट्ठा पैसा दे

(श्री रामकरणसिंह)

दिया जाय तो यह बहुत श्रेष्ठ होगा और इस तरह से वास्तव में जो फायदा सरकार देना चाहती है, उससे वास्तविक फायदा मिल सकेगा।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) माननीय सभापति महोदय, क्लॉज १४ में कम्पेन्सेशन किस प्रकार से दिया जाय नगद रूप में या बोन्ड के रूप में इस विषय की सदन में चर्चा हो रही हैं। सभापति महोदय-राजस्थान सरकार को राज्य चलाने में नित्य ही रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। राज्य के सामने बड़ी बड़ी स्कीमें बड़े बड़े प्रोग्राम हैं अगर राज्य सरकार इस प्रकार से नकद के रूप में और तमाम का तमाम रुपया देना चाहें तो कहां से दे सकती है और किस प्रकार से दे सकती है। राज्य सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है मुआवजा की रकम जमींदारों के लिए एक साथ दे सके। जहां राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं वहां हम काश्तकार को ओर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यह जमींदारी प्रथा मौजूदा जमींदारों की खरीदी हुई नहीं है। ये जमींदार तो उनके पूर्वजों की संचित की हुई जमींदारी के सिर्फ वारिश हैं उनको नकद के रूप में सारा मुआवजा दे देना हम ऐसा महसूस करते हैं जमींदारी प्रथा के लिए आधा रुपया मुआवजे के लिए दे दें तो उस रुपये का सदुपयोग किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता। इस प्रकार से जमींदारों को राहत देना चाहते हैं वह ठीक प्रकार से नहीं मिल सकती। राजस्थान के जमींदारों से जमींदारियां ले लीं और उनको राहत पहुंचाई जाय तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि उनको राहत किस प्रकार से मिल सकती है इसलिये हमने अपने प्रान्त में भी अन्य प्रान्तों की तरह जिस प्रकार वहां बोन्ड के रूप में मुआवजा दिया जा रहा है यहां भी उसी प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार का अमेन्डमेंट पेश किया है कि जिसकी आमदनी दो हजार तक हो, दो हजार रुपये की रकम ऐसी बड़ी रकम नहीं जिसको लेकर वह अपना कुछ बिगाड़ कर सकें। अगर दो हजार की रकम उस जमींदार को एकमुश्त में दे देते हैं तो जिसको जमींदारी एक छोटे से काश्तकार के रूप में रही अगर उसको दो हजार रुपया एक साथ दे देते हैं तो वह बेचारा जिसकी काश्तकारी व्यवस्था खराब हो चुकी है जिसको नए ढंग से जमाना चाहते हैं जिससे वह फायदा उठा सकता है। इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि दो हजार रुपए तक तो एक साथ दे दिए जायं और ज्यादा आमदनी वाले को बोन्ड के रूप में दिया जाय।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय; ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। यह मैं मानता हूं कि उससे भी आगे अगर कदम ले लिया जाय तो भी कोई हानि नहीं है। दो हजार रुपया जिसका टोटल मुआवजा बनता है उसको एक मुश्त में रुपया दे दिया जाय। दो हजार की जगह आठ या दस हजार भी हो और उसको भी एक मुश्त में दिया जा सकें तो मैं समझता हूं बहुत उचित होगा। यह हो सकता है कि उसको राइट एडवाइज न मिलने कारण उस पैसे का दुरुपयोग करदे तो यह उसके किस्मत की बात है। आप एज एगार्जियन सिटिजन ऑफ दी स्टेट अगर अपने आपको गार्जिअन

(श्री अनूपसिंह)

की हैसियत से मानते है तो वैसी हालत में आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका सदुपयोग करना सीखावें । इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है दो हजार तक आमदनी वाले नगद में मुआवजा दे दिया जाय, कम से कम इसको तो माना जाय। मैंने अपना कोई संशोधन नहीं रखा है इसलिये अब पांच या दस हजार की बात हो नहीं सकतीं। इस लिये दो हजार का संशोधन मान लिया जाय तो बहुत उचित होगा। यहां हमे यह कहने में यह अफसोस होता है कि हमारे राज्य की ऐसी स्थिति है या नहीं कि वह इतना रुपया भी एक मुश्त में दे सके उसके लिये यह अच्छा होता कि यह राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाता ताकि राज्य सरकार की मन्शा की बात तो मालूम होती इसलिये मेरा यह निवेदन है कि एक मुश्त में रकम देने पर जो समझदार होंगे तो वे समझदारी से काम ले लेंगे और जो उड़ना चाहेंगे वे उड़ा देंगे और जो नासमझ है जो रास्ता भूल गया है जो अपने को रीहैबिलिटेट करना नहीं जानता है जो अपने निर्वाह के जरिये नहीं निकाल सकता, वे तो वैसे भी खत्म होने हैं और उन्हें होने दिया जाय। उसको छोड़ दीजिये। वह अपनी सोसायटी और संगत के असर से बच नहीं सकता। पर ऐसी पार्टी जो ठीक है और हो सकती है उसको मदद देने के लिये अगर एक मुश्त यह मुआवजा दे दिया जावेगा तो उसके लिये यह बड़ी भारी साहयता होगी। उसके रीहैबिलिटेशन की गुंजाइश हो जावेगी उसकी आर्थिक हालत ऐसी हो जावेगी कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जावेगा। अगर उसके दिमाग में ऐसा तरीका है, ऐसी स्कीम है जो आर्थिक संकट के कारण अटकी पड़ी हैं तो वह उनको सफल कर सकेगा। अगर उन पैसों को बरबाद कर देने वालों के पीछे इन को भी वंचित रक्खा गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

इसलिये जो संशोधन पेश हुआ है ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने मैं इसका समर्थन करता हूं और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री रामधन (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर वालों के संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ। मुआवजा उनको एक मुश्त मिलना चाहिये। अगर वह दिया जायेगा तो काश्तकार के साधन आमदनी के जो पहले थे-वे तो खत्म हो गये तो इस मदद से वह नये औज़ार अपने खेत के लिये खरीद सकेगा और अपनी खेती अच्छी तरह कर सकेगा ।

अभी किसी ने कहा कि वह तो उनसे बोहरे ले जावेंगे। अगर बोहरों का कर्ज है तो वे वैसे भी कुर्की लाकर उनके मकान नीलाम करेंगे, काश्त के औजार कुर्क करके वसूल कर लेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा। इससे तो अच्छा है कि उनका कर्जा ही चुकने के बाद वह अपने घर को और औज़ारों को बचा सकेगा और इस तरह से अपनी खेती पर आराम से गुज़ारा कर सकेगा। तो यह भी बहुत अच्छी बात होगी।

मुआवज़ा एक मुश्त नहीं आने से वे लोग जो थोड़ा थोड़ा जावेगा उसको वैसे ही खर्च कर देंगे और कोई भी काम में वे नहीं कर पावेंगे। तो मुआवजा एकमुश्त दिया जावे इसमें ही बहुत फायदा है उनको।

काश्तकार कोई भी और धन्धा एक मुश्त पैसा मिलने से सोच सकता है और औज़ार खरीद सकता है।

(श्री रामधन)

मेरी राय से तो एकमुश्त मुआवजा ही दिया जावे। यही कहना चाहता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय चेयरमैन, जो संशोधन ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

क्योंकि प्रिन्सिपल ऑफ कम्पेन्सेशन मंत्री महोदय ने एक्सेप्ट कर दिया इसलिये अब यह देखना है कि जिनको दो हजार से ऊपर जो कम्पेन्सेशन देना है, वह कैसे दिया जाय।

यह दो हज़ार की जमींदारी वालों को हम उस कैटीगरी में नहीं रख सकते जो अपना सेल्फ मेन्टेन कर लें। जमींदारी एबॉलिशन के बाद उनके पास इतना सेविंग नहीं हो सकेगा जिससे वे कोई अपना गुजारा कर सकें। आप दस इयर के इन्स्टालमेन्ट में यह देंगे उस हिसाब से उसको डिवाइड करें तो ८० या ५० रुपया ईयर का आकर पड़ेगा। ये कहने को जमींदार हों, उनके पास टाइटिल या राइट्स वगैरह या प्रीविलेज या स्टेट्स भले ही जमींदार का हो पर उनकी आर्थिक हालत एक छोटे टिनेन्ट से अच्छी नहीं हो सकती।

तो यह जो इन्कम आप से साल में होगी वह डे टु डे के जो हैंड टू माउथ होंगे, कामों में खत्म हो जावेगी। अभी वह साल भर की दो हजार की इन्कम रियलाइजेशन से कर लेता है और उसे साल भर बैठकर आराम से खा लेता है। अब जब सरकार जमींदारी या बिस्वेदारी को रिज़्यूम कर लेगी तो उसके बाद दो हजार तो कलेक्ट कर नहीं सकेगा और जो आप दे रहे हैं उसको भी इयरली कैश और बौंड्स में कर देते हैं तो उनके पास क्या रह जावेगा। फिर खुदकाश्त की मुश्किल से ही जो जमीन उनको मिलने वाली है वह बिल्कुल उस सब-टिनेन्ट के बराबर है, जिसकी जमीन अनइकॉनोमिकल है। तो उसके पास अनइकॉनोमिकल होल्डिंग होगी।

आज समाजवादी व्यवस्था का आप नारा दे रहे हैं। उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी मेन्टीनेन्स की जब सरकार अपने ऊपर ले रही है तो सरकार को जरूर यह प्रोविजन करना चाहिये और जब सरकार यह एक्सेप्ट कर चुकी कि वह यह कम्पेन्सेशन अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड से देगी तो मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार की आर्थिक हालत अच्छी है। अगर यह स्थिति नहीं होती तो तरह तरह की प्लान्स हैं उसको प्रोवाइड कर सकती थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कि वे दो हजार का कम्पेन्सेशन उनको एकमुश्त नहीं पे कर सकती।

इसको अगर वैसे भी देखें, सोशल जस्टिस के पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी देखें तो यह नहीं कह सकते कि हम उसको या उसकी फेमिली को स्टार्वेशन के लिए कन्डेम कर दें या उस लैवल पर लाकर छोड़ दें कि उसका या उसकी फेमिली का जीना मुश्किल हो जावे। तो स्टेट के एक्सचेकर के पॉइन्ट ऑफ व्यू से और सोशल जस्टिस के पॉइन्ट ऑफ व्यू से और सोशलिज्म के पॉइन्ट ऑफ व्यू से यही ठीक है कि हम उसको कम्पेन्सेशन एक मुश्त में दे दें। सोशलिज्म की यह मंशा नहीं कि उसके राइट्स से भी उसको डिप्राइव कर दें और उसकी इकॉनोमिक सिक्योरिटी से भी डिप्राइव कर दें:

इसको तरह तरह से देखें तो यह रीजनेबल बात है। लखनऊ में जो नवाब हैं और जिनको चार आना, आठ आना पैंशन मिलती है उस टाइप का जिनका स्टेट्स है तो

(श्री श्रीमानसिंह)

जो जमींदार कहने को हैं पर एक्चुअली जमींदारी की कैटेगरी में वे अपने को ले सकें ऐसी पोजिशन में वे नहीं हैं। उनका तो जमींदार का एक इनहेरेन्ट स्टेटस है। जबर्दस्ती जमींदार कहलाते चले आ रहे हैं। पर वास्तविक हालत उनकी अपने एक सब–टिनेन्ट से अधिक अच्छी नहीं है। तो इसमें सरकार को भी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव या आर्थिक डिफिकल्टी आ सकती है यह मैं नहीं समझ सकता। तो सरकार इसे पे कर सकती है। कोई डिफिकल्टी उसको नहीं होनी चाहिए। वह जैसे बताया टोटल बौंड में पे कर सकती है। रिसोर्सेज पूरे नहीं होने से बौंड्स में पे करते हैं यह कहने को हो जाता है तो....एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते लेकिन केश और बौंड्स का प्रिंसिपल आप एक्सेप्ट करते हैं तो यह पूरा अमाउंट देने की लाइबिलिटी आपको अपने ऊपर लेनी होगी और पे कर सकते हैं। हमें उन दो हजार वालों को पैसा देना चाहिए। जैसा आप सिद्धांत मानते हैं कि अगर वह कल्टीवेशन करेंगे तो हम उनको लैंड देंगे। तो उस कम्पेन्सेशन को जो कि करीब एनुअली ५० या ८० रूपया आकर पड़ेगा तो उसके अंदर वह क्या खेती कर सकेगा। एक तरफ तो आपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को रखा है और दूसरी तरफ वह खेती भी करेगा, इस तरह वह खेती नहीं कर सकता। उनका रिहेबिलिटेशन इन्स्टालमेंट्स के अंदर नहीं है। मैं नहीं जनताकि इस पैसे का वह कुछ भी करें शराब पीयें या जुआ खेलें या कुछ भी करें यह उनका पर्सनल एफेयर है। इस तरह के इन्सटान्सेस दिए जाते हैं। मगर ऐसा मैजोरिटी तो नहीं करती। जब कि एक पूअर आदमी है और उसको आप रिहेबिलेटेट करना चाहते हैं और उसको उस कन्डीशन पर लाना चाहते हैं और उसको कोई न कोई ऑक्युपेशन देना चाहते हैं और वह भी एग्रीकल्चर और उसमें भी इनीशियली ८० रुपये एनुअली देते हैं तो वह एग्रीकल्चर भी टीक तरह से नहीं कर सकता। अगर वह कोई कॉटेज इन्डस्ट्री खोलना चाहता है तो भी ओपिन नहीं कर सकता। फिर उसके लिए क्या रह जाता है। ८० रुपये एनुअली पर वह अपने आपको मेन्टेन भी नहीं कर सकता। तो उसके मेन्टीनेन्स के लिए किसी ऑक्युपेशन में वह कम से कम लगाये और रिस्क ले तो जो दो हजार का अमॉउन्ट है उसको हम एक साथ दे दें तो हम एक रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेते हैं और फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यह बहुत रीजनेबल है। इसका बर्डन भी ज्यादा स्टेट एक्सचैकर के ऊपर आने वाला नहीं है। जब कि आपने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मान लिया है कि उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा और उनको इकॉनोमिक सिक्योरिटी का राइट दिया हुआ है और सोशियल सिक्योरिटी का राइट दिया हुआ है तो उस पॉइन्ट ऑफ व्यू से इसको आप एक्सप्टेट करें।

श्री भौंरा मीना (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, जमीदारी खत्म की है उसके बारे में जो दो हजार रुपये का मुआवजे के देने के लिए तय किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन दो हजार रुपया जमीदारों को एक दम दे दिया जाये, तो वह उसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। उससे वह बैल भी खरीद सकेंगे, कुंए भी बनवा सकेंगे, याने हर एक तरह से अपना काम चला सकते हैं। अलग अलग देने से वह पैसे को खराब कर देंगे और पैसा और किसी काम में नहीं आयेगा। बस, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह (बहरोड़) : सभापति महोदय, जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल की धारा १४ में जो मुआवजा देने का ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि मुआवजा दो हजार तक का एक ही दफा में दे दिया जाये मैं उसका समर्थन करता हूँ और जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि वह एक ही दफा में नहीं दिया जाये उसका मैं विरोध करता हूं। सभापति महोदय, अगर किसी आदमी ने अपने पैसे को बरबाद ही करना है तो वह करेगा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन देखना यह है कि अगर उसको इन्स्टॉलमेन्ट्स में मिलता है तो उसका क्या करेगा। एक दफा की इन्स्टॉलमेंन्ट मिलेगी उससे जूते ले आयेगा, नमक और मिर्च आ जायेगी और क्या करेगा उसका ? लेकिन अगर दो हजार रुपया एक साथ मिलता है तो वह उसको जिस काम में भी लगायेगा उससे ही फायदा उठायेगा, चाहे उसको किसी बिजनेस में लगाये। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कर्जा देना होता है, तो कर्जा तो वह देगा ही। कर्जा देनेवाले कोई उस पर कर्जा छोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर मकान बनाना है, तो वह भी उस पैसे से बना सकता है। मतलब कहने का यह है कि वह दो हजार रुपया कहीं भी लगायेगा उसको फायदा होगा। उसे इन्स्टॉलमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। किसी को शराब पीने की आदत है तो वह पीयेगा, कोई उसको रोक थोड़े ही सकता है। बहुतों को शराब पीने की आदत है, तो पीता है वह उसके लिए कपड़े बेचता है। यहां हम किसी की आदत छुड़ाने तो आये नहीं हैं। हमें तो देखना यह है कि जो मुआवजा मिलने वाला है उनसे कितना फायदा मिल सकता है। उसमें सबसे बैस्ट यही है कि इकट्ठा मुआवजा मिले उससे वह फायदा उठा सकेगा और उसको उठाना चाहिए। इसलिए जो संशोधन ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं कि मुआवजा एक साथ मिलना चाहिए और डॉ० बहादुरसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : Is this a very important clause ?

श्री भैरोंसिंह : That amendment has been moved by the Ex-Revenue Minister of the Ajmer State. I think It carries some impetance.

श्री दामोदरलाल व्यास : But he will have to withdraw it.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : बशर्ते कि हाउस विद्ड्रा करने की इजाजत दे दे।

सभापति महोदय, भूतपूर्व अजमेर राज्य के भूतपूर्व राजस्व मंत्री महोदय ने जो इस बार ब्यावर से निर्वाचित होकर इस सदन में आये हैं उन्होंने जो संशोधन पेश किया है वह मैं समझता हूँ कि एक सुविचरित संशोधन है। अजमेर में जब जमीदारी एबॉलिशन की थी। तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन मूव किया है वह उस समय राजस्व मंत्री थे। अजमेर जमींदारी के संबंध में उनको काफी अनुभव रहा है। जमीदारी किस प्रकार से समाप्त की जानी चाहिए, जमीदारों की क्या हार्डशिप्स हैं और उनसे बचने के लिये सरकार किस प्रकार से जमीदारों की सहातया कर सकती है

(श्री भैरोंसिंह)

इसका अनुभव उन माननीय सदस्य को निश्चित रूप से हुआ है कि जिसकी प्रेरणा से उन्होंने राजस्थान के इस जमीदारी एब्रॉलिशन बिल में यह संशोधन पेश करके सरकार को जमीदारों की दिक्कतों को रफा करने के बारे में अपील की है। सदन के अधिकांश सदस्यों ने भी उनकी इस विचारधारा और उनके इस संशोधन का समर्थन किया है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मैं समझता हूँ किसी कारण से यह कह गये कि यदि इनका संशोधन स्वीकार हुआ तो राजस्थान सरकार को ३५ करोड़ रुपये तक का मुआवजा देना पड़ेगा ३५ करोड़ रुपये की फिगर्स सामने रख कर उन्होंने सदन को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सदन उनके द्वारा बताये हुए फिगर्स से किसी प्रकार से भ्रम में नहीं आया। प्रश्न यह आता है कि हम जमीदारों को जो कम्पन्सेशन दे रहे हैं वह कम्पन्सेशन किस रूप में दिया जाये, किस प्रकार से दिया जाये, कितना दिया जाये, इस सम्बन्ध में आगे की धाराओं पर बहस होगी। किस प्रकार से दिया जाय इस सम्बन्ध में इस धारा में व्यवस्था की जा रही है। जहां तक इस धारा में व्यवस्था दर्ज है इसके अनुसार किसी जमीदार को कैश में या बॉन्ड्स में कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है। लेकिन इस बिल के आगे की धाराओं के अनुसार यह कम्पेन्सेशन जमीदारों को १० इन्स्टॉलमेंट में दिया जायगा और वह जमीदार यदि यह चाहे कि १० इन्स्टॉलमेंट की संख्या को बढ़ा दिया जाय तो २० हाफ इयरली इन्स्टॉलमेंट्स में इस कम्पेन्सेशन की भुगतान की जायगी। सभापति महोदय, यदि इस संशोधन की भाषा को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो जमीदार हैं और जिनकी इन्कम या जिनको कम्पेन्सेशन के रूप में २०००) रु० से कम देना पड़ता है उन ऐसे सब जमीदारों को एक मुश्त में यह सारी रकम दे दी जाय। मैं समझता हूं कि इसमें सिवाय एक दलील के कि राजस्थान के एक्सचेकर के ऊपर इसका जबरदस्त बोझ आने वाला है। हमारे सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, डवेलपमेंट के वर्क्स हैं और ऐसी स्थिति के अन्दर हम एक साथ कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था यदि एक्सचेकर का कोई प्रश्न था, तो उस पर विचार उस समय, जब कि कम्पेन्सेशन का इश्यू हमने तय किया, किया जाना चाहिए था। लेकिन जब हमने कम्पेन्सेशन देना स्वीकार कर लिया उसके बाद में उससे एक्सचेकर के ऊपर अतिरिक्त बोझ आने वाला है यह बात समझ में नहीं आती। यह एक केल्क्युलेशन का प्रश्न है। राजस्थान में कितने ऐसे जमीदार हैं जिनकी आमदनी २०००) रु० से कम है, जिनको २ हजार से कम कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें उन जमीदारों का क्या होगा जिन जमीदारों की इन्कम कहीं पांच सौ से कम है, जिन जमीदारों की इन्कम दो सौ से कम है और वे उसमें खुदकाश्त नहीं करते हैं? ऐसे व्यक्तियों की जमीदारी या ऐसे व्यक्ति छोटी आमदनी वाले होंगे। २०००) रु० का मतलब है कोई किश्त नहीं, बल्कि सारा कम्पेन्सेशन, सारा कम्पेन्सेशन जिसके लिए हमने कम्पेन्सेशन के लिए व्यवस्था कर रखी है। इस एक्ट में दी हुई शिड्यूल के अनुसार जहां पर एक नम्बर पर एट टाइम्स देंगे "(a) eight times his net income calculated in accordance with clauses 2,3 and 4 of this Schedule and" दूसरा

[श्री भैरोंसिंह]

है "(b) twenty five percent of the land revenue payable by him for the basic year—

(i) in respect of his khudkasht lands, and

(ii) in respect of Shamlat deh lands." ऐसी स्थिति के अन्दर २०००) रु० का कम्पेन्सेशन केवल उन्हीं जमींदारों का हो सकता है, यह केलक्युलेशन में थोड़ी बहुत भ्रान्ति हो सकती है, लेकिन यदि हम आनुमानिक रूप में लें तो २०००) रु० की इन्कम केवल ऐसे जमींदारों की होगी जिनकी सालाना इन्कम २००) रु० से ज्यादा नहीं है। २००) से २५०) भी हो सकती है, २००) से ३००) भी हो सकती है, लेकिन २००) से ३००) के बीच के जमींदार हैं उन जमींदारों का केवल कम्पेन्सेशन २०००) रु० तक का हो सकता है।

अब प्रश्न यह आता है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनकी जमीदारी की इन्कम जमींदारी एबॉलिशन बिल के जरिये छीन लें उसके बाद हमने कम्पेन्सेशन देना तय किया है, तो यह कम्पेन्सेशन पार्ट्स में दिया जाय या सारा कम्पेन्सेशन ऐसे लोगों को एक साथ दिया जाय। सभापति महोदय, सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर विचार व्यक्त किये हैं कि यदि इन छोटे जमींदारों को एक साथ मुआवजा दिया जायगा, तो एक बात निश्चित रूप से होगी कि इन दो हजार रुपयों का सदुपयोग हो सकता है। माननीय सदस्यों ने यह भी जिक्र किया था कि २,००० रु० एक साथ देंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। मैं ऐसा मानकर नहीं चलता हूं। दुरुपयोग किस क्षेत्र के अन्दर एक जमींदार के द्वारा हो सकता है? जब जमींदार को यह पता लगेगा कि जमींदारी समाप्त हो रही है, जो इन्कम के सोर्सेज थे वे समाप्त हो रहे हैं, उनके ऊपर एक साथ बोझ आने वाला है, ऐसा समझते हुए कोई जमींदार नहीं होगा कि जो उस रुपये का मिस्यूज करना पसन्द करे, रुपये का दुरुपयोग हो इस बात को स्वीकार करे। वह हमेशा इस बात की चेष्टा करेगा चूंकि उसकी इन्कम बन्द हो रही है, इसलिये रुपये का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जाय। और इसके अतिरिक्त मैं मैं आपको एक मोटी सी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जागीर रिजम्प्शन के बाद जो जागीरदार शराब पिया करते थे उन जागीरदारों में से ६० प्रतिशत ने शराब पीना छोड़ दिया है और मैं ऐसा समझता हूं कि यह ढंग इस प्रकार से चलता रहा तो एक दिन स्थिति यह आयेगी कि यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के जागीरदारों ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस बात की स्थिति का यकीन करने से ऐसा लगता है कि दुरुपयोग की मूल बातों पर ध्यान दें तो उसका सम्बन्ध सीधा अर्थ से है। आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई नजर आती है, उसमें बिल्कुल लो परसेंन्टेज ऐसे व्यक्तियों की मिलती है जो कि आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के पश्चात् भी पैसों का दुरुपयोग करे। हमें इस कारण से यह विचार नहीं करना चाहिए कि यदि जमींदारों को २०००) रु० दे देंगे तो शराब पी जायेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि स्थिति इसके विपरीत है। उनके हाथ में २०००) रु० चले जायेंगे और यह पता लगेगा कि आयन्दा से कोई रकम मिलने वाली नहीं है, तो वे बढ़िया से बढ़िया उपयोग इस रुपये का करेंगे। हमने देखा है कि गांवों में कॉटेज इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि कॉटेज इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, तकाबी दी जाती है, सबसिडी दी जाती

[श्री भैरोंसिंह]

है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कॉटेज इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट सही रूप में नहीं हो सका है। उसके कारण मालूम करने पड़ेंगे। लोग इल्जाम लगाते हैं कि जो कुछ लोन्स या एडवान्सेज दिये जाते हैं, जिन लोगों को सबसिडी इस प्रकार से दी है उसका लोग उपयोग नहीं करते हैं। सदन के प्रश्नोत्तर के समय में कई माननीय सदस्य अपने प्रश्न करते हैं तो सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जाता है उनसे एक बात असन्तोषप्रद हमारे सामने आती है कि लोन्स वगैरह एडवान्स करते हैं उनका उपयोग सही रूप में नहीं होता है। जो जमींदार हैं उनको रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वे सरकार से कम्पेन्सेशन प्राप्त करने वाले साधारण श्रेणी के लोग हैं। लोन वगैरह दिया है उसका उपयोग नहीं होता है। उसका कहीं न कहीं सदुपयोग होता है, लेकिन जिस पर्पज के लिए दिया जाय उस पर्पज के काम में नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि यदि जमींदारों को २०००) रु० दे देना वाजिब है जो कि कम्पेन्सेशन के रूप में देना मंजूर किया है, वह उधार के रूप में या सरकारी सहायता के रूप में नहीं दे रहे हैं, उनके राइट्स के एवजाने में आपने किया है उस व्यक्ति को जितना देना है वह एक साथ दे दिया जाय तो जिस तरह से महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बैल खरीदे जा सकते हैं, खेती की दूसरी चीजें खरीदी जा सकती हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि यदि उन जमींदारों को जमीन पर री-हेबिलिटेट करना है तो सबसे पहले ऐसी आदत बनानी पड़ेगी कि वे लोग स्वयं खेती करें। खेती की आदत बनाने के लिए सबसे पहले जितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है उस इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि की सहायता देनी पड़ेगी।

अब प्रश्न यह आता है कि सहायता के लिए तकावी या सरकार से दूसरे लोन के रूप में मिल सकता है वह सहायता प्राप्त करने में उस सूरत में जो सरकार उस रूप में सहायता देती है, यदि वही सरकार उनको २ हजार रुपया कम्पेन्सेशन के रूप में दे दें तो तकावी में रुपया मिलने वाला है उसका बोझ कम होगा। एक्सचेकर पर अतिरिक्त भार आने की कल्पना की जाती है, मैं समझता हूं उस अतिरिक्त भार की इसमें गुन्जायश नहीं रहेगी, बल्कि लोग अपने पैसे को अच्छे उपयोग में लगायेंगे। वे अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे और प्रोडक्शन बढ़ सकेगा।

अब प्रश्न यह आता है कि जमीन नहीं है कइयों को मिलेगी और मैं कहता हूं कि कइयों को नहीं मिलेगी। दूसरों के पास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, एम्प्लायमेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं समझता हूं, मैंने इस एक्ट को अच्छी तरह से देखा है, कोई सर्विस का कहीं जिक्र नहीं है कि जमींदारों को नौकरी मिलेगी या जमींदारों के नौकरों को नौकरी मिलेगी। इस बात का इसमें कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसा लगता है कि जमींदारों के सम्बन्ध में केवल कम्पेन्सेशन देने के अलावा अपने आपको री-हेबिलिटेट करने के लिये सरकार की ओर से कोई सुविधा दी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कम्पेन्सेशन जिसके ऊपर उनका सारा भविष्य आधारित है, वह एक इन्स्टॉलमेंट में मिले तो निश्चित रूप से उस इन्स्टॉलमेंट का सदुपयोग होगा। यदि २०००) रु० का कम्पेन्सेशन १० किश्तों में मिलता है, तो उसको २००) रु० साल का मिलता है और अगर २० किश्तों में मिलता है,

(श्री भैरोंसिंह)

हर छठे महीने १०० रु० मिलेगा। १०० रु० में मैं समझता हूं एक परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का खर्चा पूरा नहीं हो सकता है। एक दफा वह उसको कपड़े में खर्च करेगा, एक दफा वह घर की मरम्मत करने के लिए। इस तरह से उन सब बातों के अन्दर सारी चीजों में खर्च होता जायगा। उससे ऐसा लगता है कि जिन चीजों में उसका उपयोग अच्छे तरीके से कर सकें, कॉटेज इन्डस्ट्री को डेवलप करने में, फूड प्रोडक्शन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से जिस पैसे का उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग वह जमीदार अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों के अन्दर खर्च करने के नाते उसका दुरुपयोग करेगा। इसका दुरुपयोग करेंगे। आज चाहिये तो यह था कि हम इस प्रकार के दुरुपयोग से इस रकम को बचाने के लिये एक मुश्त रकम देते और अच्छी व्यवस्था करते और कहते कि काश्त पर जो जमीदार रिहेबिलिटेट होना चाहता है, एक कृषक के नाते तो उसको अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ताकि उसको इन्सेंटिव मिलता, प्रेरणा मिलती कि यदि वह कृषक होता है तो उसको दो हजार रुपये एक मुश्त मिलने वाले हैं। इससे वह अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ देता और जो रुपये आप देना चाहते हैं उन रुपयों का भी दुरुपयोग नहीं होता और सरकार को जो लोन, तकावी आदि देनी पड़ेगी उससे भी बचत होती। लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार क्योंकर इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है? सरकार इसे स्वीकार नहीं करने वाली है यह कह कर कि इससे एक्सचेकर पर भार पड़ने वाला है। लेकिन मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जो छोटे जमीदार हैं वे इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इस प्रकार की सुविधा उनको देना सरकार का कर्त्तव्य है और यह तभी हो सकता है जब कि जिस प्रकार की व्यवस्था ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाई है उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे।

श्री किशनसिंह बट्टड (लक्ष्मणगढ़) : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेन्ट प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ। आज समस्या यह है कि जागीरदारों को एक मुश्त मुआवज़ा दिया जाय या नहीं....

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां पर जागीरदारों का प्रश्न नहीं है, जमींदारों का प्रश्न है।

श्री किशनसिंह बट्टड : जमींदारों से ही मेरा मतलब है। पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले यह आई कि उनको मुआवजा दिया जाय इस बारे में सदन में काफी आलोचना हुई। मुआवजा किस बात का।

श्री चेयरमैन (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : इस बात को छोड़िए, तय कर चुके हैं।

श्री किशनसिंह बट्टड : मैं वहीं आ रहा हूँ।

श्री चेयरमैन : जल्दी आ जाइए।

श्री किशनसिंह बट्टड : इसके अलावा दूसरी बात यह है कि एक मुश्त उनको रकम दी जाय। इससे जैसा कि अभी दलील दी गई कि उनकी शराब पीने की आदत थी वह धीरे धीरे छूट रही है, उसको रोकने के लिए उनको एक मुश्त रकम दी जावे ताकि उनकी आदत रुकने के बजाय मिटे नहीं और भी ज्यादा शराब पीते रहें। मैं यह कहूँगा कि उनको १० गुना या २० गुना जो भी मुआवजा देना हो वह एक दफा नहीं दिया जावे। एक

(श्री किशनसिंह बटड)

दफा में देने से रकम का वेस्टेज करने का मौका मिलेगा और वे अपनी आदत खराब करेंगे और निज का ध्यान नहीं रखते हुए रकम उड़ा देंगे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री चेयरमैन (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : ऑनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दि बिल।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) चेयरमैन महोदय, इस क्लॉज़ पर काफी वाद-विवाद हुआ है। यह बात सही है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जिन्होंने यह एडवाइज़ किया था कि उनको मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, वे ही अब यह एडवोकेट हैं करते कि उनको मुआवजा एक मुश्त मिलना चाहिये। उन्होंने इसके लिये कई तर्क पेश किये, सोशियल, इकॉनोमिक, फाईनेन्शियल आदि इधर-उधर की बातें बताईं और यह बताने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा मुद्दे की बात यह है कि जमींदारों को एक मुश्त दे दिया जाय, दो हजार रुपये तक। मैं जानता हूँ कि २००० तक एक मुश्त देते हैं जमींदारों को तो जितना अन्दाजा वे लगा रहे हैं वैसी बात नहीं है जागीरदारों को...

श्री श्रीभानसिंह : We are not concerned with the Jagirdars.

श्री दामोदरलाल व्यास : We are not concerned but the Government is concerned. we can't make a discrimination between Jagirdars and Zamindars.

श्री भैरोंसिंह : डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूँ उन्होंने इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया है कि एक मुश्त देने से कितनी रकम एक साथ दी जायगी....

श्री भैरोंसिंह : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था ३५ करोड़।

श्री दामोदरलाल व्यास : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था तो उनका बहुत ज्यादा गलत अन्दाजा नहीं होगा, करीब करीब सही ही बैठेगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह ठीक है कि बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको डिफिकल्टी आ सकती है छोटी छोटी रकम लेने के लिए आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी, इन्स्टॉलमेन्ट लेने में, यह ठीक है। लेकिन इस स्कीम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ जमींदारों को मिल रहा था, वह बदस्तूर मिलता रहेगा, वे जो रेवेन्यू देते हैं और रेन्ट लेते थे और इन दोनों के बीच में जो प्रोफिट था वह प्रोफिट उनको बदस्तूर मिलता रहेगा। इसलिये यह कहना कि छोटे जमींदारों को कुछ फायदा नहीं होगा, बड़ों को हो सकता है यह बात गलत है, जो प्रोफिट उनको मिलता था वह मिलता रहेगा।

दूसरी तरफ इस आस्पेक्ट को भी नहीं भूलना चाहिये कि दो हजार की रकम एक मुश्त दे दी जाय जिससे वह रिहेबिलिटेट हो जायगा, लेकिन दूसरा आस्पेक्ट यह भी है कि स्टेट फाईनेन्सेज के आस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, कितने करोड़ रुपये मुआवजे के होंगे उन्हें स्टेट दे सकती है या नहीं। इसलिये जो प्रोविजन रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है। जागीरदारों के लिये यह प्रोविजन रखा है कि ५० रुपयों की

Page No.101

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शायद रखी है, ५० रुपयों की रकम होती है तो उनको एक मुश्त में पे करते हैं और बड़ों को एक मुश्त में पे करने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी तरह से जमींदारों के लिये भी किया जा सकता है। फाईनेन्शियल आस्पेक्ट को देखते हुए जमींदारी एबॉलिश होगी उसमें कितने छोटे छोटे जमींदार बिस्वेदार हैं उनको देखते हुए गवर्नमेन्ट को पे करने का डिस्क्रीशन होना चाहिये, कितनी रकम होगी एक मुश्त देने की। इसलिये प्रोविजन रखा है कि पार्टली इन कैश एण्ड पार्टली इन बोन्ड्स। जैसा कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है वह बिल्कुल वाजिब है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा तो उनको अजमेर का बिल देकर कहा कि बताइये इसमें कहा है...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : रूल्स में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहते हैं रूल्स में होगा। अजमेर की इस्तमरारदारी और राजस्थान के जागीरदारों के फाईनेन्शियल आस्पेक्ट को देखना होगा और यह देखना होगा कि आया इतना पे कर सकते हैं या नहीं, इसलिये ऐसा हार्ड एण्ड फास्ट रूल बनावें कि दो हजार रुपयों तक दे सकते हैं यह ठीक नहीं होगा। जमींदारों को अगर एक मुश्त देंगे तो जागीरदारों के लिये भी वैसा ही करना पड़ेगा दोनों में फर्क नहीं रख सकते। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य अपना अमेंडमेन्ट वापिस ले लेंगे।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : चेयरमैन महोदय...

कई माननीय सदस्य : Time is up.

श्री चेयरमैन : आप तो इसे विड्रा करने वाले हैं ?

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैं विड्रा तो करूंगा, लेकिन दो मिनिट में खत्म कर दूंगा।

श्री चेयरमैन : आप १ मिनट में खत्मकर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में पास हुआ उस समय फाईनेन्शियल आस्पेक्ट का ध्यान रखा था या नहीं ?

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : जरूर रखा था।

श्री भैरोंसिंह : क्या रखा था ?

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : जैसा मुझे याद है मैंने फ्लोर ऑफ दि हाउस पर बताया था कि हम रूल्स बनायेंगे उनमें प्रोविजन रखेंगे। इसका मंतव्य था कि जमीदारों और जागीरदारों के लिये था और यह लिखा था कि खेवटदारों और बिस्वेदारों पर लागू नहीं होगा। आप इसका मतलब जमीदारों, जागीरदारों, बिस्वेदारों और खेवड़दारों से ले रहे हैं, जिनके मुआवजे के ४०, ५० हजार रुपये के होंगे। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आपको मालूम होगा कि वहां पर किसी के पास ४ बिस्वा जमीन है, किसी के पास १० बिस्वा है तो किसी के पास आधा बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है और किसी के पास दो बिस्वा है। यदि आप एवरेज होल्डिंग लें तो १. १ एकड़ से ज्यादा आती नहीं है एवरेज होल्डिंग, इसलिये आप जिनको जागीरदार या बिस्वेदार मान रहे हैं उनकी वह स्थिति भी नहीं है जो एक किसान की है, उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब है....

श्री भैरोंसिंह : आपका भाषण कल रखा जाय, इम्पोंटेन्ट है कल सुनना चाहते हैं।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : इतना कह-कर मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : दोनों को साथ वापिस लेने की इजाजत दिलावें, मैं भी वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ब्रजमोहनलाल और डॉ० बहादुर-सिंह ने क्लॉज़ १४ पर रखे हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय। जो इसके पक्ष, में हैं वे 'हां, कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना कहें। 'हां, पक्ष जीता। संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री चेयरमैन : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ पारित की जाय। जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां, कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना, कहें। हां पक्ष जीता क्लॉज़ १४ पारित की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक ६-१२-५८ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय ५. १ बजे मंगलवार दिनांक ६-१२-५८ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त विवरण

सोमवार, ८ दिसम्बर, १६५८

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	५५६३		

ग्राम रतोड़ा के जागीरदार की जीप।

राजनीतिक पीड़ितों का मुआवजा।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गोचर व श्मशान भूमि के पट्टे--गांव रतनपुरा।

विकास खण्ड, बस्सी की ओर से सरपंच पंचायत बस्सी को श्रमदान के लिए स्वीकृत धनराशि।

जिला विकास समिति, अलवर द्वारा खोड़िया में मिडिल स्कूल की सिफारिश।

सांचोर तहसील के जागीरदारों की निजी सम्पत्ति की लिस्ट।

खनिज विभाग में प्रोस्पेक्टिव लाईसेन्स व माईनिंग लीजेज़ के लिए पेन्डिंग दख्वास्तें।

तहसीलदार, बौंली द्वारा १०७ के मुकदमों का फैसला।

हरिजनों के आवास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये गये क्वार्टर्स।

भरतपुर कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज आने व जाने के लिये सवारी का प्रबन्ध।

ठिकाना चाड़वास उत्तराधिकारी।

जावद जागीरदार के भूमि के पट्टों का इन्द्राज।

बसेड़ी में हायर सेन्केड्री स्कूल की स्थापना।

चूरू जिले में अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन-राशि।

अलवर जिले के हाई स्कूलों को मल्टीपर्पज स्कूलों व इन्टरमिजियेट कॉलेजों में परिवर्तित किया जाना।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि।

रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में खातेदारी के रकबे।

झुन्झुनू जिले में बन्दोबस्त।

उदयपुर जिले में अध्यापकों की कमी।

रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा चरागाह में पशुओं को नहीं चरने देना।

फेमिन सहायता-बाड़मेर तहसील।

राजस्थान के समस्त बैंकों का एकीकरण।

बाड़मेर तहसील की दो तहसीलें बनाने की योजना।

स्कम्भ

ग्राम सुलिया में स्कूल के भवन के निर्माण का ठेका।

नगरपालिका की भूमि के क्रय सम्बन्धी आपत्ति पर स्पष्टीकरण ५६०१

दिनांक ३ दिसम्बर १६५८ को राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७ के खण्ड ६७ पर विवाद करते समय श्री भैरोंसिंह (१४) ने उक्त प्रकार के क्रय का जिक्र करते हुए सदन के २ माननीय सदस्यों की ओर संकेत किया था जिस पर आज सम्बन्धित सदस्य श्री शंकरलाल ने अपना स्पष्टीकरण दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री हीराभाई सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी सम्बन्धी घोषणा ५६१४

अध्यक्ष महोदय ने श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा, के सम्बन्ध में निम्नांकित तार पढ़ कर सुनाए :

(1) "Kushalgarh, 4th December, 1948.

Heera Bhai, M L. A. Kushalgarh Constituency Arrested Under Section 151 I. P. C. Today After Noon.

Poilce Inspector
Kushalgarh."

(2) "Kushalgarh, 5th December, 1958.

Heera Bhai, M. L. A., Kushalgarh Constituency Was Tried Convicted And Sentenced To Five Months Simple Imprisonment And Fine of Rs. 100/- And Furthur Imprisonment Of One Months' In Default Today Under Section 151 I. P. C.

Sub Divisional Magistrate
Kushalgarh."

स्कम्भ

विधायी-कार्य

(क) पुरःस्थापित किये गये विधेयक ५६१५

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :

(क) राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (अडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १६५८।

(२) राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५८।

(३) राजस्थान होल्डिंग्ज (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) तृतीय संशोधन विधेयक, १६५८।

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक ५६१८

राजस्थान जमदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

खण्ड ६ :—संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७, ८, ९ व १० :—बिना संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ११ व १२ :—संशोधित रूप में स्वीकृत हुए।

खण्ड १३ :—इस खण्ड पर की गई बहस में ११ सदस्यों ने भाग लिया। राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १४ :—इस खण्ड पर २ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये। इस पर हुए वाद-विवाद में १३ सदस्यों ने भाग लिया। राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिए गये तथा खण्ड स्वीकार किया गया।

मंगलवार, दिनांक ९ दिसम्बर, १९५८ की कार्य-सूची

(१) वित्त मन्त्री द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांगों, १९५८-५९ (प्रथम खण्ड) की प्रस्तुती।

(२) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८।

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १०७३ का उत्तर देखिये)

विकास खण्ड, बस्सी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी को दी गई रकम की सूची

किस्म	रकम जो दी गई (रुपयों में)
ग्रान्ट इन-ऐड (अनुदान)	६,१५५) रु०

अनुदान रूप में सरपंच, ग्राम पंचायत, बस्सी को दी गई रकम की सूची

क्रमांक	दिनांक	नाम कार्य	रकम जो दी गई (रुपयों में)
१.	६-६-५६	भागीरथपुरा स्कूल	२६०)
२.	५-६-५६	गुढ़ा स्कूल	३००)
३.	३०-३-५७	बस्सी बेरी हैण्ड पम्प	१२५)
४.	१०-३-५७	बस्सी बीदा का बास कुंआ	३००)
५.	,, ,,	हैण्ड पम्प तीन, बस्सी	३७५)
६.	,, ,,	बस्सी स्टेशनवाला खुर्रा	२००)
७.	,, ,,	बस्सी स्कूल	५००)
८.	१२-३-५७	बस्सी खुर्रा	३००)
९.	३०-३-५७	कल्यानपुरा मरम्मत कुंआ	३००)
१०.	५-६-५६	पटेलवाला कुंआ, बस्सी	२२५)
११.	६-६-५६	भागीरथपुरा कुंआ	१००)
१२.	७-६-५६	गुढ़ा कुंआ	७००)
१३.	२५-६-५६	बिराजपुरा कुंआ	५००)
१४.	,, ,,	,, ,,	४००)
१५.	,, ,,	,, ,,	५००)
१६.	३१-३-५६	जागृति मण्डल, बस्सी	१००)
१७.	,, ,,	सांस्कृतिक कार्यक्रम	२५)
१८.	,, ,,	पशु-गृह	१५०)

१	२	३	४
१६.	३१-३-५६	संगीत क्लब	६०)
२०.	,, ,,	सोखते गड्ढे (सोकपिट्स)	२००)
२१.	,, ,,	रेगरों का कुंआ	१२५)
२२.	,, ,	पेशाबघर दो, बस्सी	५०)
२३.	,, ,	सिलाई की मशीन	३००)
		कुल योग	६,१५५

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०७८ का उत्तर देखिये)

सूची अलॉटमेन्ट तहसील सांचौर

क्र० सं०	नाम आसामी जिनको जमीन अलॉटमेन्ट की	ग्राम	खसरा नं०	एरिया
१.	हीरानन्द जोधा माली सिवपुरा	होतीगांव	५५२	१५ बीघा
२.	नवां पिता किस्तुरा कौम गरुड़ा कारोला	होतीगांव	६५४	१५ बीघा
३.	सीमरता पिता केसरा भील कारोला	होतीगांव	६५४	१५ बीघा
४.	आईदान पिता केला गरुड़ा साकिन कारोला	होतीगांव	६५४	२५ बीघा
५.	रामा व तेजा गरुड़ा साकिन कारोला	होतीगांव	६५४	१५ बीघा

जागीरदारों ने पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्टें तहसील सांचौर

क्र०सं०	नाम जागीरदार	गांव	कैफियत
१.	श्री मानसिंह समरसिंह पि. हीरसिंह	चारणीय	
२.	श्री मोतीसिंह लालसिंह अंचलसिंह पि. जोगसिंह	,,	
३.	श्री देवीसिंह पि. वचनसिंह व गणपतसिंह पि. नाथूसिंह	,,	
४.	श्री किशोरसिंह पुत्र पीरदसिंह	होतीगांव	
५.	श्री रिड़मलसिंह जागीरदार	चितलवाना	
६.	श्री किरतसिंह पुत्र जीवराजसिंह	कसूरी	
७.	श्री तख्तसिंह जागीरदार	गलीफा	
८.	श्री हुक्मसिंह पि. मोहब्बतसिंह होतीगांव पाती (बी)	होतीगांव	
९.	श्री सरतानसिंह व भागराजसिंह पि. बिरजसिंह	टिंगोट	
१०.	श्री भबूतसिंह पुत्र नथूसिंह	,,	
११.	श्री चैनसिंह पिता आसकरणसिंह	भूतेल	
१२.	श्री मेघसिंह पिता प्रतापसिंह	चांरा	
१३.	श्री मुकनसिंह पिता शिम्भुसिंह	चांरा	
१४.	श्री जयसिंह पिता आईसिंह	भूसी	
१५.	श्री राणसिंह पिता भोपालसिंह	,,	
१६.	श्री धोकसिंह मंगलसिंह चन्दनसिंह	,,	
१७.	श्री उमेदसिंह पिता मूलसिंह	,,	
१८.	श्री लालसिंह पिता रामसिंह, जयसिंह, मेघसिंह	,,	
१९.	श्री जवानसिंह जागीरदार	,	
२०.	श्री कसूंबा रहमतखां जोरावरखां पूगरवा	सांचौर	
२१.	श्री वरदानसिंह लालदान हरिदान पिता लक्ष्मणदान चारण	सरनावास	
२२.	श्री आसूदान पिता गैनदान चारण	,,	
२३.	श्री बनेदान आईदान व रतनदान पि० चैनदान चारण	,,	

१	२	३	४
२४.	श्री जवारदान पिता प्रभूदान चारण	सरनावास	
२५.	श्री जागीरदान पिता सवाईदान चारण	,,	
२६.	श्री कुशालदान पिता उदेदान चारण	,,	
२७.	श्री मानदान पिता उदेदान चारण	,,	
२८.	श्री गणपतसिंह पिता भागराजसिंह	दांतड़ा	
२९.	श्री दानसिंह पिता रूपसिंह	भूली	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०८१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE AID SANETIONED FOR CONSTRUCTION OF HOUSES FOR THE YEAR 54-55.

S.N.	Name of District.	Name of place.	Amount sanctioned	No. of houses.	Year.
1.	Tonk.	Gandhigram	13,300/-	38	54-55
2.	Jhalawar.	Jhalawar	2000/-	13	"

Page No.112

STATEMENT SHOWING THE AID SANCTIONED FOR CONSTRUCTION OF HOUSES DURING THE YEAR 1955-56 TO SCHEDULED CASTES FAMILIES.

S.No.	Name of Distt.	Name of Place.	Amount sanctioned.	No. of houses.
			Rs.	
1.	Sawai Madhopur.	Maholi.	7,700	22
2.	Kota.	Ramnagar.	7,000	20
3.	Jaipur.	Kishangarh-Renwal.	5,600	16
4.	Tonk.	Gandhigram	3,'500	10
5.	Sikar.	Khuri	1,400	4
6.	Sikar.	Pritimpura,	1,050	3
7.	Sikar.	Khachariawas	6,300	18
8.	Jhunjhunu.	Nirdhanu.	7,250	22
9.	Jodhpur.	Mandore.	1.520	11
10.	Jodhpur.	Bilara.	425	2
11.	Jodhpur.	Khakaria.	1,0[illegible]5	12
12.	Jodhpur	Mandore.	655	5
13.	Jodhpur.	Bhopalgarh.	3,500	10
14.	Jobhpur.	Pipar Ciry.	6,550	19
15.	Jodhpur.	Mandore.	350	1
16.	Bikaner.	Ramsar Shivbari.	7,000	20
17.	Udaipur.	Dhola Mathou	3,250	13
18.	Udaipur.	Laka lakedwas	7,000	20
19.	Bundi.	Ramnagar.	7,000	20

परिशिष्ट [५७८०

STATEMENT SHOWING THE AID SANCTIONED FOR CONSTRUCTION OF HOUSES DURING 1956-57 FOR THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES

S.No.	Name of Distt.	Name of Bati.	Amount sanctioned.	No. of houses.
1.	Jaipur.	Kundanpura	16,800	48
2.	,,	Vimalpura.	4,550	13
3.	,,	Bhagirathpura.	1,050	3
4.	,,	Lalawals.	2,450	7
5.	,,	Kishangarh Renwal.	350	1
6.	Sikar.	Kanwat.	13,650	39
7.	Bikaner.	Palana,	17,500	50
8.	Udaipur.	Mala Talai.	17,500	50
9.	Udaipur.	Salumber.	5,950	17
10.	Banswara.	Bhudanpura.	350	1
11.	Pali.	Falna.	5,250	15
12.	Pali.	Sewari.	17,500	50
13.	Jaisalmer.	Ramdeora.	3,500	10
14.	Jodhpur.	Sewania.	700	2
15.	Jalore.	Sanchore.	3,500	10
16.	Sawai Madhopur.	Bartpura.	17,500	50
17.	Bharatpur.	Bayana.	11,900	34

STATEMENT SHOWING THE AID SENCTIONED FOR CONSTRUCTION OF HOUSES FOR THE YEAR 1957-58.

S.No.	Name of District.	Name of place.	Amount sanction,	No. of houses.	year.
1.	Jaipur	Chomu	4,200/-	12	57-58
2.	,,	Sanganer	17,500/-	60	,,
3.	,,	Jaipur	27,700/-	42	,,
			49,400/-		
4.	Sikar.	Raisawaipur	17,150/-	42	,,
5.	,,	Dhani Luni-walon-ki	2,450/-	7	,,
6.	,,	,,	350/-	1	,,
			19,950/-		
7.	Bharatpur	Ravidaspura	5,600/-	16	,,
8.	Udaipur	Kau-awad	17,500/-	50	,,
9.	Tonk	Malpura	7,700/-	22	,,
10.	Churu	Bardassar	17,500/-	50	,,

मकान बनाने के लिये हरिजनों को सहायता की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	सन्	रुपये
१.	जयपुर	५४ से ५८ तक	८०२००)
२.	झालावाड़	,,	५०००)
३.	सीकर	,,	४२३५०)
४.	झुंझनूं	,,	७२५०)
५.	जोधपुर	,,	१४०५५)
६.	बीकानेर	,,	२४५००)
७.	उदयपुर	,,	५१२००)
८.	बांसवाड़ा	,,	३५०)
९.	पाली	,,	२२७५०)
१०.	जैसलमेर	,,	३५००)
११.	जालोर	,,	३५००)
१२.	सवाई मोधोपुर	,,	२५२००)
१३.	भरतपुर	,,	१७५००)
१४	टोंक	,,	२४५००)
१५.	कोटा	,,	७०००)
१६.	बूंदी	,,	७०००)
१७.	चूरू	,,	१७५००)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, ८ दिसम्बर, ५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५५७५	५–६	श्री प्रभुलाल । पुरोहित ।	श्री प्रभुलाल पुरोहित
५५७६	२४	श्री रिखबचद धारीवाल	श्री रिखबचन्द धारीवाल
५५८७	५	में वितने	में कितने
५५६३	१३	वोर्ड के अधिकारी में है ?	बोर्ड के अधिकार में हैं ?
५५६४	६	कनफर्म	कन्फर्म
५५६६	२२	ज्यदा रुपया	ज्यादा रुपया
५६०२	२४	श्री भनरूपरामजी	श्री मनरूपरामजी
५६०३	२३	लाख बतला हैं	लाख बतलाते हैं
५६०४	२१	रजिस्डर्ड	रजिस्टर्ड
५६०५	७	सुा सुची	सूची
५६०६	२४	लगाये लगे	लगाये गये
५६०६	अन्तिम से ५	रजनैतिक	राजनैतिक
५६०८	२४	मजबूत	मजबूर
५६०६	१४	सदस्य बतयें	सदस्य बतायें
५६११	७–८	में यह अ ° कर रहा था	मैं यह अर्ज कर रहा था

१	२	३	४
५६१२	२५	में	मैं
५६१३	१२-१३	लाभ को दिला रही है।	लाभ एक दूसरे व्यक्ति को दिला रही है
५६१४	अन्तिम से ३	श्री हीरजी	श्री हीराजी भाई
५६१५	१४	Imprieonment	Imprisonment
५६२०	२२	इसके दारा	इसके द्वारा
५६२१	१२	स्पप्ट	स्पष्ट
५६२१	३१	biawedars	biswedars
५६२२	७	राजस्थन	राजस्थान
५६२३	२६	ट्रान्सफ	ट्रान्सफर
५६२४	३०	को चहे	को चाहे
५६३२	२२	Chellenging	Challenging
५६४५	२०	डिफ्रेन्टइर्न्ट प्रिटेशन	डिफ्रेन्ट इन्टर्प्रिटेशन
५६४६	२०	oru	our
५६५६	१	opplicateon	application
५६५६	१६	applicatieon	application
५६६१	अन्तिम से २	ज्यदा	ज्यादा
५६६५	२१	Cultuarble	Culturable
५६६७	१	(श्री जगतीशप्रसाद माथुर)	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
५६६७	२७	इस क्रापर	इस प्रकार
५६६८	१३-१५	(इन दी विसीनिटीं ऑफ दी एस्टेट)	'इन दी, विसीनिटी ऑफ दी एस्टेट'

१	२	३	४
५६६६	शीर्ष	जमीनारी	जमींदारी
५६७१	१५–१६	Chamlal and Rajasthnal Piojectsfon	Chambal and Rajasthan Canal Projects on
५६७१–७२	शीर्ष	[५६६७	[५६७२
५६७६	शीर्ष	विम्वेदारी उत्सादक	त्रिस्वेदारी उत्सादन
५६७८	१५	Puoram	quoram
५६८२ & ५७५६	शीर्ष	त्रिस्बेदारी	त्रिस्वेदारी
५६८२	२०	हमारी पॉलिस	हमारी पॉलिसी
५६८४	२४	appicants	applicants
५६८६	अन्तिम से ६	busiuess	business
५६८७	१५	Consti tuiion	Constitution
५६९४	अन्तिम से ६	Zamenders	Zamindars
५६९४	,, २	रींहेबिलिटेशन	रीहेबिलिटेशन
५६९७	२०–२१	(जारी) रखते हुए	(जारी रखते हुए)
५६९८	१५	रेस्टिक्शन	रेस्ट्रिक्शन
५७०२	२४	निनका उपयोग	जिनके उपयोग
५७०४	शीर्ष	विस्वेदात्सादन	त्रिस्वेदारी उत्सादन
५७१०	२६–२७	रचना करने रहे हैं	रचना करने जा रहे हैं
५७१४	शीर्ष	उत्सादक	उत्सादन
५७२३	अन्तिम	फिया जाय	किया जाय

१	२	३	४
५७२५	१६	बिरवेदार का	बिरवेदार का
५७२५	अन्तिम से २	यह पुर्जा	है, यह पुर्जा
५७२६	१८	बयान से	बयाना से
५७२८	२१	illegal, a b iniitio	illegal
५७२९–३०	शीर्ष	विधान मंडल सम्बन्धी संकल्प	जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक १९५८
५७३०	अन्तिम	आप उस	आपने उस
५७३४	२५	है सारा	है जबकि सारा
५७४३	२४	वारिश	वारिस
५७४९	अन्तिम से ६	जनताकि	जानता कि
५७५०	२४	एक्स्पेट	एक्सेप्ट
५७५२	१५	It carries some impetance	it carries some importanca
५७६१	१५	है करते कि	करते हैं कि
५७६६	अन्तिम से ४	Poilce Inspector	Police Inspector